कुरुक्षेत्र

नवम्बर, 1988,

मूल्य 2 रुपये

एक नजर ग्रामीण आवास पर

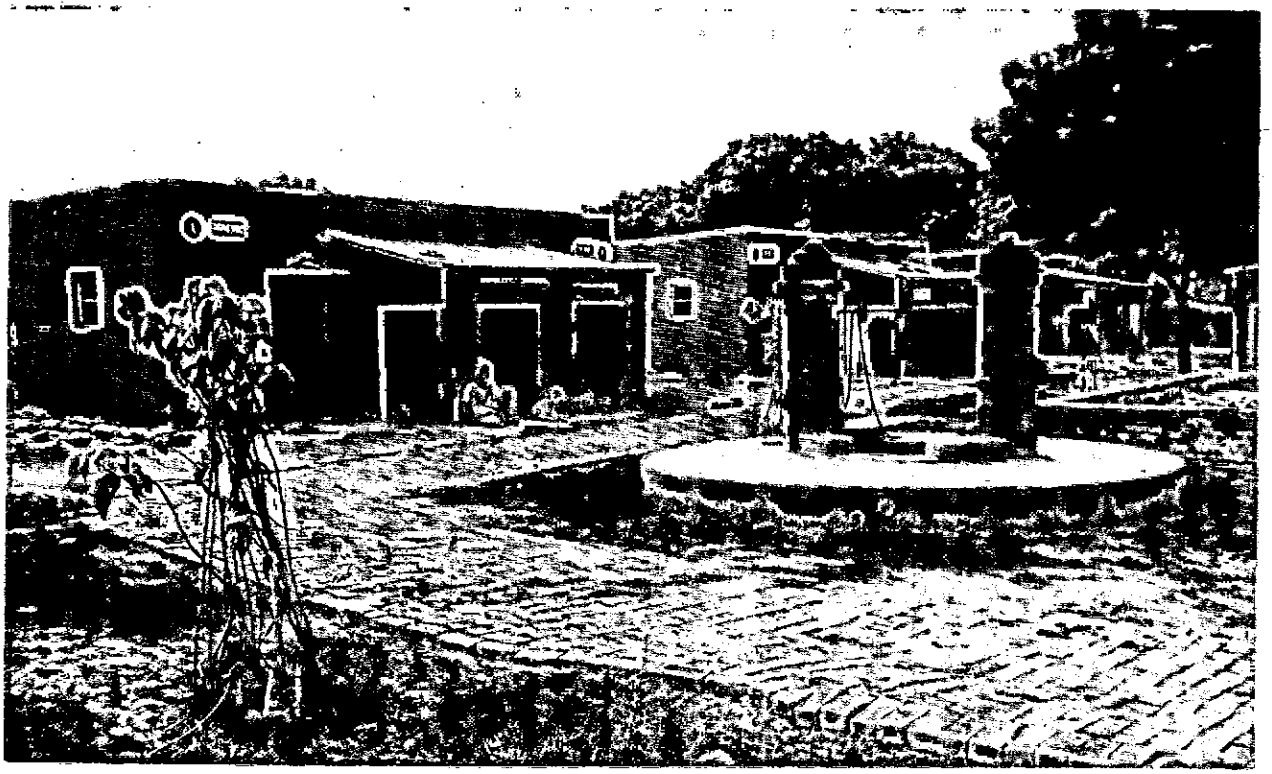

सामान्य जन-जीवन में सुधार के साथ रहने की व्यवस्था निकटता से जुड़ी हुई है क्योंकि इससे न केवल रहने की आवश्यकता पूरी होती है बल्कि इससे स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा आदि में सुधार जैसे विकास के कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुकूल वातावरण भी तैयार होता है।

वर्ष-33; अंक-1 कार्तिक-अग्रहायण; शक 1910

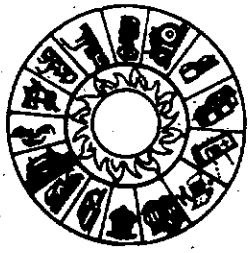

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास विभाग का प्रमुख मासिक

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए । अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है ।

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत, व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए ।

सहायक सम्पादक : **गुरचरण लाल लूथरा**
उप सम्पादक : **राकेश शर्मा**

सहायक निदेशक : **राम स्वरूप मुंजाल** (उत्पादन)
आवरण पृष्ठ : **राजेन्द्र कुमार टण्डन**
चित्र : **फोटो प्रभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग से साभार**

एक प्रति : 2.00 रु.
वार्षिक चंदा : 20 रु.

विषय-सूची

सार्वजनिक कोष कार्यक्रम : नगालैण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन अभियान — 2
अ.भा. गोखले

उत्तर प्रदेश में निर्बल वर्ग हेतु आवास सुविधा — 6
डा० राजेश्वरी त्रिपाठी

ग्रामीण आवास की समस्या — 8
नवीन चन्द्र जोशी

सस्ते मकान बनायें — 11
मधुकर तिवारी

इन्दिरा आवास योजना : समीक्षा — 14
बी.एस. मूर्ति

ग्रामीण आवास से जुड़ी हैं कुछ जरूरी बातें — 19
हरि विश्नोई

ग्रामीणों के परम हितैषी-जवाहर लाल नेहरू — 23
श्रीमती संध्या

भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम-एक मूल्यांकन — 25
डा० गिरिजा प्रसाद दूबे

अपना घर-प्यारा घर शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में आवास समस्या का समाधान — 28
पी०डी० वशिष्ठ

सहकारी आवास-एक समग्र दृष्टि — 32
आर०सी० व्यास

छत (कहानी) — 36
प्रदीप पण्डित

टापरियां पीछे छूट रही हैं, बस्तियां उभर रही हैं — 39
प्रभात कुमार सिंघल

दीपक श्रम के (कविता) — 42
योगेश चन्द्र शर्मा

प्रकाशित लेखों में अभिव्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं तथा यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी यही हो।

सम्पादकीय पत्र व्यवहार: सम्पादक, कुरुक्षेत्र (हिन्दी), कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें। **दूरभाष: 384888**

अन्तिम किश्त

सार्वजनिक कोष कार्यक्रम नागलैंड के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन

अ.मा. गोख
संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभा

इस रिपोर्ट के लेखक फरवरी, 1983 तक नगालैंड सरकार में ग्रामीण विभाग में सचिव थे। लेकिन उन्हें विकास बोर्ड कार्यक्रम के सामुदायिक कोष कार्यक्रम की प्रगति देखने का जून, 1987 तक अवसर मिलता रहा। फिर वे केंद्र में ग्रामीण विकास विभाग में संयुक्त सचिव पद पर नियुक्त किये गये। रिपोर्ट लिखने के बाद के इन चार वर्षों के दौरान यह कार्यक्रम नगालैंड सरकार की राज्य योजना के अंतर्गत जारी रहा और इसके लिए उत्तरोत्तर अधिक राशि दी गई है। 1982 में हर ग्राम विकास बोर्ड को प्रति घर 200 रुपये के हिसाब से वार्षिक अनुदान सहायता दी गई। वित्तीय वर्ष 1988-89 से यह राशि बढ़ाकर 300 रुपये प्रति घर कर दी गयी है। जहां तक बराबर राशि का अनुदान देने का प्रश्न है (बैंक में गांव द्वारा रखी गई फिक्सड डिपाजिट राशि के लिए सरकार द्वारा सार्वजनिक कोष में अंशदान) नगालैंड के एक हजार गांवों के करीब 600 लाख रुपये बैंकों में जमा हैं। रिपोर्ट लिखने के वर्ष 1982 में यह राशि केवल 150 लाख रुपये थी।

लेखक को 1987 में नगालैंड से आने से पहले कुछ सुदू गांवों में जाने का अवसर मिला था। इन गांवों में विकास बो सात वर्ष पहले गठित किये गये थे। इन सात वर्षों में वहां लोगों ने कई सुधार किये थे। इन गांवों में पक्की गलियां बन गयी थीं, खेतों के रास्तों पर विश्रामस्थल बन गये थे, नालिय बना दी गयी थीं, स्कूलों में फर्नीचर था, गांवों में सामुदायिक अनाज भंडार बन गये थे।

एक अन्य बात यह देखने में आयी कि राज्य ग्रामीण विकास विभाग अब भी ठीक तरह से संचालित नहीं हो रहा है। खंड विकास अधिकारी पदों पर प्रतिनियुक्ति के लि हर तरह के अधिकारी ले आये गये हैं।

आशा है कि पाठक इस बात पर गौर करेंगे कि ग्राम विकास बोर्डों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है कि उन्होंने योजना व कार्यान्वयन को सफलता से चलाया है और प्रशासनिक विभागों की कार्यकुशलता में उतार-चढ़ावों के प्रभाव से स्वयं को बचाये रखा है।

सार्वजनिक कोष समिति दूसरी ओर अपनी फिक्सड डिपाजिट रसीदों को ऋणदायी बैंक में या तो वापस करती है या फिर गिरवी रखती है। दो सौ प्रतिशत की सीमा दो भागों में है।

भाग ए (75%)

इसके अतंर्गत सार्वजनिक कोष समिति इस सुविधा की मांग एक प्रस्ताव के जरिये करती है। ऋण देने वाला बैंक इस अनुरोध की जांच वैसे ही करता है जैसे कि फिक्सड डिपाजिट के बदले ओवरड्राफ्ट मांगने पर की जाती है।

भाग ख (125%)

इसके अंतर्गत बैंक विस्तृत जांच करता है। प्रक्रिया इस प्रकार तय की जाती है कि सार्वजनिक कोष समिति के पक्ष फैसला हो।

भाग 'क' के अंतर्गत गांव को ऋण मांगने का अधिका है। भाग 'ख' के अंतर्गत बैंक को यह अनुरोध अस्वीका करने का अधिकार है।

ऋण लेने वाले के लिये कुछ शर्तें पूरी करना आवश्यक है। इसमें प्रथम शर्त ध्यान देने योग्य है। सार्वजनिक कोष

समिति के निर्देशक नियमों में यह स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक कोष के अंतर्गत समिति द्वारा लाभ अथवा सुविधा के लिये चुने गये व्यक्ति को मासिक बैठक में भाग अवश्य लेना होगा। यह नियम गांव व ऋणप्रार्थी दोनों के लिये सुविधाजनक है। अनुभव से पता चला है कि ऋण न चुकाने के कई मामलों में कारण केवल यह था कि ऋणप्रार्थी यह भूल गया कि उसने ऋण ले रखा है। मासिक बैठक में आने से उसे यह बात याद रहती है।

भाग दो

इसके अंतर्गत सरकार हर वर्ष प्रत्येक गांव को विकास कार्यक्रम चलाने के लिये राशि निर्धारित करती है। यह राशि गांव के परिवारों और तय राशि का गुणांक होती है। यह व्यवस्था 1980-81 में आरंभ की गयी थी। यह विधि राज्य स्तर की योजना में सामुदायिक लाभ योजनाओं के लिये अपनायी जाती है। यह राशि गांव के घरों की संख्या को एक राशि से गुणा करके तय की जाती है। वर्ष 1980-81 में यह राशि एक सौ रुपये थी। फिर 1982-83 में यह दो सौ रुपये कर दी गई। उसमें से पच्चीस प्रतिशत राशि महिलाओं के लिए कार्यक्रमों पर खर्च की जाती है। सार्वजनिक कोष समिति दरअसल गांव का योजना आयोग है और यह चौदह योजनाओं की एक सूची में से योजनायें चुनता है। इनमें सामुदायिक हाल, गलियां, रास्ते, विश्राम स्थल, पुलिया, अनाज गोदाम, खेल के मैदान, मवेशियों के बाड़े आदि का निर्माण शामिल है। पंद्रहवीं योजना के अंतर्गत लोग गांव के हित की कोई अन्य योजना चुन सकते हैं। यह सूची आवश्यकता के अनुसार बढ़ती रहती है और केवल इसलिये बनी है ताकि लोगों को कामों का कुछ अनुमान मिल सके।

1980-81 से केंद्र के समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भी प्रत्येक गांव के लिये राशि आबंटित कराने के प्रयास किये गये। इस राशि के लिये पात्र लोगों की खोज का काम सार्वजनिक कोष समिति करती है।

अब हम मार्गदर्शक व प्रक्रियाओं की चर्चा करेंगे।

मार्गदर्शक नियम

इन्हें ग्राम विकास बोर्ड मार्गदर्शक नियम 1980 कहा जाता है। ये नियम ग्राम व क्षेत्र परिषद अधिनियम, 1978 के अंतर्गत बनाये गये। नियमों में बताया गया है कि (i) ग्राम निवासियों (ii) ग्राम परिषद (ग्राम पंच सभा) (iii) ग्राम विकास बोर्ड (ग्राम सार्वजनिक कोष समिति) (iv) उपायुक्त व (v) सरकार की क्या भूमिका रहेगी।

ग्रामवासी

नियम बारह में बताया गया है कि बोर्ड की हर महीने एक निश्चित तारीख को बैठक हुआ करेगी। इसमें सब लोग भाग ले सकेंगे। नियम तेरह के अंतर्गत बैठक में कोई भी व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है और जिस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता उसके बारे में सचिव दर्ज कर लेगा। लोगों को इस नियम की विस्तार से जानकारी देने के प्रयास किये जा रहे हैं।

ग्राम परिषद

इसे गांव की पंच सभा कह सकते हैं। पहले अधिकारों व कर्तव्यों का कोई लिखित रिकार्ड नहीं था। लेकिन ग्राम व क्षेत्र परिषद अधिनियम, 1978 में इनकी व्याख्या की गयी है। ग्राम विकास बोर्ड के मार्गदर्शक नियमों में पंचों के लिये तीन काम तय किये गये हैं :

- सार्वजनिक कोष समिति व लोगों के लिये आवश्यकता पड़ने पर निर्देश जारी करना,

- सार्वजनिक कोष समिति के लिये सदस्य चुनना व किसी सदस्य को बदलना और

- सार्वजनिक कोष समिति के कामकाज से उत्पन्न मामलों को निपटाना। सार्वजनिक कोष समितियां सर्वप्रथम फेक जिले में गठित की गयीं। वहां छः वर्षों में केवल सात मामले सामने आये। इन सबको ग्राम पंचों ने शीघ्र ही निपटा दिया। दो मामले ऐसे थे जिनमें जिला प्रशासन की सहायता लेनी पड़ी।

ग्राम विकास बोर्ड

इसे सार्वजनिक कोष समिति भी कह सकते हैं। इनकी शुरूआत 1976 में की गयी थी। इन समितियों के सदस्यों का चयन ग्राम परिषद करती है। समिति की बैठक महीने में एक निश्चित दिन होती है।

उपायुक्त

इन समितियों का अध्यक्ष जिले का उपायुक्त होता है। नियम बीस के अनुसार ग्राम विकास बोर्ड ने अगर सार्वजनिक कोष से खर्च का कोई प्रस्ताव पास किया है तो उसे समिति का सचिव (जोकि समिति का ही सदस्य है) अध्यक्ष के समक्ष स्वयं

प्रस्तुत करेगा। अध्यक्ष इस खर्च की स्वीकृति दे सकता है या इसे रोक सकता है। अगर इसे यह खर्च उचित नहीं लगता तो इसके कारण लिखकर बताने होंगे तथा प्रस्ताव को फिर विचार के लिये समिति के सामने भेजना होगा या फिर ये कारण गांव में लोगों की सभा बुलाकर बताने होंगे। गांव परिषदों व क्षेत्र परिषदों के अध्यक्षों तथा ग्राम विकास बोर्ड के सचिवों के सम्मेलन में एक जिले के प्रतिनिधियों की शिकायत थी कि उन्हें जिला उपायुक्त से मिलने में बड़ी कठिनाई पेश आती है। तब सभी उपायुक्तों को पत्र भेजकर निर्देश दिया गया कि इन्हें मुलाकात के लिए कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

सरकार

नियम सत्ताइस में सरकार की भूमिका स्पष्ट की गई है। इसके अनुसार उपायुक्त द्वारा नियमों की व्याख्या से पहले सरकार का अनुमोदन आवश्यक है। इस संदर्भ में हम एक मामले की चर्चा करना चाहेंगे। एक जिले में कई ग्राम परिषदों ने नियम चार के अनुसार ग्राम विकास बोर्ड के सदस्यों का चयन किया। लेकिन बाद में स्पष्ट हुआ कि ये सदस्य ठीक से कामकाज नहीं चला पा रहे हैं। लोगों ने असंतोष प्रकट किया। बाद में बोर्ड के सदस्यों का चयन लोगों की सलाह से होने लगा।

नगालैंड में सामुदायिक विकास योजनाओं को गांवों में चलाने की प्रक्रिया

इनमें जिन संस्थाओं व अधिकारियों की भूमिका स्पष्ट की गयी है वे हैं : 1. ग्राम विकास बोर्ड 2. खंड विकास अधिकारी 3. जिला योजना बोर्ड व इसके अध्यक्ष के रूप में उपायुक्त, 4. ग्रामीण विकास विभाग।

इन प्रक्रियाओं को मंत्रीमंडल के अनुमोदन के बाद 27.11.1980 को ज़ारी किया गया। ये इस प्रकार हैं :

फरवरी माह के अंत तक

उपायुक्त गांवों और उनमें घरों की संख्या की सूची ग्रामीण विकास विभाग को भेजेंगे।

अप्रैल माह के अंत तक

ग्रामीण विकास विभाग गांवों को आबंटन के बारे में सूची जारी करेगा। कुल उपलब्ध राशि में से ग्रामवार नब्बे प्रतिशत आबंटित किया जायेगा तथा शेष दस प्रतिशत सुरक्षित कोष के रूप में रखा जायेगा। इसका उपयोग जिला योजना बोर्डों और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पिछड़े गांवों को अतिरिक्त धन देने, ग्रामीणों के लिये प्रशिक्षण शिविर लगाने व प्रायोगिक स्कीमें चलाने में किया जायेगा।

जून माह के अंत तक

खंड विकास अधिकारी को ग्राम योजनायें मिल जायेंगी।

अगस्त माह के अंत तक

खंड विकास अधिकारी और उनके कर्मचारी इन ग्राम योजनाओं के आधार पर गांवों का दौरा करेंगे।

सितम्बर माह के अंत तक

खंड विकास अधिकारी ये ग्राम योजनायें जिला योजना बोर्ड को भेजेंगे। इनकी स्वीकृति मिलने पर खंड अधिकारी गांवों से काम आरम्भ करने को कहेंगे जिसे निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जायेगा।

अक्तूबर माह के अंत तक

ग्रामीण विकास विभाग अनुदान सहायता मंजूर करेगा। खंड विकास अधिकारी राशि लेकर ग्राम विकास बोर्डों के बैंक खातों में जमा करायेंगे।

फरवरी के अंत तक

ग्राम विकास बोर्ड खंड विकास अधिकारियों को बतायेंगे कि योजना कार्य पूरे हो गये हैं।

अप्रैल के अंत तक

खंड विकास अधिकारी व उनके कर्मचारी गांवों में जाकर किये गये काम की जांच करेंगे।

मई के अंत तक

खंड अधिकारी अपनी यह रिपोर्ट जिला योजना बोर्ड को भेजेंगे। इस बोर्ड के अनुमोदन के बाद ग्राम बोर्ड बैंक खाते में जमा अपनी राशि निकलवा सकेंगे।

इस प्रकार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दी जाने वाली राशि पहले बैंक खाते में जमा होती है। यहां से गांव तक निम्नलिखित तरीके से पहुंचती है :-

1. वास्तविक काम की खंड अधिकारी द्वारा गांव जांच रिपोर्ट का जिला योजना बोर्ड द्वारा अनुमोदन।
2. ग्राम विकास बोर्ड का प्रस्ताव।
3. इस प्रस्ताव का उपायुक्त द्वारा अनुमोदन।

खंड विकास अधिकारी व उसके कर्मचारियों को निम्नलिखित नियमों को ध्यान में रखना होगा :-

1. ग्राम विकास बोर्ड (अर्थात गांव) को अपने कार्यक्रम चुनने का पूरा अधिकार है।
2. खंड विकास अधिकारी को कोई ग्राम योजना तकनीकी कारणों से रद्द करने का तो अधिकार है परन्तु ग्राम विकास बोर्ड के प्रस्ताव को बदलने का कोई अधिकार नहीं है।

इस प्रकार खंड विकास अधिकारी का धन पर नियंत्रण तो नहीं रहा लेकिन इससे वे अब उन दबावों से मुक्त हो गये हैं जो उन्हें गलत काम करने के लिए झेलने पड़ते थे। ग्राम कार्यकर्ताओं को भी ग्राम योजना को बदलने का कोई अधिकार नहीं है लेकिन तकनीकी आधार पर वे अपनी आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं।

गांवों में योजनाओं के कामकाज की समीक्षा के बारे में भी प्रावधान किये गये हैं। ये हैं :

जिला योजना बोर्ड अधूरे, असंतोषजनक काम, गलत काम, नियमों के उल्लंघन के मामलों की जांच कर सकता है।

इसके बाद अगर जांच में बोर्ड को गड़बड़ी या कमी नजर आती है तो वह-

1. उपायुक्त से अनुरोध कर सकता है कि वह सम्बद्ध ग्राम परिषदों को गांव के लोगों के बारे में कार्यवाही के लिये निर्देश दें।
2. अगर सरकारी कर्मचारियों के बारे में शिकायत हो तो विभागीय कार्यवाही का अनुरोध कर सकता है। अगर जिला योजना बोर्ड को विश्वास है कि ग्राम विकास बोर्ड या ग्राम परिषद इसके लिये जिम्मेवार है तो वह उपायुक्त से अनुरोध करेगा कि यह मामला पूरे गांव के सामने रखा जाये।

अंत में हम कुछ उन समस्याओं की चर्चा करेंगे जो कामकाज के दौरान सामने आई। इस सारे सार्वजनिक कोष कार्यक्रम से लगता है कि खंड विकास अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र के सभी गांवों में वर्ष में कम-से-कम दो बार जाएगा। अभी राज्य के 21 खंडों में 900 गांव हैं अर्थात एक खंड में औसतन 42 गांव पड़ते हैं। अगर अभी तक असंबद्ध लगभग 160 गांवों को भी जोड़ा जाए तो प्रति खंड 50 गांवों की औसत बैठती है। देश में अन्य राज्यों में खंडों के औसत आकार की तुलना में यह बहुत मामूली है लेकिन नगालैंड (और अन्य पर्वतीय स्थानों में) साल में 50 गांवों का दो बार दौरा करना बहुत कठिन काम है। एक युवा अधिकारी यह काम अधिक से अधिक दो वर्ष तक कर सकता है। लेकिन उसके बाद उसका उत्साह भी ठंडा पड़ जाएगा। इसलिए हमारे विचार में एक अधिकारी के कार्यक्षेत्र में 25 से अधिक गांव नहीं होने चाहिए। वैसे नगालैंड राज्य के अत्यंत कठिन क्षेत्रों में 25 गांव भी बहुत ज्यादा हैं। इस प्रकार राज्य में कम से कम 42 खंड होने चाहिए।

दूसरी कठिनाई यह देखने में आई है कि फिलहाल राज्य में खंड विकास अधिकारी अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर लिये जाते हैं। प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों के साथ दो कठिनाईयां होती हैं :-

1. वह ग्रामीण विकास विभाग के प्रति जवाबदेही महसूस नहीं करता, अथवा
2. वह अपने काम को हल्के ढंग से लेता है।

इन तीनों कारणों से सार्वजनिक कोष कार्यक्रम की गति धीमी हो सकती है। अगर पिछले दो वर्षों में यह कार्यक्रम इन तीन कारणों के बावजूद अच्छी तरह चला है तो इसके पीछे ये दो बहुत महत्वपूर्ण आधार रहे हैं :-

1. उपायुक्त खुद काम में दिलचस्पी लेते हैं,
2. राज्य मुख्यालय में ग्रामीण विकास विभाग के सभी अधिकारी उत्साह से गांवों का दौरा करते हैं।

तीसरा आधार यह है कि गांव में पदाधिकारी (अर्थात ग्राम परिषद व ग्राम विकास बोर्ड संयुक्त रूप से) इस काम के लिए आरंभ से ही मुस्तैद और उत्साही रहे हैं। इन दो आधारों के बल पर ही पहले उल्लिखित तीन कारणों के बावजूद कार्यक्रम पर कोई बुरा असर नहीं हो पाया है लेकिन प्रश्न यह है कि ये दो अनुकूल आधार कब तक बने रह सकेंगे ?

ये तीन कारण एक दूसरे से जुड़े हैं और आपस में एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं जबकि अगले दो आधार एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इनका एक साथ बने रहना बहुत ही उत्साहवर्धक है।

अनुवाद : ओम प्रकाश दत्त

उत्तर प्रदेश में निर्बल वर्ग हेतु आवास सुविधा

डा० राजेश्वरी त्रिपाठी

सदियों की गुलामी की जकड़न से मुक्त भारत को तीव्र सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की आवश्यकता है। ऐसे रीति रिवाजों, परम्पराओं एवं अभ्यासों को समाज से समाप्त करना है जिसका कि स्वतन्त्र भारत में अब कोई महत्व नहीं रह गया है। इसी प्रकार आर्थिक क्षेत्र में तीव्र गति से प्रगति करनी है। हमें जनता को सामाजिक व आर्थिक न्याय प्रदान करना है। यह कार्य सरकार व जनता दोनों द्वारा सम्पन्न किया जाना है। सरकार की ओर से महत्वपूर्ण भूमिका अधिकारी तंत्र द्वारा निभायी जाती है। अधिकारीगण नीति निर्माण कार्य से संबंधित प्रत्येक कार्य की पृष्ठभूमि को तैयार करते हैं। इस प्रकार सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन लाने में नीति निर्धारण, बजट निर्माण, नीति के क्रियान्वयन की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है।

इस नीति निर्माण कार्यों के अन्तर्गत सरकार कल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा देती है ताकि आर्थिक व सामाजिक न्याय में प्रगति हो सके, जिससे देश की स्वतंत्रता सबके लिए सार्थक हो। सामाजिक न्याय का अर्थ है, रोटी, कपड़ा व मकान की सुविधा प्रत्येक व्यक्ति के लिये समान हो।

इस समानता व स्वतंत्रता को बनाये रखने के लिए सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना लागू की गयी है जिसके अंतर्गत हर वर्ग के व्यक्ति के विकास के लिये नीति निर्माण व बजट का प्रावधान रखा गया है।

भारत की लगभग आधी जनता गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करती है जिसमें नगर में रहने वाले निर्धन और गाँव में रहनें वाले निर्धन दोनों हैं। सरकार यह जानती है कि जब तक देश से गरीबी नहीं हटायी जायेगी, देश को राष्ट्रों के समुदाय में सम्मानजनक स्थान प्राप्त नहीं हो पायेगा। यद्यपि नियोजन की शुरूआत को ही समाज का सामाजवादी ढाँचा माना गया है किंतु हमारे नियोजन से ऊपर के 20 प्रतिशत सम्पन्न व्यक्तियों को ही लाभ पहुँचा है। नीचे के 80 प्रतिशत लोगों को नियोजन का लाभ शायद ही मिला हो। प्रत्येक योजना के बाद गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या में निरन्तर बढ़ोतरी होती रही है।

नये संकल्प के रूप में गरीबी उन्मूलन के लिये पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सशक्त बनाना, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सफाई की बेहतर व्यवस्था, आवास व पेयजल की व्यवस्था, इसके अतिरिक्त बीस सूत्री कार्यक्रम चलाया गया। इसके अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों की आर्थिक एवं सामाजिक दशा सुधारने पर विशेष बल दिया गया है। कार्यक्रम का मूलमंत्र एवं सर्वमान्य सिद्धान्त सामाजिक न्याय के साथ विकास है। इस बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख उपलब्धियां हैं—हदबन्दी और भूमि आबंटन, न्यूनतम मजदूरी, बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास, पेयजल व्यवस्था एवं आवास निर्माण, पर्यावरण सुधार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिये गृह निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, वृक्षारोपण, परिवार नियोजन, ग्रामीण एवं लघु उद्योग।

उपरोक्त बीस सूत्री कार्यक्रम में आवास निर्माण व्यवस्था को ही अध्ययन के लिये चुना है।

निर्बल वर्ग आवास योजना

ग्रामीण क्षेत्र में निर्बल वर्ग के साधनहीन परिवारों के लिये आवास सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में कई आवास योजनायें चल रही हैं। निर्बल वर्ग आवास योजना वर्ष 1979-80 से चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत चयनित परिवारों को आवास की कुल लागत का 3।4 मैदानी क्षेत्रा में 2,000 तथा पर्वतीय क्षेत्र में 3,000 तक वित्तीय सहायता का अनुदान निर्माण सामग्री के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। चयनित परिवारों में 80 प्रतिशत अनुसूचित जाति, जनजाति के परिवारों के लिये जाते हैं।

लाभार्थियों का चयन समय-समय पर ग्राम सभा की आयोजित बैठक में प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुये किया जाता है। पहली प्राथमिकता में ग्राम सभा के स्थाई निवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, कृषि श्रमिक और ऐसे लोग जिनके पास मजदूरी के अलावा आय के अन्य स्रोत नहीं हैं चयनित किये जाते हैं। दूसरी में अन्य जातियों के ऐसे परिवार जिनकी मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई आय नहीं

होती है, लिये जाते हैं, जिन परिवारों को आवास स्थल आबंटित किये जाते हैं, उनका चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है।

तालिका संख्या 1
बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित आवास

क्रम संख्या	वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1	1982-83	70.0	151.1	215.9
2	1983-84	60.0	96.9	161.5
3	1984-85	50.0	87.3	174.6
4	1985-86	40.0	88.7	221.8
5	1986-87	50.0	88.0	176.0

स्रोत :– ग्रामीण जीवन में गुणात्मक सुधार, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० पृष्ठ संख्या-12

तालिका संख्या- 2
आवास निर्माण में सहायता

क्रम संख्या	वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1	1982-83	17.0	18.1	107.1
2	1983-84	15.0	13.4	89.1
3	1984-85	15.0	13.7	91.3
4	1985-86	18.0	24.8	137.8
5	1986-87	28.8	31.2	108.3

स्रोत :– वही

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1979-80 से वर्ष 1985-86 के अंत तक 1,13,650 आवासीय भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। वर्ष 1986-87 में निर्बल वर्ग आवास योजना के अंतर्गत 240 हजार आवासों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 31 मार्च 1987 तक 24.4 हजार आवासों का निर्माण कराया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद आवासहीनों को आवास सुविधा देने की दिशा में 17 नवम्बर 1986 से सक्रिय है। परिषद ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन कृषक, मजदूर, शिल्पकार आदि को आसान किस्तों पर ऋण देने की योजना तैयार कर रही है। भूमिहीन कृषक तथा ढाई एकड़ जोत तक के किसानों को (वार्षिक आय सीमा 8400) छः हजार रुपये का ऋण 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर दिया जा रहा है। 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिये जाने का प्रावधान है। ढ़ाई से 7.5 एकड़ तक की जाते वाले लोगों को (वार्षिक आय सीमा 8401 रुपये से 12,500 रुपये) 11 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर 18,000 रुपये तक का ऋण दिया जायेगा। 7.5 एकड़ से 12 एकड़ तक की जोत वाले को (वार्षिक आय सीमा 12501 रु० से 20.000 रु०) मध्यम आय वर्ग में रखकर 11 प्रतिशत ब्याज दर पर 25 हजार रु० तक का ऋण दिये जाने का प्रावधान है।

यह ग्रामीण ऋण योजना सम्पत्ति प्रदेश के 25 जनपदों में लागू है। ये जिले हैं–रायबरेली, वाराणसी, मिर्जापुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, हलाहाबाद, इटावा, आगरा, मैनपुरी, गाजियाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, रामपुर, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, देहरादून, झाँसी, तुरई, गोरखपुर, आजमगढ़ देवरिया तथा बस्ती।

अब हमें देखना है कि सरकार द्वारा आवास निर्माण योजना हेतु जो धन वितरण किया जा रहा है उसका उचित प्रयोग हो रहा है या नहीं। वास्तव में समाज में भ्रष्टाचार की सीमा इतनी बड़ी है कि उसको पार करना बहुत मुश्किल हो गया है।

शिक्षा की कमी के कारण भी प्रत्येक किसान कागजी कारंवाइयों को पूर्ण करने में सफल नहीं हो पाता है। इस कारण अनुदान के रूप में उसके नाम पर लिखी गई पूरी राशि उस तक नहीं पहुंच पाती। यदि कागज में 6 हजार दिया गया हैं तो उस तक पहुंचते-पहुंचते वह राशि 3 हजार हो जाती है।

सरकार को धन का विवरण करते समय उसी व्यक्ति द्वारा धन या अनुदान का वितरण किया जाना चाहिये जो व्यक्ति उस गाँव के प्रत्येक व्यक्ति को जानता हो। वितरण की व्यवस्था ग्राम प्रधान या ग्राम सेवक के माध्यम से की जानी चाहिये जिससे सरकार द्वारा वितरित अनुदान का प्रत्येक व्यक्ति उचित लाभ उठा पायेंगे तथा सामाजिक न्याय प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे।

प्रवक्ता राजनीतिक विज्ञान
संगठक महाविद्यालय, अल्मोड़ा

ग्रामीण आवास की समस्या

नवीन चंद्र जोशी

सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में यह अनुमान लगाया गया था कि देश में कुल 2.47 करोड़ मकानों की कमी है—गांवों में 1.88 करोड़ मकानों की और शहरों में 59 लाख मकानों की। यह कमी बढ़कर 1990 में 4.09 करोड़ मकानों की हो जाने की संभावना है—गांवों में 3.12 करोड़ और शहरों में 97 लाख मकानों की अतः इस स्थिति से निपटने के लिए एक ऐसी बहुउद्देशीय नीति तैयार करने की आवश्यकता है जिसमें आवासीय वित्त सहित आवास संबंधी सभी नीतियों का पुनर्निधारण सम्मिलित है।

यह भी सही है कि यदि गरीबों के आवास की सरकारी जिम्मेदारी को कम करने का कोई प्रयास किया गया, तो इससे गरीबों की परेशानी बढ़ जायेगी और उन्हें बेहद महंगी भूमि, निर्माण-सामग्री खरीदनी पड़ेगी। गांव और शहर दोनों ही जगह भूमि बड़े उद्योगों, बड़े व्यापार, प्रतिष्ठानों के लिए बनकर रह गई, जिसमें निर्माणकर्ता, पूंजीपति, ठेकेदार और अन्य एजेंट सक्रिय रहते हैं और ये लोग भूमि को लाभ कमाने का साधन मानकर काम करतेहैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के व्यवसायीकरण की वजह से छोटे किसान भूखों मरने लगे हैं। भूमि के विशाल क्षेत्र, जो पहले ग्रामीण समुदाय की साझी संपत्ति माने जाते थे, अब सरकारी भूमि घोषित कर दिए गए हैं और उन पर लोगों का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। वास्तव में आवास व्यवस्था का संघर्ष केवल भूमि का संघर्ष नहीं है, बल्कि आवासीय संसाधनों, निर्माण-सामग्री, टैक्नोलॉजी और वित्त पर नियंत्रण के लिए भी है। भूमि, सीमेंट, इस्पात, टाइल, ईंट, एस्बेस्टस और लकड़ी का व्यवसायीकरण निर्माणकर्ताओं के नियंत्रण में है। निर्माणकर्ताओं का प्रभाव इतना व्यापक है कि पत्ते, घास, बांस, एस्बेस्टस, टिन और लकड़ी जैसी मामूली चीजें भी इतनी महंगी हो गई हैं कि गरीब आदमी ऐसे आवासों में रहने को बाध्य हैं जो इन मामूली चीजों से भी बने नहीं होते।

उपर्युक्त संदर्भ में, 12 मई 1988 को संसद में 'राष्ट्रीय आवास नीति' प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार भारत में सन् 2001 तक आवास समस्या दूर हो जायेगी और यह लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत कम व्यय करना पड़ेगा। यह सोचा गया है कि गांवों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भूखंड का आकार 85 वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए और उसमें जल, मल निकासी व्यवस्था अच्छी हो। आवास नीति में गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों को उनके द्वारा अधिग्रहीत भूमि पट्टे पर देने की व्यवस्था है। इससे गांवों से शहरों में आकर बसे लोगों के भूमि पर अनधिकृत कब्जे को नियमित किया जा सकेगा।

दुर्भाग्य से आवास नीति से ऐसा आभास होता है जैसे यह शहरी निवासियों को, जो कि भूमि विकास करने वाले संपन्न लोग हैं, लाभ पहुंचाती है। इससे विशाल ग्रामीण जनता को विशेष लाभ नहीं पहुंचता। ग्रामीण आवास को न्यून प्राथमिकता देने और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को और कम प्राथमिकता देने के बावजूद योजना-निर्धारकों ने ग्रामीण आवास को 1968 में ही अत्यंत महत्व के सामाजिक कार्य के रूप में मान्यता दे दी थी।

संसद की अनुमान समिति ने अपनी हाल की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया था कि सातवीं योजना का मसौदा तैयार करते समय 1971 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया गया है जबकि 1981 की जनगणना के आंकड़े भी उपलब्ध थे। इससे योजना-निर्धारकों में रुचि का अभाव परिलक्षित होता है, जबकि ग्रामीण आवास को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये थी।

1971 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर योजना आयोग ने भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए 145 लाख मकानों की आवश्यकता का लक्ष्य निर्धारित किया, जबकि राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन ने 1981 की जनगणना के आधार पर 188 लाख मकानों का लक्ष्य निर्धारित किया। यदि जनसंख्या वृद्धि के परिणामस्वरूप भूमिहीन श्रमिकों की संख्या

तथा ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन श्रमिकों की संख्या भी जोड़ ली जाए, तो यह लक्ष्य और अधिक बढ़ जाएगा।

इससे योजना के प्रति उत्साह में कमी दिखाई दी। समिति ने यह अनुभव किया कि केवल तात्कालिक, समवेत, बहुमुखी तथा परिणामोन्मुखी कदमों से ही आवास की समस्या हल हो सकती है। इस सामाजिक दायितव को पूरा करने के लिए वित्तीय, शारीरिक, मानवीय और संस्थागत संसाधनों को प्राथमिकता के आधार पर जुटाने की आवश्यकता है।

सरकार के अनुसार, छठी योजना के दौरान तथा सातवीं योजना के पहले दो वर्षों में 70 लाख आवासीय भूखंड आबंटित किये गये और 26 लाख ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को निर्माण सहायता दी गई। इसके अलावा, सरकार ने अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों के कल्याण के लिए 'इंदिरा आवास योजना' शुरू की। सातवीं योजना के दौरान कुल लक्ष्य 10 लाख मकान बनाने का है।

दिसंबर 1972 में राष्ट्रीय विकास परिषद के लिए एक निर्णय के बाद भूमिहीन कृषि मजदूरों की आवास योजना को राज्यों को सौंप दिया गया। किन्तु आवासीय भूखंड बांटने के अलावा, पानी तथा सड़क की व्यवस्था जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना भी जरूरी है ताकि आबंटी भूमि का सदुपयोग कर सकें। राज्य सरकारों को इस बात के लिए राजी करना चाहिए कि वे इस सामाजिक दायित्व में हिस्सा बंटायें और योजनाएं शीघ्र क्रियान्वित करें। राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि वार्षिक योजन में आवासीय योजना के लिए निर्धारित राशि को अन्य विकास परियोजनओं में नहीं लगया जाये। सातवीं योजना में प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन परिवार को भूखंड विकास के लिए 500 रु० निर्धारित किये गये हैं। यह राशि भूमि अधिग्रहण के खर्च को पूरा करने तथा मूलभूत सुविधएं उपलब्ध कराने के लिए है।

आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) भी ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को ग्रामीण आवास की अनुमानित लागत अर्थात 6000 प्रतिशत अर्थात 3000 रु० देकर मकानों के निर्माण को प्रोत्साहन दे रहा है। किन्तु ग्रामीण आवास के मामले में वित्तीय क्षेत्रों-बैंकों की भूमिका बहुत निराशाजनक रही है। केरल ने स्वयंसेवी संस्थाओं से सहयोग लिया। शायद वह समय आ गया है कि अन्य राज्यों को भी ग्रामीण आवास और उसके विकास के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं से मदद लेनी चाहिये।

साथ ही केरल में कमजोर वर्गों के लिए सस्ते मकान बनवाने का दुखद अनुभव भी याद आता है, जिसमें स्थानीय निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। यह प्रयोग कुछ तद तक सफल भी रहा, किन्तु सस्ती निर्माण सामग्री की वजह से कुछ ही मकान ठीक-ठाक बन पाये। अतः उचित और खरी निर्माण सामग्री की आवश्यकता है। इसी तरह सस्ते मकानों के लिए देशी तकनीक भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। इस दिशा में अनेक प्रयोग हुए हैं, जिनमें अलग-अलग मात्रा में सफलता मिली है, हालांकि कोई समुचित तकनीक विकसित करने के लिए समन्वित प्रयास नहीं हुए हैं। ऐसी तकनीक विकसित करने की महती आवश्यकता है, जो भारतीय जीवन शैली के लिए उपयुक्त हो। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी स्थानीय निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने की तत्काल आवश्यकता है जो सीमेंट, इस्पात और लकड़ी का स्थान ले सके और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि यह निर्माण सामग्री मजबूत हो। आवास विशेषज्ञों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि मकान निर्माण के लिए सदियों से प्रयुक्त हो रही मिट्टी अब भी बेहद उपयोगी हो सकती है।

विशेषज्ञों ने अध्ययन करके यह पता लगाया है कि देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में बने कुल 11.8 करोड़ मकानों में से 6.5 करोड़ मकान मिट्टी से बने हैं। 80 से 90 प्रतिशत ग्रामीण जनता और 30 से 40 प्रतिशत शहरी जनता मिट्टी के बने मकानों में रहती है। इस स्थिति को देखते हुए विशेषज्ञों ने यह महसूस किया है कि भवन निर्माण सामग्री के रूप में मिट्टी को एकम पुराना या अनुपयक्त कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा स्थानीय संसाधन होने के कारण मिट्टी का उपयोग महत्वपूर्ण है और उससे शक्ति के अपव्यय से बचा जा सकता है। किन्तु यह भी सही है कि मिट्टी का मकान पानी में आसानी से नष्ट हो सकता है, इसलिए बाढ़ वाले इलाकों के लिए ऐसे मकान उपयुक्त नहीं हैं। साथ ही मिट्टी की छत भी बहुत कठिनाई से पड़ती है और मजबूत भी नहीं रहती। इसके लिए इसमें सीमेंट और फाइबर आदि मिलाये जा सकते हैं।

यह महसूस किया गया है कि मिट्टी के मकानों को प्रोत्साहन देने के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक समर्थन की जरूरत पड़ेगी। उसे राष्ट्रीय नीति का अंग बनाना पड़ेगा।

निर्माण-कला और इंजीनियरिंग को इसके अनुरूप ढालना होगा। सरकारी संस्थाओं को, बढ़ती आवासीय आवश्यकताओं तथा निर्माण सामग्री की सीमाओं को देखते हुए, मिट्टी द्वारा निर्माण कार्य को आवासीय समस्या के समाधान के रूप में मान्यता देनी होगी।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए सातवीं योजना का परिव्यय लगभग 9,000 करोड़ रुपये है। किन्तु शहरी क्षेत्र के अतिनिम्न आय वर्गों तथा ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन और मंझोले किसानों के लिए आवास की समस्या बहुत गंभीर है। जमीन बहुत महंगी है और पानी बिजली तथा जल-मल निकासी के साधन भी बहुत कीमती हैं। मजदूरी और निर्माण सामग्री में आई महंगाई की वजह से मकान निर्माण पिछले दो दशकों में बहुत महंगा हो गया है।

देश की इस गंभीर समस्या को देखते हुए, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अपनी एक दर्जन से अधिक प्रयोगशालाओं को आपस में मिलकर वैकल्पिक निर्माण सामग्री तैयार करने को कहा है और इसके लिए एक वृहत् कार्यक्रम भी शुरू किया है। इसमें कम कीमत की तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करके भवन निर्माण प्रक्रिया को सुचारू और तीव्र किया जायेगा।

केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, रूड़की ने भी इस दिशा में पहल की है। कम कीमत की वैकल्पिक निर्माण सामग्री का समुचित प्रयोग करने के लिए संस्थान राज-मजदूरों और जूनियर इंजीनियरों को प्रशिक्षण दे रहा है।

आवास की समस्या इतनी विकट हो गई है कि कस्बों के आस-पास की जमीन शहरी आवासों के निर्माण में काम आने लगी है। गांवों से शहरों में आकर बसे लोगों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में कस्बे शहरों और महानगरों में बदलते जा रहे हैं। यदि इस दिशा में कोई कारगर कदम न उठाये गये तो स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी। आज भारत में शहरी आबादी 16 करोड़ है और सन् 2000 तक यह संख्या 30 से 40 करोड़ तक हो जाएगी। इस स्थिति का कारण कृषि-भूमि पर बढ़ता दबाव और शहरों की चमक-दमक का आकर्षण है। किन्तु गांवों से आने वाले लोग अधिकतर शहरों की गंदी बस्तियों में आकर बसते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि जहां शहरी जनसंख्या में पांच गुनी वृद्धि हुई है, वहां उनके आवासों में केवल 77 प्रतिशत वृद्धि हुई है। ऐसी स्थिति में आवास समस्या का समाधान अत्यावश्यक हो जाता है।

हमें किसी भी हालत में ग्रामवासियों का शहरों में स्थानांतरण रोकना होगा। यह समस्या आर्थिक अधिक है। हमें इस मामले में पूर्वी देशों, विशेषकर सोवियत संघ से सबक सीखना होगा। सोवियत संघ में कोई भी ग्रामीण रोजगार की तलाश में या एक निश्चित अवधि से अधिक समय तक मास्को शहर में आकर ठहर नहीं सकता। ऐसा लगता है कि हमारी सरकार को भी ऐसी ही योजना प्रारंभ करनी होगी, किन्तु इससे पहले हमें गांवों और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों को, रोजगार की दृष्टि से, अधिक आकर्षक बनाना होगा। आवास की समस्या भी सरकार के सामने वैसी ही चुनौती रख रही है जैसी कि मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और गरीबी की समस्याएँ। अब वह समय आ गया है कि इक्कीसवीं सदी के आने से पहले ही इन समस्याओं को सुलझा लिया जाये।

अनुवाद : आलोक कान्त
III बी-92, नेहरू नगर,
गाजियाबाद-201002 (उ०प्र०)

सस्ते मकान बनायें

मधुकर तिवारी

इस लेख में लेखक ने पोटलैंड सीमेन्ट समस्या पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। उनका मत है कि हमारे देश में धान की भूसी की अधिकता है। लखनऊ के विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग ने इस भूसी द्वारा सीमेंटिंग मैटीरियल के निर्माण की प्रौद्योगिकी का विकास किया है। उनका दावा है कि इस बाइन्डर की उत्पादन लागत पोटलैंड सीमेन्ट से आधी से भी कम आती है तथा इस्तेमाल में भी अधिक उपयोगी है और इस प्रौद्योगिकी के द्वारा निर्माण लागत काफी कम हो सकेगी।

विश्व के कई प्रगतिशील देशों द्वारा पोटलैंड सीमेंट की कमी तथा दिन-प्रतिदिन उसके बढ़ते हुए मूल्यों को देखते हुए इसका विकल्प ढूँढ़ने पर शोध कार्य किये जा रहे हैं। मिट्टी, सुर्खी तथा चूना की भी इन देशों में आम जनता में काफी मांग रहती है परन्तु इनमें भंयकर कमियाँ हैं जैसे कि स्ट्रैथ, सेटिंग टाइम, हाईड्रोलिक गुणों की कमी जिस कारण इनके प्रयोग से भारी कुप्रभाव होते रहते हैं।

इस देश में धान की भूसी (एग्रीकल्चर वेस्ट) का बहुताय है और इसकी गुणवत्ता का परीक्षण करने के उपरान्त विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, लखनऊ द्वारा उससे सीमेंटिंग मैटीरियल (पी०आर०ए०डी० बाइन्डर) के निर्माण की प्रौद्योगिकी का विकास किया है। यह पी०आर०ए०डी० बाइन्डर मशीनरी कार्यों के लिए साधारण पोटलैंड सीमेन्ट के विकल्प के रूप में प्रयोग की जा सकती है तथा आर०सी०सी० के अलावा अधिकांश निर्माण कार्यों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बंधक सामग्री की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है।

उक्त शोध कार्य हेतु दिवियापुर जिला-इटावा के समीप सेहुद ग्राम में फैक्ट्री का निर्माण किया गया तथा संबंधित मशीनरी बालमिल, स्टार्टर आदि उपकरणों तथा चूना भट्ठी आदि का निर्माण किया गया। उक्त स्थान शोध कार्य हेतु इसलिए चुना गया कि यहाँ पर राइस मिल का बहुताय है। अतः इसके उत्पादन में प्रयोग होने वाले कच्चे माल, धान की भूसी की राख सुलभ ही उपलब्ध होती है। इस पी०आर०ए०डी० बाइन्डर में प्रयोग में आने वाले कच्चे माल के रूप में निम्न सामग्री का प्रयोग किया जाता है :— 1. धान की भूसी की राख (एक्टिव ऐश), 2. हाईड्रेटेड लाइम, 3. समिश्रक।

पी०आर०ए०डी० बाइन्डर तैयार करने हेतु प्रभाग द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गयी :—

चावल छिलका भस्म
अत्यधिक प्रक्रियाशील राख
बारीक पिसाई
हाईड्रेटेड लाइम मिलाना
समिश्रक की मिलायी
बाल मिल में पिसाई
पैकिंग इन बैग्स
मार्केट

देश में धान की भूसी (एग्रीकल्चर वेस्ट) का बहुताय है और इसकी गुणवत्ता का परीक्षण करने के उपरान्त विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, लखनऊ द्वारा उससे सीमेंटिंग (पी.आर.ए.डी. बाइन्डर) के निर्माण की प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है ।

प्रक्रियाशील राख को हाईड्रेटेड लाइम के साथ 2:1 के अनुपात में मिलाकर उसमें समिश्रक डालकर बालमिल में पिसाई की जाती है। इस प्रकार बाइन्डर का भौतिक परीक्षण स्ट्रकचरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, आई०आई०टी० कानपुर द्वारा कराया गया और प्राप्त आंकड़ों से यह ज्ञात हुआ कि इस बाइन्डर का प्रयोग प्लासटरिंग, मैशनरी, चिनाई, फ्लोरिंग आदि में निर्भीकतापूर्वक किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से प्रभाग ने स्वयं इसका कई स्थानों पर निर्माण कार्यों में प्रयोग कर इसकी गुणवत्ता का परीक्षण कर सिद्ध भी किया।

इस पी०आर०ए०डी० बाइन्डर का देश की विभिन्न संस्थाओं द्वारा इस क्षेत्र में किये जा रहे शोध कार्यों के सन्दर्भ में तुलनात्मक अध्ययन किये जाने की दृष्टि से सीमेंन्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली; पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेन्टर, तमिलनाडु; केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रूड़की; रीजनल रिसर्च लेब्रोटरी जोरहट, असम से पत्र व्यवहार द्वारा सूचनाएं तथा आंकड़े प्राप्त किये गये। इससे प्राप्त आंकड़ों का तुलनात्मक विवरण तालिका 1 में दिया गया है।

पी०आर०ए०डी० बाइन्डर की गुणवत्ता में और अधिक सुधार लाये जाने के दृष्टिकोण से शोध कार्य किया गया और इसके फलस्वरूप फैक्ट्री पर ही चूने भट्ठी का निर्माण कार्य कराया गया। चूने-पत्थर क्रय कर इस भट्ठी में पत्थर पकाकर लाइम तैयार किया गया और इस प्रकार सीमेंटिंग मैटेरियल उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किये जाने वाले हाईड्रेटेड लाइम का प्रयोग सीमेंटिंग मैटेरियल के उत्पादन में किया गया। तदोपरांत भौतिक परीक्षण के आंकड़े तालिका 2 में दिए गए हैं।

तालिका 1

मद का नाम	एल०पी० 40	एल०पी० 40	एल०पी० 7	आर०आर०एल० जोरहट	सी०बी०आर० आई०, रूड़की	पी०आर०ए०डी०
1. इनीशियल	120	120	120	70-130 मिनट	60-90 मिनट	95 मिनट
2. फाइनल सेटिंग टाइम	1440	2160	2880	120-240 मिनट	480-600 मिनट	235 मिनट
3. 3 दिन कम्प्रेशिव स्ट्रैथ	—	—	—	—	—	86 के०जी०/ से०मी०^2
4. 7 दिन कम्प्रेशिव स्ट्रैथ	20	10	3	20-35 के०जी०/ से०मी०^2	11 के०जी०/ से०मी०^2	142 के०जी०/ से०मी०^2
5. 28 दिन कम्प्रेशिव स्ट्रैथ	40	20	7	50-80 के०जी०/ से०मी०^2	23-50 के०जी०/ से०मी०^2	167 के०जी०/ से०मी०^2

तालिका 2

क्रम संख्या	नेम ऑफ टेस्ट	वेल्युज ओबटेन्ड	वेल्युज स्पेसीफिकेशन इन आई०एस० 1489
1.	फाइनेस बाई 90 मिक्रोन शीव	9.3%	10% मेक्जिमम
2.	साउन्डनेश इक्सपेंशन	1.5 एम०एम०	10 एम०एम० मेक्जिमम
3.	सेटिंग टाइम		
	इनीशियल	52 मिनट	300 मिनट मिनिमम
	फाइनल	568 मिनट	600 मिनट मेक्जिमम
4.	कम्प्रेशिव स्ट्रैन्थ		
	3 डेज	228 के०जी०/ से०मी०^2	220 के०जी०/ से०मी०^2
	7 डेज	332 के०जी०/ से०मी०^2	310 के०जी०/ से०मी०^2

पी०आर०ए०डी० बाइन्डर द्वारा प्रभाग में विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य कराया गया जिसके परीक्षण से आज भी विदित होता है कि यह काफी सुदृढ़ और मजबूत है तथा इसका तुलनात्मक अध्ययन करने हेतु फैक्ट्री पर राखी चूना, राबिस चूना, पोटलैंड सीमेन्ट से निर्माण कार्य कराया गया। पी०आर०ए०डी० बाइन्डर से उपरोक्त की गुणवत्ता तथा निर्माण कार्य में आयी लागत का तुलनात्मक अध्ययन किया गया और प्राप्त आंकड़ों से विदित होता है कि पी०आर०ए०डी० बाइंडर गुणवत्ता में उपरोक्त से अधिक उपयोगी हैं तथा निर्माण कार्य पर आयी लागत उपरोक्त से कहीं कम है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पी०आर०ए०डी० बाइन्डर से पूर्व में कानपुर रोड की आवासीय कालोनी पर दो भवनों का निर्माण कार्य कराया गया है। निर्माण कार्य से प्रभावित होकर कुर्सी रोड स्थित कालोनी में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उनकी कालोनी में निर्माण कार्य कराया जा रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री शैलेष कृष्ण, आई०ए०एस०, इस पी०आर०ए०डी० बाइन्डर की गुणवत्ता से बहुत अधिक प्रभावित हुए और इस संबंध में अपने अधीनस्थ अधिशासी अभियंता द्वारा इस प्रकार की प्रौद्योगिकी का अध्ययन कर नये प्लांट अपने अधीनस्थ लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इस प्रकार लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सस्ते मकान तैयार कर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाना संभव हो सकेगा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उत्पादित इस बाइन्डर की उत्पादन लागत पोटलैंड सीमेन्ट की आधी से भी कम है। प्रभाग द्वारा इस प्रकार की प्रौद्योगिकी का विस्तार किया जा रहा है। ऐसी आशा की जा रही है कि चूना-पत्थर एवं धान की मिलों वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के प्लांट लगाये जाने पर उत्पादित सीमेन्टिंग मैटेरियल का उत्पादन मूल्य लगभग 15 से 20 रुपये के बीच आने की सम्भावना है।

राज्य तथा देश के अन्य राज्यों में भी उद्यमकर्ताओं द्वारा इस प्रकार की प्रौद्योगिकी लगाये जाने हेतु अनुरोध पर तकनीकी परामर्श दिये जाने का भी कार्य प्रभाग द्वारा किया जा रहा है। प्रभाग के निदेशक एवं विशेष सचिव श्री हरीश चन्द्र, आई०ए०एस० द्वारा कार्य हेतु अधिकारियों को प्रोत्साहित किये जाने के फलस्वरूप ही यह कार्य सम्भव हो सका है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न मण्डल विकास निगमों के माध्यम से इस प्रकार के प्लांट लगाये जाने का कार्य किया जा रहा है।

वरिष्ठ शोध अधिकारी (ग्रामीण उद्योग)
विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग,
राज्य नियोजन संस्थान्,
कालाकांकर भवन,
लखनऊ।

इन्दिरा आवास योजना-समीक्षा

बी.एस. मूर्ति, सलाहकार (इन्जीनियरिंग)
ग्रामीण विकास विभाग

अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और मुक्त हुए बन्धुआ मजदूरों से सम्बन्धित गरीबों में भी गरीब लोगों के लिए कम लागत वाले मकानों के निर्माण की इन्दिरा आवास योजना सन् 1985-86 से अमल में लायी जा रही है। तीन वर्ष की इस अल्पावधि में 5 लाख से अधिक मकानों के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। इस कार्य के लिए प्रदत्त राशि का प्रयोग राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की इच्छा पर होगा। जानकार सूत्रों के अनुसार विनिर्माण के विविध स्तरों के अनुरूप 3 लाख से भी अधिक मकानों का निर्माण किया जा चुका है। वस्तुतः यह अपने आप में एक महान उपलब्धि है। इससे लाभार्थी पूर्णतः संतुष्ट हैं। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत यह एक लोकप्रिय योजना साबित हुई है। कुल मिलाकर विनिर्मित मकान गुणवत्ता तथा टिकाऊपन की दृष्टि से काफी अच्छे हैं। साथ ही इनमें आधारभूत सुविधाएँ जैसे-पहुँच सड़क, आंतरिक सड़क, अपवहन, धुँआ-रहित चूल्हा, सुलभ शौचालय, पेड़-पौधे आदि की भी व्यवस्था की गई है। पहली बार 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र-संख्या- 14 की परिपूर्ति के लिए इतने बड़े पैमाने पर ग्रामीण आवास कार्यक्रम को आरम्भ किया गया है। अब तक मिले परिणाम उत्साहवर्द्धक साबित हुए हैं। हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। लाभग्राहियों की अब तक उपेक्षित जरूरतों को इस योजना और डिजाइन के अन्तर्गत लाया गया है। लाभग्राहियों की भागीदारी को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, जो कि आवास योजना को सफल बनाने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। ज्ञात संयोजनों के आधार पर विचारित सभी प्रकार के निवेशों के संश्लेषण और संघटन को लाभार्थियों के पेशे तथा व्यापक प्रयोग के अनुरूप सुव्यवस्थित रूप से एक ही दिशा में विकेन्द्रित किया जाए। आयोजन तथा डिजाइन इस तरह का होना चाहिए जो न केवल आवास योजना सम्बंधित कुछ मूलभूत तत्त्वों तक ही सीमित हो, अपितु इसमें समस्त पहलुओं को भी व्यापक रूप से समाविष्ट किया जाना चाहिए। सभी विचार सुस्पष्ट होने चाहिएं जिससे उन्हें कार्यरूप में परिणत किया जा सके।

अब हम इस योजना के कार्यान्वयन के उस स्तर पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर इसके निष्पादन का गुणात्मक रूप से मूल्यांकन किया जाना है, ताकि गुणात्मक निष्पादन के उच्चतर स्तर के आधार पर इस महत्वपूर्ण योजना के लक्ष्य को ध्यान में रखते हूए इसका संवर्धन किया जा सके। इस लेख में गुणात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि 'इन्दिरा आवास योजना', 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम'। 'ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम' का एक घटक है, जो गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रम की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। अतएव गरीबों में गरीब लोगों के लिए उन्नत आवास संकल्पना ही हमारा एक मात्र उद्देश्य नहीं है। आवास योजना तो हमारे ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लक्ष्य का एक साधन मात्र है, जिसके जरिए लाभार्थियों के जीवन-स्तर में सुधार लाया जा सकता है। प्रदत्त आवास परिसम्पति के होने से लाभार्थी समाज में अपनी प्रतिष्ठा कायम कर लेता है। इससे उसके मन में अच्छा जीवन बिताने की ललक बनी रहती है। साथ ही इससे बचत करने की आदत भी बनती है। महिलाएँ भी घर की साफ-सफाई करने, पानी लाने जैसे नीरस कार्यों और धुएँदार चूल्हे के कारण स्वास्थ्य बिगड़ने की सम्भावनाओं से स्वयं को बचा लेती हैं। वे उत्पादक कार्यों को हाथ में ले सकती हैं। हालाँकि आवास अपने-आप में कोई उत्पादक परिसम्पति तो नहीं, परन्तु यह उत्पादकता की प्रेरणा अवश्य देता है। दूसरे, वांछित सामाजिक परिवर्तन लाने का यह एक आर्दश तरीका है। यदि इसे उचित रूप से लागू किया जाए तो ग्रामीण जीवन में एक नए युग का सूत्रपात हो सकता है।

एकीकृत और समन्वित आधार पर क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वप्रथम लघु-आवास पहलू के स्पष्ट संप्रत्ययीकरण एवं कार्यक्रमण की जरूरत है। इसमें सभी मूलभूत सुविधाएँ, जैसे-भूमि-विकास, जलापूर्ति, सफाई,

पहुँच सड़क और जल-निकास व्यवस्था आदि, जो कि परियोजना के अन्तर्गत आती हैं, समाविष्ट हैं। ये मूलभूत सुविधाएँ कल्याणकारी उपायों, सामुदायिक हितों, जो कि विविध ग्रामीण विकास एवं सामाजिक कल्याण योजनाओं के जरिए स्थानीय आवश्यकताओं जैसे—सामाजिक वानिकी, पशुपालन, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा-सुविधा और कुछ आर्थिक उन्नयन के उपायों से भी सम्बद्ध हैं। इस तरह के ज्ञात क्रियाकलाप व्यवसाय, कौशल और स्थानीय जरूरतों के मुताबिक होने चाहिए। यद्यपि हमारा आशय जोखिम उठाने से नहीं है, किन्तु यह सब कुछ स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर ही किया जाना है। यह एक विशिष्ट क्षेत्र है। यह एक ऐसी 'एक-त्रय योजना' (थ्री-इन-वन) है जिसमें ग्रामीणों के जीवन को आदर्श और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जीवन की तीन आधारभूत सुविधाओं या आवश्यकताओं को सुनिशचत करना है। आवास जीवन का एक प्रमुख अंग है। इसलिए व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें जीवन के सभी प्रकार्यों को तथा उपभोग से उत्पादन को जोड़ा जा सके। इसके तहत् अर्द्धकुशल और कुशल श्रमिकों के अलावा अकुशल श्रमिकों के लिए अधिकतम रोजगार जुटाने चाहिए ताकि उनके जीवन में उत्पादक जोखिम को स्थान मिल सके। जहाँ तक सम्भव हो इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना चाहिए। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यापक आधार पर आयोजन और विशिष्ट उपयुक्त नमूनों के आधार पर आवास समूहों के लिए तैयार किया जाना चाहिए। सच तो यह है कि प्रत्येक जिले के लिए विशिष्ट नमूने तैयार करने की आवश्यकता को सर्वत्र महसूस किया गया है।

दूसरी ओर इन्दिरा आवास योजना की मार्गदर्शिकाएँ विविध सामाजिक सांस्कृतिक, भू-भौतिक और जलवायु सम्बन्धी अवस्थितियों के अनुरूप बसावटों के विकास पर विचार करती हैं। इन मकानों की व्यवस्था वृत्तिमूलक होनी चाहिए जो कि लाभर्थियों की वर्तमान आदतों से मेल खाती हों, क्योंकि यह देखने में आया है कि सदियों से किसानों द्वारा भू-भौतिक और जलवायु विषयक अवस्थाओं के अनुरूप ही स्थानीय उपलब्ध सामग्री के प्रयोग का उपयुक्त तरीका अपनाया जा रहा है। परम्परागत ग्रामीण आवास सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों में आरामदायक होते हैं। पहले के किसान समझदार थे जो कि विभिन्न जलवायु विषयक अवस्थाओं को ध्यान में रखकर ही स्थानीय सामग्री का प्रयोग करके छतों को डालते थे। इसीलिए गर्म और शुष्क क्षेत्रों में मोटी छत तथा तटीय पहाड़ी क्षेत्रों में पतली ढलवाँ छतें डाली जाती थीं। देश के एक छोर से दूसरे छोर तक छतों के विविध रूप, आकार और शैलियाँ देखी जा सकती हैं, जो कि प्रत्येक उप-क्षेत्र की आवश्कताओं के अनुरूप बनी हुई हैं। उदाहरण के लिए, पूर्वी तटीय क्षेत्रों में, पिलभरा छतों से ढके मिट्टी के मकानों का निर्माण शंकुरूप खड़ी ढलवाँ प्रलम्बी मिट्टी की दीवारों के साथ किया जाता है ताकि चक्रवात के प्रभाव से मकानों को सुरक्षित रखा जा सके। इन मकानों को कलात्मक स्थायित्व प्रदान किया जा सकता है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में लकड़ी के हल्के मकान स्थानीय तौर पर उपलब्ध सामग्री का प्रयोग करते हुए बनाए जाते हैं। ये मकान जमीन से कुछ ऊँचे उठे होते हैं ताकि बाढ़ का पानी इन मकानों में न जा सके। इन मकानों की बनावट बाढ़ तथा भूकम्प से बचने की परम्परागत तकनीकों को दर्शाती है। इस प्रकार के उपयुक्त नमूनों, जैसे-असमी, केरल, राजस्थानी नमूने आदि, जिनका निर्माण स्थानीय अवस्थितियों के अनुरूप है, की संख्या अत्याधिक है। प्रत्येक नमूना परिस्थिति-विशेष के अनुरूप है। इसीलिए असमी मकान का नमूना (मॉडल) केरल के सन्दर्भ में प्रासंगिक नहीं है। इसी वजह से प्रत्येक क्षेत्र के अपने विशिष्ट नमूने हैं। यहाँ तक कि एक ही राज्य के अन्तर्गत आने वाले उप-क्षेत्रों में पाये जाने वाले नमूने एक दूसरे से भिन्न हैं। आजकल इस पहलू पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि एक ही राज्य के अन्तर्गत आने वाले पहाड़ी या तटीय या मैदानी क्षेत्रों को ध्यान में न रखकर पूरे राज्य में न्यूनाधिक रूप से एक ही तरह के नमूनों का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान ढाँचा व्यावहारिक नहीं है। इसमें नवीन दृष्टिकोण का अभाव है। ज्यामितिय सामूहिक आवास पद्धति से लाभ की बजाय हानि ही हुई है। इन नमूनों के निर्माण के पीछे उदासीनता और नीरसता का भाव दिखाई देता है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि घर बनाने के लिए पर्याप्त-जगह की जरूरत होती है। इसीलिए स्थानीय योजना तैयार करते समय अच्छे रोशनदान और पर्यावरण-जनित सुविधाओं को सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए। ताकि, गृह-निर्माण की ऐसी अच्छी स्थिति पैदा की जा सके, जो प्राकृतिक सुविधाओं को जुटाने में समर्थ हो। उदाहरण के लिए मकानों का निर्माण इस तरह किया जाए, जिसमें गर्मी में छाया और सर्दी में धूप आ जा सके। ऐसा ही एक उदाहरण पूर्वी तटीय क्षेत्रों में 'इन्दिरा आवास योजना' के अन्तर्गत

निर्मित आवास-समूहों को देखने पर मिलता है, जहाँ हाल ही में दौरा किया गया। यहाँ मकान दो पंक्तियों में एक दूसरे के समानान्तर बने हुए हैं और उनमें लैटराइट ब्लॉक और सीमेन्ट टाइल्स का प्रयोग किया गया है। निर्माण का स्तर काफी अच्छा था। अभियांत्रिकी दृष्टि से भी मकान अच्छे और टिकाऊ थे। लाभार्थियों की झोपड़ियाँ भी इन मकानों के पास ही थीं। परन्तु लाभार्थी असुविधा महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनका यह मानना था कि टाइल्स शीघ्र ही नष्ट हो जायेंगी इससे अच्छे तो हमारे टूटे-फूटे मकान ही हैं गहन अध्ययन के बाद यह पाया गया कि इन मकानों का निर्माण हवा की विपरीत दिशा में किया गया है। हवा के तेज प्रवाह के कारण दरवाजों और खिड़कियों को बन्द ही रखना पड़ता था। यह गलत आयोजन का एक विशिष्ट उदाहरण है। इन मकानों को हवा की दिशा के अनुकूल ही बनाना चाहिए था। दूसरी ओर पर्यावरण सम्बंधी सुधार के अतिरिक्त इन मकानों में हवा के तेज प्रवाह से बचने के लिए आश्रय की जरूरत थी। गलत आयोजन को सुधारने का यही एक मात्र उपचार है। यह उन विषमताओं को दर्शाता है, जिनसे गलत आयोजन की रूप-रेखा तैयार होती है।

मकानों के निर्माण के लिए उपयुक्त सामग्री का चयन, इस पर पड़ने वाली लागत, श्रमिक प्रधानता और मकान की वास-योग्यता तथा टिकाऊपन पर निर्भर करता है। अभी फिलहाल कुल मिलाकर, इस योजना के अन्तर्गत निर्मित मकानों में पक्की ईंट की दीवारों, मंगलूर टाइल्स तथा आर.सी.सी. छतों का प्रयोग किया जा रहा है। टाइल्स की छतों में टाइल्स को टिकाए रखने के लिए लकड़ी के ढाँचे की जरूरत पड़ती है। अतः जब तक कि अच्छी किस्म की पक्की लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तब तक छतों का निर्माण सन्तोषजनक नहीं होगा। कड़ियों के लिए लकड़ी के प्रयोग के स्थान पर पहले से ढली आर०सी० कड़ियों का या वैकल्पिक चादरों को प्रयोग किया जा सकता है, जिससे यथासम्भव लकड़ी के प्रयोग में कमी लाई जा सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में छतों के निर्माण के लिए सी.जी.आई चादरों का प्रयोग किया जाता है। इन चादरों की माँग बढ़ती जा रही है। विशेषकर, पहाड़ी क्षेत्रों में सी०जी०आई० चादरों की प्राप्ति एक अड़चन बनी हुई है। हल्की-फुल्की परन्तु मजबूत वैकल्पिक छत सामग्री की जरूरत न केवल पहाड़ी क्षेत्रों में है, अपितु तटीय क्षेत्रों में भी है जहाँ पर चक्रवात और तूफानी हवाओं के कारण टाइल्स टिका नहीं पाते। आर०सी०सी० सीमेन्ट और स्टील जैसी ऊर्जा-उन्मुख उत्पादन सामग्री को भी बढ़ावा देता है। पक्की ईंटें बनाने में भी उर्जा की खपत होती है। दूसरे ओर इन मँहगी सामग्रियों को इनके उत्पादन-केन्द्रों से लाने के लिए परिवहन सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्य के लिए उच्चस्तरीय कौशल की आवश्यकता होती है जिसका ग्रामीण क्षेत्रों में नितान्त अभाव है। लम्बी दूरी के परिवहन के कारण गैर-मजदूरी घटक 50% की सीमा को भी पार कर जाते हैं, और यही नहीं, अपितु ये सामग्रियाँ गर्म तथा शुष्क-क्षेत्रों के लिए भी अनुपयुक्त हैं। इन सामग्रियों से बने मकान काफी गर्म होते हें, जो रहने के लिए आरामदेह नहीं हैं। इसीलिए ग्रामीण आवास के सन्दर्भ में कंकरीट तथा ईंटों की प्रौद्योगिकी अनुपयुक्त है। आम लोगों की दृष्टि में भी ये मकान टिकाऊ नहीं हैं। आर०सी०सी० कुछ ही वर्षों में नष्ट हो जाती है, जिससे छतें टूट जाती हैं। परम्परागत रूप से, अच्छे अनुभवी किसानों ने स्थानीय उपलब्ध सामग्री जैसे-कृषीय अपशेष पदार्थों, फूस (छप्पर) पिलमारा और नारियल की पत्तियों के अतिरिक्त मिट्टी बाँस और लकड़ी का भी मकानों की छतें बनाने में इस्तेमाल किया है। काफी समय से किसानों ने स्थानीय उपलब्ध सामग्री को उपयोग करते हुए दो तीन मंजिलों वाले कच्चे मकानों के विनिर्माण की प्रौद्योगिकी को विकसित किया है। हालांकि ये मकान पक्के एवं टिकाऊ नहीं हैं, लेकिन फिर भी आरामदायक हैं। आज भी अधिकांश ग्रामीण मकान मिट्टी की दीवारों के ही हैं। परन्तु आज बांस और लकड़ी की सामग्री मिलनी दुर्लभ हो गयी है। विशेषतया लकड़ी का संरक्षण करना उपभोग करने से ज्यादा जरूरी हो गया है। इसी वजह से, इन दोनों सामग्रियों का विकल्प खोजना नितांत आवश्यक है। साथ ही वर्तमान आवास निर्माण सामग्री गुणवत्ता भी निकृष्ट है। इसके अतिरिक्त ये सामग्रियाँ अग्नि, कीट एवं आर्द्रता निरोधक भी नहीं हैं। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। मूल रूप से परम्परागत प्रौद्योगिकी का उत्थान ही सबसे उत्तम तरीका होगा। हमारे देश को परम्परागत प्रौद्योगिकी एवं ग्रामीण शिल्पकला व्यापक रूप से विरासत में मिली है। मृदा प्राद्योगिकी उस सीमा तक विकसित हो गयी है कि स्थानीय कौशल के प्रयोग से विभिन्न प्रकार की मृदाओं को संसाधित कर कम लागत की मजबूत और टिकाऊ विनिर्माण ईकाईयों की स्थापना की जा सकती है। जब संपीड़ित मिट्टी के ब्लॉक को चूने या चूना-सीमेंट के साथ मिश्रित कर लिया जाता है तो इस प्रकार

की ईंटें जली ईंटों के बराबर ही पक्की होती हैं। भारत के मध्यवर्ती और दक्षिणी क्षेत्रों में जहाँ रेतीली मिट्टी एवं काली मिट्टी के बड़े क्षेत्र हैं, वहाँ सरल प्रौद्योगिकी से इन मिट्टियों में चूने की अभिक्रिया द्वारा मजबूत-अनजली ईंटों को तैयार किया जा सकता है। इसी प्रकार लैटराइट मिट्टी जो कि पूर्वी तटों में मिलती है को भी सरल प्रौद्योगिकी द्वारा मजबूत और टिकाऊ ब्लॉकों में संसाधित किया जा सकता है। यहाँ तक छत-निर्माण सामग्री का आवास-स्थल पर ही उत्पादन किया जा सकता है। ऐसी कुछ सरल प्रौद्योगिकी विधियाँ भी हैं, जिसके द्वारा विनिर्माण स्थल पर ही कृषि-औद्योगिक अपशेषों को प्रयोग में लाकर छत की चादरों का निर्माण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए देश के कुछ भागों में नारियल-जूट एक अपशिष्ट उत्पादन है, जिसका उपयोग जूट सीमेंट की चादरों के निर्माण में किया जा सकता है। इस तरह की चादरें ए० सी० चादरों की अपेक्षा अधिक मजबूत होती हैं। आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पाण्डिचेरी में कुछ एक स्वैच्छिक संगठन इस तरह के कार्यों में जुटे हुए हैं। कुछ एक विकल्प जो प्रत्येक क्षेत्र के लिए उपलब्ध हैं, सरल, विकसित, परम्परागत प्रौद्योगिकी की कसौटी पर खरे उतरते हैं। इसलिए अब केवल स्थानीय उपलब्ध सामग्री के सही चयन का प्रश्न ही शेष रह जाता है। इस चयन में सीमेंट, इस्पात, लकड़ी और पक्की ईंटों के प्रयोग को कम से कम महत्त्व दिया जाता है। दूसरे, इससे ऊर्जा की खपत भी कम होगी जो कि आजकल उत्पादन और परिवहन क्षेत्र में निरन्तर मंहगी होती जा रही है। इन सामग्रियों को अन्य क्षेत्रों से खरीदकार मंगवाने की बजाय इस तरह के प्रयास किए जाँए, जिससे इन सामग्रियों का उत्पादन विनिर्माण स्थलों के नजदीक ही किया जा सके। इससे भी अधिक महत्त्व की बात यह है कि इस दृष्टिकोण को अपनाने से ग्रामीण आवास योजना पर व्यय की जाने वाली निवेश राशि को बचाया जा सकता है। साथ ही इससे स्थानीय लोगों को मिलने वाले लाभ के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन मिलेगा। क्रियान्वयन की वर्तमान व्यवस्था में गाँवों की अपेक्षा शहरों में पूँजीगत उद्योगों में अधिक निवेश लगाया जा रहा है। जैसा कि पहले ही व्यक्त किया जा चुका है, इस योजना को उत्पादक उद्यम का रूप देने के लिए प्रचलित व्यवस्था को बदलना होगा।

कम लागत वाली प्रौद्योगिकी के रूप में ज्ञात उपयुक्त प्रौद्योगिकी का, जिसमें स्थानीय तौर पर उपलब्ध सामग्री का प्रयोग किया जाता है, अर्थ अक्सर गलत लगाया जाता है, इसका अर्थ गुणवत्ता, या टिकाऊपन या अभियांत्रिकी मानकों को छोड़ने से नहीं है। इसका एकमात्र लक्ष्य गुणवत्ता और टिकाऊपन को बरकरार रखकर तथा महंगी और ऊर्जा-खपतीय सामग्री का प्रयोग न करते हुए, उत्तम अभियांत्रिकी प्रबन्ध के जरिए लागत व्यय को कम करना है। सन् 1973 के ऊर्जा संकट के बाद सारे विश्व में ऊर्जा की खपत के लिए वैकल्पिक संसाधनों की खाजे की जा चुकी है। प्रायः सभी विकासशील देशों में मृदा प्रौद्योगिकी का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि आस्ट्रेलिया, जर्मनी और अमरीका जैसे विकसित देशों में भी मृदा के विविध प्रयोग उपयोग में लाए जा रहे हैं। मिट्टी न तो सस्ती सामग्री है और न ही इसका प्रयोग केवल गरीबों तक सीमित है। जैसा कि पहले ही व्यक्त किया जा चुका है, नगरीय शैली के स्वच्छ और परिसज्जित मकानों के लिए उपयुक्त की जाने वाली पक्की ईंटों की तरह मृदा को भी ठोस आधार दिया जा सकता है। चालीस वर्ष पूर्व निर्मित आदर्श शहर 'लुधियाना' इस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। ग्रामीण विकास विभाग जागृति लाकर गलत अवधारणओं को दूर करने की दिशा में क्षेत्रीय कार्यशालाओं का सिलसिलेवार आयोजन कर रहा है, ताकि इस योजना के क्रियान्वयन की दिशा में राज्य सरकार के अधिकारियों को सहायता मिल सके। इसके अच्छे परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं। यह देखने में आया है कि कम लागत की प्रौद्योगिकी को व्यापक स्तर पर स्वीकार किया जाने लगा है और कुछ स्थानों में तो इन प्रौद्योगिकियों के आधार पर परियोजनाओं को प्रतिपादित किया जा चुका है। श्रम प्रधानता, किफायती लागत, ऊर्जा संरक्षण और सस्ती सामग्री आदि समस्याओं का हल उपयुक्त प्रौद्योगिकी में निहित है। प्रत्येक उप-क्षेत्र के लिए इन प्रौद्योगिकियों का चयन और विकास समान रूप से करना होगा। राज्यों केन्द्रशासित प्रदेशों को उपयुक्त नमूनों के आधार पर प्रौद्योगिकी प्रतिरूपों के विकास के लिए समुचित प्रयास करने होंगे।

खादी व ग्रामोद्योग आयोग और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निगम (एन. आर. डी. सी.) के जरिए इस तरह की सामग्री के उत्पादन और संवर्धन के लिए संस्थागत सहायता उपलब्ध की गयी है। यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति दिन एक टन क्षमता तक के चूना उत्पादन के लिए भी खादी ग्रामोद्योग आयोग एकमुश्त सहायता प्रदान करता है। देश के कई भागों में इन संस्थाओं के द्वारा कारीगरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा

है। चूना उत्पादन के लिए इस योजना को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा सकता है। चूना उद्योग प्राचीनतम उद्योगों में से एक है, जो लगभग परिसमाप्ति की कगार पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस परम्परागत उद्योग की पुनर्स्थापना का यही उपयुक्त समय है। चूने की एक बोरी की कीमत 25 रूपये के आसपास बैठती है जबकि सीमेन्ट की बोरी 75 रूपये की पड़ती है। इससे चूने के प्रयोग से होने वाले लागत परिलाभ का संकेत मिलता है। इन संस्थाओं में टाइल उत्पादन जैसी दूसरी गतिविधियों को भी स्थान दिया गया है। भारतीय पैट्रो-रसायन निगम, बड़ौदा ने स्थान-विशेष पर टाइल्स को जलाने के बेहतर तरीके के लिए आवाँ का एक नया डिजाइन तैयार किया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली भी कृषि-औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों जैसे फ्लाई ऐश, लैटराइट ब्लॉक, जूट सीमेन्ट के तख्ते, धान-भूसी के तख्ते आदि के उत्पादन में सहायता कर रहा है। राज्य सरकारें सस्ती भवन-निर्माण सामग्री के लिए इन संस्थानों से मिलने वाली सहायता से लाभान्वित हो सकती हैं।

अन्तिम विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि लाभार्थियों की स्वीकार्यता इस योजना की सफलता के लिए एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। इस योजना के क्रियान्वयन में लाभार्थियों की सक्रिय भागीदारी के बिना लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जहाँ कहीं भी लाभार्थियों ने सक्रिय रूप से इन कार्यक्रमों में भाग लिया है वहाँ पर अच्छे नतीजे ही सामने आये हैं और लाभार्थियों को इससे पूर्ण संतुष्टि भी मिली है। अभी फिलहाल लाभार्थियों की भागीदारी में वास्तविकता कम जागरूकता आती है, उनकी साझेदारी इसमें कुछ हद तक बढ़ जाती है। जब तक उनकी साझेदारी इसमें शामिल नहीं की जाती, तब तक वर्तमान परिस्थितियों में उनके सहयोग को पाना कठिन है। यह अनुभव किया गया है कि इस व्यवस्था में लाभार्थियों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कुछ वांछित तत्त्वों को प्रोत्साहन दिया जाए। इसलिए शत-प्रतिशत आर्थिक सहायता को 75% तक सीमित कर दिया जाना चाहिए और शेष 25% सहायता के लिए लाभार्थियों का सहयोग लिया जाना चाहिए।

संक्षेप में लाभार्थियों की भागीदारी के जरिए कम लागत की श्रम-प्रधानता पर जोर देकर व्यवहार्य लघु-बसावटों के विकास के लिए उपयुक्त नमूनों और प्रौद्योगिकी को अमल में लाकर ही गुणात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। योजना, डिजाइनिंग और क्रियान्वयन के निर्धारण के साथ जुड़ा हुआ शहरी दबाव इस गुणात्मक परिवर्तन के मार्ग में एक ऐसी बड़ी बाधा है जिसको पार करना होगा। ग्रामीण आवास, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण और तकनीकी रूप से शहरी आवास से सर्वथा भिन्न है। ये वे सच्चाइयां हैं जिनकी जानकारी इस योजना के क्रियान्वयन के दौरान अर्जित किए गए अनुभवों के आधार पर प्राप्त हुई है।

अनुवाद: हरीश कुमार खजेड़ा
द्वारा, श्री राजेश्वर प्रसाद
सैक्टर-5/489,
राम कृष्ण पुरम
नई दिल्ली-110002

ग्रामीण आवास से जुड़ी हैं कुछ जरूरी बातें

हरि विश्नाई

रहने के लिए 'घर' हमारी बुनियादी जरूरतों में से एक है। लेकिन घर बनाना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। भारत की तीन चौथाई जनता गांवों में रहती है। जहाँ आवास की समस्या बहुत बड़ी है। लेकिन आजादी के बाद के चालीस वर्षों में जो प्रयास हुए हैं उनमें इस दिशा में बहुत कुछ बदलाव आया है। दशा सुधरी है।

बजट में बढ़ावा

वर्ष 1988-89 के बजट में ग्रामीण आवास के लिए एक अरब की राशि निर्धारित की गई है जो राष्ट्रीय आवास बैंक को दी जाएगी। भूमि विकास बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वे किसानों को मकान बनाने के लिए भी ऋण की सुविधा प्रदान करें। 700/= रु० प्रति माह की आमदनी वाले निर्धन परिवारों को केवल 7 प्रतिशत की रियाती दर पर आवास ऋण प्रदान किया जाए। इस ऋण को 22 वर्षों में अदा करना होगा। पुराने मकानों तथा छप्पर आदि की मरम्मत और झोंपड़ियों को पक्का करने के लिए भी सहायता दी जाएगी। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा गाँवों में घर बनाने के लिए दी जाने वाली राशि 150 करोड़ रुपये थी जिसे बढ़ा कर अब 300 करोड़ कर दिया गया है ताकि अधिकाधिक गाँववासी उसका लाभ ले सकें।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत गाँवों में जमीन उपलब्ध कराने और निर्माण सहायता का प्रावधान किया गया है। अनुमान है कि 70 लाख भूमिहीनों को फायदा होगा। इस योजना के अन्तर्गत हर परिवार को 93 वर्गमीटर जमीन मुफ्त दी जाएगी। जमीन के विकास के लिए 500 रुपये और निर्माण सहायता के रूप में 2000 रुपये दिए जाने का प्रावाधान है। उद्देश्य यह है कि लोग खुद उसके लिए कोशिश करें। 1987-88 में ग्रामीण मकान निर्माण योजना के लिए 33 करोड़33 लाख रुपये मन्जूर किए गए थे।

ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी सहयोग

पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय सुविधाओं के अभाव से अनेक समस्याएँ जन्म लेती हैं। स्वच्छ एवं स्वास्थ्य वर्धक वातावरण नहीं बन पाता जिससे पर्यावरण की स्थिति बिगड़ती है। गन्दी बस्तियों में बीमारियां तथा अपराध बढ़ते हैं। इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय आवास अधिकार अभियान भी चलाया जा रहा है। जिसमें अनेक संगठन एवं स्वयंसेवी संस्थाएं शामिल हैं यह हमारी इस धारणा को भी खण्डित करता है कि मकानों की जरूरत या किल्लत सिर्फ शहरों में है। निश्चय ही इस अभियान से एक ऐसा वातावरण तैयार होगा जो अनूकुल जनमत प्रदान करेगा तथा ग्रामीण आवास की समस्या को सुलझाने में जनता की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाएगा।

हुडको की उपलब्धियाँ

- 28 लाख से भी अधिक घरों को वित्तीय सहायता।
- 15 लाख से भी अधिक घर ग्रामीण इलाकों में।
- 88 प्रतिशत घर कमजोर और कम आय वाले वर्गों के लिए।
- 130000 घर बाढ़ और तूफान ग्रस्त परिवारों के लिए।
- ऊर्जा शक्ति से सम्पन्न साज सामान का बेहतरीन उपयोग।
- धुंआ रहित चूल्हे और सोलर कुकर जैसी रसोई सहायक सुविधाएँ घर-घर में। कीमतें कम रखने के लिए स्थानीय रूप से प्राप्त सामान का इस्तेमाल।
- पर्यावरण का खास ध्यान रखते हुए-प्रकृति से विशेष समन्वय।
- स्वच्छ जल और शौच सुविधाएं।
- बस्ती सुधार पर विशेष जोर।
- कैश लोन स्कीमों के जरिए गरीबों के लिए साईट और विशेष सेवाएं।
- मौजूदा घरों की संख्या बनाए रखने के लिए गिराऊ हालत वाले घरों की पूरी मरम्मत।
- ई०वाई०एस०एच० 87 के अन्तर्गत हुडको की ग्रामीण स्कीमें पहचानी गईं, कमजोर वर्गों तथा

कम आय वाले वर्गों के 3.22 लाख परिवारों को 158 करोड़ रुपयों का लोन दिया गया।

नई तकनीक का विकास

ग्रामीण आवास के लिए यह भी जरूरी है कि भवन निर्माण की परम्परागत तकनीक को नई तथा और व्यवहारिक रूप दिया जाए। यदि स्थानीय स्तर से प्राप्त होने वाली निर्माण सामाग्री प्रयोग की जाए तो जरूरतमन्द लोगों को कम लागत से अच्छे आवास मिल सकते हैं। यह काम हुडको द्वारा बड़ी तेजी से किया जा रहा है। हडको यानि आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा देश भर में एक सौ निर्माण केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसमें स्थानीय मिस्त्रियों, कारीगरों तथा ठेकेदारों के अलावा बेरोजगार युवकों को भवन निर्माण सम्बन्धी नई विधियों की जानकारी दी जाएगी। जिससे आवासीय समस्या को दूर करने के लिए जहाँ एक ओर नए हुनर विकसित हो सकेंगे वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी प्रभावशाली ढंग से बढ़ सकेंगे।

सरकारी तथा स्थानीय संस्थाओं को हुडको द्वारा भवन निर्माण के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सुविधा प्रदान की जाती हैं। विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए हुडको द्वारा अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। परिणामस्वरूप हुडको की वित्तीय सहायता से देश में बने 28 लाख घरों में आधे से भी अधिक यानि 15 लाख घर ऐसे हैं जोकि ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए हैं। हुडको ग्रामीण निर्धनों के लिए घर की व्यवस्था पर अधिक जोर देता है। उसके लक्ष्य में 90 प्रतिशत मकान इन्हं के लिए रहते हैं। ग्रामीण आवास की आवश्यकताओं का अध्ययन करके नए नमूने तैयार करने तथा निर्माण लागत को कम करने के प्रयास विशेष रूप से किए जा रहे हैं। बेकार धान की भूसी और चूने आदि के सहयोग से निर्माण प्रयोग सफल एवं लोकप्रिय सिद्ध हुए हैं।

केवल 6000 रु० में घर का सपना पूरा करने वाली संस्था हुडको के प्रयासों से अकेले केरल में ही दो लाख से अधिक परिवार लाभान्वित हुए हैं। काँजीवरम में बुनकरों के लिए और महाराष्ट्र में बीड़ी फैक्टरी मजदूरों के लिए जो बस्ती बनाई गई है उनमें ग्रामीण आवास के नमूने देखे जा सकते हैं। हुडको ने मकान बनाने में वित्तीय तथा तकनीकी सुविधा देने के अलावा धुंआ रहित चूल्हों तथा सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों के लिए भी सहायता प्रदान की है ताकि गाँवों में आवासों के आस पास का वातावरण अच्छा बना रहे।

उपयुक्त मकान

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन ने लागत राशि की सीमा को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मकान का डिजाईन तैयार किया था जो एक सौ वर्ग गज के भूखण्डों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ। दिल्ली के पास सुल्तानपुर गाँव में इन नए मकानों का प्रदर्शन किया जा चुका है।

ग्रामीण आवास अनुसंधान

ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी आवास निर्माण में कारीगरों के साथ स्वयं कार्य करने की परम्परा चली आ रही है। निःसन्देह इससे लागत मूल्य में कमी आती है। केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान ने ग्रामीण भवन निर्माण सामग्री संग्रहण नियोजन तथा ग्रामीण पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण विधियों का विकास किया है। जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में अनेक निर्माण योजनाओ में सफलतापूर्व अपनाया जा रहा है। इन विधियों से स्वच्छ, स्वस्थ्य एवं गाँववासियों की आर्थिक क्षमतानुसार वातावरण बनाने में मदद मिलती है। ग्रामीण आवास की समस्या हल करने के लिए डिजाईन तथा प्लानिंग, निर्माण पद्धतियों तथा निर्माण सामग्री से सम्बन्धित जिन पहलुओं पर महत्वपूर्ण अनुसंधान किए हैं वे इस प्रकार हैं :-

केन्द्रिय भवन अनुसंधान संस्थान रूड़की ने ताप विद्युत घरों से निकलने वाली कोयले की राख में मिट्टी मिलाकर उत्तम ईंट बनाने की विधि विकसित की है जो ग्रामीण आवास के निर्माण में आड़े आने वाली मंहगाई की बाधा को एक हद तक दूर कर सकेगी।

सस्ते मकान की टैक्नोलॉजी

हमारे देश में गृह निर्माण पर पिछले दिनों एक अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी हुई थी जिसमें आवास तथा शहरी विकास मन्त्री ने कहा था कि भारत में अभी लगभग ढाई करोड़ मकानों की आवश्यकता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक परिवार जिन टूटे फूटे खस्ता हाल मकानों में रहते हैं उन्हें घर नहीं कहा जा सकता। गाँवों में आज भी लोहे की चौखट, दरवाजे और खिड़कियों की जगह लकड़ी ही इस्तेमाल की जाती है जबकि इमारती लकड़ी की सारे देश में कमी है। देश भर में अलग-अलग हिस्सों में आवास निर्माण के लिए एक सी टैक्नोलॉजी नहीं अपनाई जा सकती किन्तु फिर भी सामग्री वहाँ आसानी से उपलब्ध हो उसे अधिकाधिक प्रयोग में लाया जा सकता है। रूड़की के भवन संस्थान ने जिन क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण कार्य किया है वह हैं :—

1- भवन नियोजन अध्ययन पहाड़ी क्षेत्रों में मकान तथा पुशपालन एवं पाठशालाओं के उन्नत नमूनों का विकास।

2- पूर्व निर्मित ईंट पर पद्धति तथा मेहराव पद्धति।

3- कंक्रीट, काष्ट तथा बल्लियों का ढांचा।

4- पीठीकास्थूण, ईंटों की चिनाई हेतु उन्नत बाण्ड।

5- जल निरोधक मिट्टी-गारे का प्लास्टर तथा मिट्टी की दीवार को वर्षा से बचाने की विधि।

6- अग्निरोधक छप्पर तथा ग्रामीण घरों के लिए रसोई की चिमनी।

7- विना चौखट वाले खिड़की दरवाजे के पल्लों के कब्जे।

8- अनाज रखने के कुढले तथा गन्दे पानी की निकासी।

9- सस्ता एवं उत्तम शौचालय तथा बायोगैस संयन्त्र।

10- स्थायित्व मिट्टी की ईंटें, धान भूसी का सीमेंटिग बाईडर।

11- नारियल रेशों या लकड़ी के छिलन से नालीदार चादरें।

12- पकी मिट्टी का खपरैल।

मिट्टी गारे का प्रयोग

शहरों में भले ही गगन चुम्बी ईमारतें बढ़ रही हैं, लेकिन हमारे गाँवों में आज भी कच्ची मुण्डेर, खपरैल और फूँस के छप्पर दिखाई देते हैं। लेकिन बेघरों को घर उपलब्ध कराने के लिए जहाँ इन्दिरा विकास आवास योजना जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वहीं हमें उन विधियों को भी जरूरतमन्द लोगों तक पहुंचाना होगा जो हमारे देश में आवासीय भवन निर्माण से जुड़ी संस्थाओं ने खोजी हैं और जिनसे किफायती किन्तु बढ़िया घर बनाए जा सकते हैं। लोहे और सीमेन्ट से हटकर मिट्टी और गारे से भी रहने योग्य घर बन सकता है, यह बात अब सार्वजनिक रूप से स्वीकार की जाने लगी है। लेकिन कैसे? इस सवाल के कई पहलू हैं जो हमें पश्चिम की अन्धी नकल से हटाकर भारतीय आबोहवा की ओर ले जाते हैं।

ग्रामीण भारत के विकास के लिए यह देखना जरूरी है कि हम भारतीय आवासीय भवन निर्माण के लिए उस मिट्टी की सम्भावनाओं को पुनः खोजकर, जो सुधार सुन्दर निर्माण के काम आई है उसे इस तरह उपयोग करें कि हमारी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

आवास हेतु ऋण

सहकारी आवास समितियों के अलावा आवास विकास वित्त निगम भी आवसीय भवनों के निर्माण हेतु ऋण की सुविधा प्रदान करता है। विशेषकर नए आवासीय निर्माण हेतु व्यक्ति संगठन तथा सहकारी समितियों के सदस्यों को यह निगम ऋण देता है। लेकिन शर्त एक है कि प्राप्तकर्ता या उसके परिवार के सदस्यों के पास स्वयं का कोई अन्य आवास न हो। ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत सरल है। देश भर के प्रमुख स्थानों पर इस निगम के 19 कार्यालय हैं। जहाँ से पत्राचार द्वारा भी सम्पर्क किया जा सकता है। इस निगम का उद्देश्य आवासीय सुविधा के विस्तार में वित्तीय सहायता पहुँचाना है।

सहकारी क्षेत्र

ग्रामीण आवास की दिशा में हमारे प्रयास प्रर्याप्त नहीं कहे जा सकते क्योंकि सहकारी आवास समितियाँ अधिकतर शहरों तक सीमित हैं। जबकि सामूहिक रूप से भूमि क्रय, भवन निर्माण तथा पानी, बिजली आदि की व्यवस्था में काफी बचत की जा सकती है।

राज्य स्तरीय आवास सहकारी संघों को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण आदि की सुविधा प्रदान की जाती है। अतः शहरों में साथ-साथ ही लाभ गाँवों तक भी पहुंचना चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की जा सके लेकिन इसके लिए ग्रामीण आवास की समस्या से जुड़े सभी आवश्यक बिंदुओं पर विचार किया जाना आवश्यक है।

एच-88 शास्त्री नगर
मेरठ (उत्तर प्रदेश)

पक्के मकान ने उन्नति की राह दिखायी

अशोक कुमार यादव

सुदरी गांव की उपलब्धि हैं 'इन्दिरा आवास कालोनी' जिसे जिले में कहा और गिनाया जाता है। निपट गरीब और मजदूरी कर पेट भरने वाले 20 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए इस कालोनी में मकान बनवाकर आबंटित करवाये गये हैं। पक्के मकान पाकर ये लोग बेहद खुश हैं। इनको सपने में भी पक्के मकान मिलने की उम्मीद नहीं थी पर राष्ट्रीय ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की बदौलत इन्दिरा आवास योजना में एक ओर इन्हें अपने स्वयं के मकानों के निर्माण पर मजदूरी मिली, वहीं सुन्दर कालोनी और खुले वातावरण में रहने के लिए मकान भी मिले।

इस कालोनी में सुदरी के 40 वर्षीय देवजी को मकान मिला है। उसके परिवार में 8 सदस्य हैं और रहने के लिए उसके पास एक कच्चा मकान था। बहुत परेशानी होती थी उस मकान में। उसने कहा, "भलो व्हेजो इण राज रो जो अशो पक्को मकान मुफ्त में रेंहबा ने दी दो म्हांकी हिम्मत कोई न के अशोपाको मकान बणाइ लेता।" मकान मिलने से उसके बड़े परिवार को रहने में सहूलियत हो गयी है। उसका कहना है कि इस मकान के भूखण्ड में गुंजाइश है कि वह कच्चा मकान और बना सके। उसने अपने घर में निर्धूम चूल्हा भी बनाया है।

तुलसी राम के परिवार में दस सदस्य हैं साथ में दस-बारह बकरियाँ। सब एक ओबरी में रहा करते थे। ओबरी के आधे भाग में उसके परिवार के सदस्य रहते और आधे में रहती बकरियां परन्तु अब इन्दिरा आवास योजना में मकान मिल जाने से उसको इस पीड़ा से छुटकारा मिल गया है। वह कहने लगा- "म्हाके पाका मकान रो जोग कठे है यो तो राज रो भरो व्यो जो मलग्यो।" तुलसीराम ने भी अपने इस मकान के निर्माण में मजदूरी की तो उसे अन्य स्थानों के बजाय ज्यादा मजदूरी मिली।

इसी तरह के गरीब और मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले सुदरी गांव के भवानी राम हजारी, गोपी, माधू आदि को भी इस नव निर्मित इन्दिरा आवास कालोनी में पक्के मकान आबंटित हुए हैं। घास फूस की झोंपड़ी को छोड़कर अपने खुद के पक्के मकान में रहने का सुख अब उन्हें उन्नति की राह पर ले जा रहा है। गरीबी के कारण वे बोल नहीं पाते पर विकास के इस चरण ने उनके जीवन में आर्थिक उत्थान के लिए साहस जुटाया है। वे अपने बच्चों की शिक्षा के लिए सोचने लगे हैं। सहायता मिलने पर नया धंधा करने की बात कहते है। खेती के लिए जमीन चाहते हैं। उनमें शराब जैसी बुरी लत भी नही हैं।

उल्लेखनीय है कि सुदरी गांव की इस 'इन्दिरा आवास कालोनी' का निर्माण वर्ष 1987 में अक्तूबर माह में शुरू करवा कर दिसम्बर माह तक की तीन माह की अवधि में ही पूरा कराया गया। बीस मकानों की इस कालोनी के प्रत्येक मकान की इकाई लागत 12 हजार रुपये स्वीकृत की गयी। इसमें से 9 हजार रुपये में प्रत्येक मकान में एक पक्का कमरा रसोई घर का निर्माण कराया गया जबकि प्रत्येक मकान की शेष तीन हजार रुपये की राशि से हर मकान के साथ एक-एक शौचालय और एक-एक स्नान घर बनाया गया है। मकानों में बिजली फिटिंग कार्य हो गया है और कनेक्शन की कार्यवाही चल रही है। इसके अलावा कालोनी में सड़क, पेयजल, प्रकाश आदि की सुविधाएं भी मुहैया करायी जा रही है। कालोनी के प्रत्येक मकान में उन्नत चूल्हे भी बनवाये गये हैं। ग्राम पंचायत की योजना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मद की सहायता से इस कालोनी के पास ही अब 20 गरीबों के लिए मकान बनाकर और दिये जायें।

सुदरी में स्कूल, बिजली, पेयजल के लिए 5 हैण्ड पंप, डाक घर, ग्राम सेवा सहकारी समिति की सुविधाएं उपलब्ध हैं वहीं यह गांव गंगरारराशमी सड़क से जुड़ा हुआ है। गत वर्षों के अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सुदरी ग्राम पंचायत क्षेत्र में कुरातिया व सुदरी में दो-दो लाख रुपये की लागत वाले एनिकटों का, रामपुरिया, करेड़िया व सुदरी में स्कूल भवन निर्माण, सिधोड़ा तालाब तथा एक सम्पर्क सड़क का निर्माण कराया गया है।

जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी,
चितौड़गढ़ (राज०)

ग्रामीणों के परम हितैषी: जवाहरलाल नेहरू

श्रीमती संध्या

आधुनिक भारत के निर्माताओं में पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम सबसे आगे है और सभी भारतवासी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। इस वर्ष हम उनकी जन्म शताब्दी मना रहे हैं। ऐसे मौके पर इस युग पुरुष के व्यक्तित्व और कृतित्व पर तथा भारत के भविष्य के बारे में उनका जो सपना था, उस पर एक दृष्टि डालना अप्रासंगिक न होगा।

नेहरू जी किसी एक प्रदेश, किसी एक जाति या किसी एक भाषा या एक धर्म से सम्बद्ध नहीं थे। वे समस्त भारत की उन्नति का सपना लेकर चलते थे और वह जानते थे कि इस सपने को साकार करने में ग्रामीण जनता को कितना बड़ा योगदान देना है क्योंकि भारत की अस्सी प्रतिशत जनता गांवों में बसती है।

स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होने के नाते उन्हें अक्सर देश के दूर-दराज के गांवों में भाषण देने तथा वहां के लोगों की समस्यायें और दुःख व तकलीफें देखने जाना पड़ता था। ऐसे अवसरों पर दूरस्थ गांवों से आये रंग-बिरंगे परिधानों में सजे ग्रामीणों के अनुपम उत्साह को देखकर पंडित जी गद्‌गद् हो जाते थे।

उनका सम्पूर्ण जीवन भारत को समर्पित था। आज याद आते हैं उनके ये शब्द जो 19 नवम्बर, 1960 को मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध का उद्‌घाटन करते हुये उन्होंने व्यक्त किये थे—"याद रखिए हमारा राष्ट्र भारत है, हिन्दुस्तान है, इंडिया है। हमारा राष्ट्र न राजस्थान है न मध्य प्रदेश और न यह गांव है। ये सब भारत के अंग हैं। सारा भारत अच्छी तरह से बढ़ेगा तो मध्य प्रदेश भी बढ़ेगा, राजस्थान भी बढ़ेगा। भारत नहीं बढ़ेगा तो कोई नहीं बढ़ेगा। यह बात हमें हमेशा याद रखनी है। इसके माने यह हैं कि हम सारे भारत में रहनेवालों को एक परिवार समझें, एक खानदान समझें, चाहे उनका धर्म कोई हो, चाहे उनका प्रदेश कोई हो, चाहे उनकी भाषा कोई हो, चाहे उनकी जाति कोई हो। ये दीवारें कम करना है।"

गांधी सागर बांध के निर्माण कार्य को पूर्ण देख कर वे बहुत खुश थे। वे कहते थे कि भारत एक क्रांति के दौर से गुजर रहा है। यह क्रांति तोप और तलवार से नहीं हो रही, यह हो रही है ठोस निर्माण के द्वारा। भारत की विशाल महत्वाकांक्षापूर्ण योजनाएं, खासकर नदी परियोजनाएं, उसके बांध, बिजली-घर, सिंचाई के साधन इस मूक और शांत क्रांति के मूर्त रूप और इस उभरते हुए भारत के भाग्योदय के महान स्मारक हैं। मेरे लिए तो आज वही स्थान मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर और मस्जिद है, जहां मानवता के कल्याण के लिये मानव श्रम करते हैं।

देश में नवनिर्माण के अनेक 'तीर्थ' पंडित नेहरू की प्रेरणा और पहल की बुनियाद पर प्रतिष्ठित हुए। शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, ऊर्जा, सिंचाई के अनेक 'तीर्थ' आज भी उनका पुण्य स्मरण कराते हैं। वह कहा करते थे कि ऐसे केन्द्र पिछड़ेपन के अंधेरे को दूर कर सारे देश को प्रगति से आलोकित करेंगे। "सारे देश में ऐसे केन्द्र हैं जहां मनुष्य कार्यरत हैं। ये स्थल ऐसे दीपकों के समान हैं जो रोशनी फैलाते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास का अंधकार दूर करने के लिए। यह रोशनी बढ़ती जानी है, यहां तक कि यह सारे देश को प्रकाशमान करें।"

गांव देश की बुनियाद हैं

पंडित नेहरू की प्रजातंत्र के प्रति प्रगाढ़ आस्था थी और सारी दुनिया जानती है कि वे प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रबल समर्थक थे। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि ग्रामों के उत्थान के लिये तीन बड़े खम्बे हैं-गांव की पंचायत, गांव का सहकारी संघ और गांव के स्कूल। ये क्रमशः राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक-स्तम्भ हैं। गांव देश की बुनियाद हैं। यदि बुनियाद मजबूत हो जाये तो उत्थान अवश्य होगा, चाहे ऊपर कितनी ही गड़बड़ क्यो न हों?

स्वाधीनता के साथ ही पंडित नेहरू ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से राष्ट्र के विकास को नई दिशा दी। उन्होंने कहा था कि योजना अनिवार्यतः संतुलन पर आधारित है। उद्योग और कृषि के बीच में संतुलन, बड़े उद्योग और लघु उद्योग के बीच संतुलन, कुटीर उद्योग और अन्य उद्योगों के बीच संतुलन। यदि इनमें से एक भी गलत हो जाए तो पूरी आर्थिक ढांचा चरमरा जाएगा। यदि आप

उद्योगों की ओर अधिक ध्यान देंगे और कृषि को अपने हाल पर छोड़ देंगे तो देश कठिनाइयों में फंस जाएगा।

उद्योगों की आवश्यकता को रेखांकित करते हुये उन्होंने स्पष्ट कहा था कि यहां कोई वास्तविक औद्योगिक विकास नहीं होगा जब तक यहां मशीनों का निर्माण नहीं होता, जब तक लोहा व इस्पात का उत्पादन नहीं होता। इसके साथ ही यह हमेशा ध्यान रखना होगा कि यदि बड़े उद्योगों के साथ ग्रामोद्योग का विकास नहीं होगा तो हम एक असंतुलित ढांचा तैयार करेंगे जो टूट कर टुकड़े-टुकड़े हो जाएगा।

नेहरू जी युगानुरूप विज्ञान की शिक्षा को अत्यन्त महत्वपूर्ण मानते थे। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था—"हर युग का अलग धर्म होता है। यदि आप उस युग के धर्म का पालन नहीं करते हैं तो निर्बल हो जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। आप विज्ञान को लीजिए, उसमें कितनी तेजी से और मुल्क बढ़ रहे हैं। हमें भी उनके साथ आगे बढ़ना है।" इतना ही नहीं, वे हर समस्या का समाधान भी विज्ञान में देखते थे। उनके ही उद्‌गार हैं: "विज्ञान ही हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। भले ही समस्या भूख और गरीबी की हो, अस्वच्छता और निरक्षरता की हो, अंधविश्वासों या जड़ता लाने वाली रस्मों व रूढ़ियों की हो, असीम साधनों के व्यर्थ जाने की हो या समृद्ध देश में रहनेवाले क्षुधा पीड़ित लोगों की हो, विज्ञान की आज कौन उपेक्षा कर सकता है?"

भारतीय किसानों को खेती-बाड़ी के परम्परागत तरीकों से मोड़कर नये तौर-तरीके सिखाने के लिये पंडित नेहरू बहुत उत्सुक रहते थे। "किसानों में जाता हूं तो सोचता हूं कि मैं किसान के दिमाग को कैसे बदलूं। यानि कुछ उसको ताजा कैसे करूं जिससे उसके दिमाग की खिड़कियां कुछ खुलें। अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिये हमें यह तमाम बातें करनी होंगी।" पंडित नेहरू सिर्फ सपना नहीं देखते थे। वे भविष्य के भारत को सचमुच आकार दे रहे थे। अपने सपने को साकार करने के लिये उन्होंने नियोजन का रास्ता चुना। आर्थिक नियोजन की जो बुनियाद उन्होंने रखी, उस पर आज का भारत तरक्की की नयी-नयी मंज़िलों की ओर निरन्तर अग्रसर है।

बहुआयामी व्यक्तित्व था पंडित जी का। अपने व्यवहार और व्यक्तित्व से वे सामने वाले को सहज ही सम्मोहित कर लेते थे। उनके सामने विरोध विगलित हो जाता था। बच्चों से उन्हें विशेष लगाव था। बच्चे उन्हें स्नेह और आदर के साथ 'चाचा नेहरू' कहा करते थे। बच्चों के विकास और कल्याण के प्रति नेहरू जी सदैव चिंतित रहते थे। वह कहा करते थे कि भारत की असल दौलत तो उसके बच्चे हैं।

राष्ट्रीय एकता के प्रति पंडित नेहरू कितने चिंतित थे, यह उनके इस वक्तव्य से पता चलता है: "एकता के कारण ही देश स्वतंत्र हुआ है और इसी एकता से हम आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। आज़ादी की लड़ाई में हम सब एकता के सूत्र में बंधे हुए थे। हर राज्य, हर धर्म, हर जाति, हर भाषा बोलने वाले लोग एक होकर आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए। इसी एकता के कारण हमने आज़ादी हासिल की। अब हम आर्थिक उन्नति के लिये गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें तभी सफल होंगे, जब सब मिल कर काम करें।"

मृत्यु के कुछ माह पूर्व राष्ट्र को आह्वान करते हुये उन्होंने कहा था—"हमारा देश एक प्राचीन देश है। यह ज्यों-ज्यों बढ़े, इसकी ताकत बढ़े, इसका चरित्र अच्छा हो, मजबूत हो, सिर ऊंचा हो और दुनिया में सिर ऊंचा करके आगे बढ़े। इन बातों को आप याद रखिये और खासकर इसको कि हमारे देश में जो लोग रहते हैं, चाहे जिस हिस्से में रहते हों, चाहे जो उनका धर्म हो, सब हमारे भाई-बहन हैं और सभी को मिलकर साथ चलना है। जो इस बात को भूल जाता है, वह देश की सेवा नहीं करता।"

आज राष्ट्रीय एकता को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये आवश्यकता है अपने स्वर्गीय नेता की भावनाओं से अनुप्रेणित होने की, उस मार्ग पर चलने की जिस पर उनके चरण चिन्ह अंकित हैं और यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

बी-55 गुलमोहर पार्क,
नई दिल्ली-110049.

भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम-एक मूल्यांकन

डॉ० गिरिजा प्रसाद दुबे

भूमि सुधार से तात्पर्य व्यक्ति और भूमि के सम्बन्धों में पुनर्गठन एवं नियोजन से माना जाता है। दूसरे शब्दों में भूमि धारण अथवा स्वामित्व में पुनर्गठन कर उसमें अपेक्षित सुधार लाने की प्रक्रिया इसमें सम्मिलित है। भारत में भू स्वामित्व में सुधार एवं परिवर्तन की आवश्यकता एवं उद्देश्य पर विचार करने से पूर्व भू धारण के संक्षिप्त इतिहास की चर्चा आवश्यक लगती है, क्योंकि किसी वस्तु अथवा स्थिति में सुधार की बात तभी उठती है जब उसमें कोई दोष होता है।

जब मनुष्य ने घुमन्तू जीवन को धीरे-धीरे छोड़कर स्थायी निवास बनाया तथा पशुपालन और कृषि कार्य का भी श्री गणेश किया, उसी समय से भूमि ने सम्पत्ति का रूप धारण करना प्रारम्भ कर दिया था। अपनी सामर्थ्य से जो लोग जितनी भूमि पर अधिकार करते गये वह उनके परिवार की सम्पत्ति होती गयी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस प्रकार की चर्चा की गई है कि जो किसान अपनी जमीन को जोतने–बोने के काम न लायें उन पर या तो जुर्माना लगा दिया जाये अथवा उनसे जमीन छीन ली जाये। मनुस्मृति में मनु के वर्णन के अनुसार भूमि परिवार की सम्पत्ति थी जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा प्रथम लड़के का होता था। इसके बाद क्रमानुसार अन्य लड़कों का हिस्सा कम होता था। उस समय सम्पूर्ण देश छोटे-छोटे गांवों में विभक्त था और प्रबन्ध का कार्य सिविल अधिकारी देखता था।

हिन्दू राज्यों पर जब मुसलमान राजाओं का राज्य हुआ तो भूमि की उपज का कुछ भाग कर के रूप में लेने की पूर्व प्रथा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मुगल शासन के अन्तिम समय में नीलामी की प्रथा द्वारा लगान लेने की व्यवस्था के प्रचलन से भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई।

मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ईस्ट इण्डिया कम्पनी के माध्यम से अंग्रेजों के शासन का पदार्पण हुआ। धीरे-धीरे सम्पूर्ण भारत में उनका शासन हो गया। उन्हें लगान लेने की चली आ रही परिपाटी उपयुक्त नहीं लगी। इसके लिए शासन की ओर से भू स्वामित्व में परिवर्तन किये गये जिसके परिणामस्वरूप मुख्यतः तीन प्रकार के स्वामित्व की प्रथाएँ प्रकाश में आयीं। ये हैं – रैयतवारी, महालवारी तथा जमींदारी भू-धारण प्रणाली।

रैयतवारी प्रथा

इस प्रथा के अन्तर्गत भू स्वामित्व अलग-अलग व्यक्तिगत होता था। भू राजस्व, सीधे धारक राज्य को देता था। रैयतवारी बन्दोबस्त सबसे पहले मद्रास में 1872 में प्रारम्भ हुआ। यह प्रथा मद्रास के अतिरिक्त बम्बई और असम में भी थी। इस प्रथा में भूमि किराये पर उठाने की छूट थी। भूमि का वर्गीकरण उसकी उर्वर शक्ति के आधार पर होता था और उसी आधार पर हर बन्दोबस्त में लगान घट-बढ़ जाता था। इससे शासन को बड़ा व्यय भी करना पड़ता था और लगान निर्धारण में मनमानी की सम्भावना अधिक थी।

महालवारी

इस प्रणाली के अन्तर्गत जमीन सम्पूर्ण समाज की होती थी। भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व भी होता था। इस प्रणाली में भू राजस्व अलग-अलग न लगाकर सम्पूर्ण गांव पर लगा दिया जाता था। गांव में एक नम्बरदार होता था जो गांव वालों से लगान लेकर सरकारी खाते में जमा कराता था। इस कार्य हेतु उसे 5 प्रतिशत कमीशन प्राप्त होता था। यह प्रणाली पहले आगरा और अवध में प्रचलित थी परन्तु बाद में पंजाब में भी हो गयी।।

जमींदारी प्रथा

यह प्रथा सन् 1793 में लार्ड कार्नवालिस द्वारा प्रारम्भ की गयी थी। इसमें भूमि पर एक से अधिक व्यक्तियों का सम्मिलित स्वामित्व होता था। यह प्रथा ईस्ट इंडिया कम्पनी ने अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए विशेष अधिकार सम्पन्न एवं स्वामीनिष्ठ वर्ग का निर्माण करने के लिए शुरू की थी। ये पहले भू-राजस्व एकत्रित करते थे परन्तु जमींदारी प्रथा लागू होने पर उन्हें जमीन का भी स्वामित्व प्राप्त हो गया।

जमींदारी बन्दोबस्त के दो स्वरूप प्रचलित थे–स्थायी

बन्दोबस्त एवं अस्थायी बन्दोबस्त। स्थायी बन्दोबस्त व्यवस्था के अन्तर्गत लगान सदा के लिए नियत कर दी जाती थी और इसे वसूल करने का कार्य जमींदार करते थे। परन्तु उस नियत लगान की वसूली में जमींदार अधिक वसूलते थे। सरकार को इससे कोई लाभ नहीं था। अतः शासन की ओर से अस्थायी व्यवस्था अर्थात अस्थायी बन्दोबस्त भी लागू किया गया। इसमें लगान 30-40 वर्ष के लिए नियत कर दी जाती थी परन्तु इस व्यवस्था में भी आगे चलकर स्थायित्व आ गया।

इस प्रकार सरकार और किसानों के बीच में बिचौलिए के रूप में जमींदारों का एक ऐसा वर्ग पैदा हुआ जो लगान की मनमानी वसूली करता था। इसके अतिरिक्त किसानों से बेगारी लेना और उनका अनेक प्रकार से शोषण करना जमींदारों के लिए सामान्य बात हो गयी।

भूमि सुधार के पूर्व सन् 1947-48 में कृषि क्षेत्रफल का 24% भाग (26 मिलियन एकड़) स्थायी बन्दोबस्त जमींदारी के अन्तर्गत एवं 38% भाग (154 मिलियन एकड़) अस्थायी बन्दोबस्त वाली जमींदारी एवं महालवारी पद्धति के अन्तर्गत था।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय तक कृषि व्यवस्था और कृषि सम्बन्धों में उक्त प्रकार के दोषों को दूर करने तथा भूमि सुधार के लिए किसानों की ओर से मांग भी प्रारम्भ हो चुकी थी। सन् 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा सबसे पहली मांग इस चली आ रही व्यवस्था में परिवर्तन के सन्दर्भ में थी।

सन् 1936 के फ़ैजपुर कांग्रेस सम्मेलन में पं० नेहरू की पहल और महात्मा गांधी की स्वीकृति पर भूमि सुधार कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। यही कार्यक्रम 1937 के चुनाव में घोषणा पत्र बना। 1947 की जयपुर अखिल भारतीय कांग्रेस सभा में आर्थिक कार्यक्रम में यह माना गया कि वह भूमि जिसके नीचे खनिज सम्पदा हो अथवा अन्य प्रकार के स्रोत हों उन सब प्रकार की भूमि का प्रबन्ध समुदाय अपने हित में करेगा।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त केन्द्र और राज्य सरकारों का यह स्वयं दायित्व हो गया कि त्वरित आर्थिक विकास के लिए भूमि समस्या का उचित समाधान ढूंढा जाये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कृषि-सुधार समिति श्री कुमारप्पा के नेतृत्व में बनायी गयी। जुलाई 1949 में समिति ने अपना सुझाव प्रस्तुत किया जिसमें कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं।

(अ) भारतीय कृषि व्यवस्था में बिचौलियों के लिए कोई स्थान नहीं हो। जमीन पर जोतने वाले का अधिकार होना चाहिए। जमीन को बंटायी पर देने का अधिकार केवल विधवाओं, पंगु और नाबालिगों को ही प्राप्त होना चाहिए।

(ब) जमीन का मालिक न होते हुए भी जो जमीन जोतता है उसे वास्तविक रूप में जमीन पर अधिकार (मालिकाना) प्राप्त होना चाहिए। यदि कोई स्वयं खेती करने के लिए कुछ जमीन वापस चाहता है तो कुछ शर्तों पर ही ऐसा हो सकता है। यथा-

(i) केवल उन्हीं लोगों को कुछ भूमि वापस मिल सकती है जो स्वयं अपने परिश्रम के बल पर खेती करने के लिए तैयार हों।

(ii) भू स्वामी जोतदार के पास चली गयी जमीन में से अपनी जोत को आर्थिक बनाने के लिए निश्चित कुछ सीमा तक जमीन वापस उसी शर्त पर ले सकता है जबकि उस जमीन के निकल जाने पर जोतदार की जोत अनार्थिक न हो जाये।

(iii) रैयत को क्षेत्रीय भूमि अधिग्रहण द्वारा निर्धारित कीमत अदा कर जमीन खरीद लेने का अधिकार होना चाहिए।

(iv) सभी वर्ग के रैयतों से अधिक लगान और अन्य प्रकार से पैसा वसूल करने से बचाया जाना चाहिए। साथ ही उचित लगान का निर्धारण होना चाहिए।

(v) समिति की दृष्टि में कृषि अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप ही होना चाहिए। इस मिश्रित रूप में सहकारी संगठनों की मदद से सुदृढ़ व्यक्तिगत खेती, सामूहिक और राजकीय खेती का मिला-जुला ढाँचा स्थापित होना चाहिए।

हमारे देश में भूमि सुधार कार्यक्रम के मुख्यतः दो उद्देश्य माने जा सकते हैं। प्रथम उद्देश्य आर्थिक विकास में कृषि-क्षेत्र के योगदान को अधिक से अधिक बढ़ाना है। इसके कई प्रभाव हो सकते हैं- (i) खाद्यानों की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति की जा सकती है। (ii) कच्चे माल की सप्लाई बढ़ाकर उद्योग की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। (iii) निर्यात करके विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकती है। (iv) इस क्षेत्र में उत्पादन-वृद्धि से इस पेशे में लगी जनता की आय में वृद्धि होगी जिससे खुशहाली में वृद्धि होगी। भूमि

सुधार कार्यक्रम का द्वितीय उद्देश्य सामाजिक न्याय रहा है अर्थात स्वामित्व जोतों का पुनर्वितरण कर बटाईदारों और खेतिहर मजदूरों को शोषण-मुक्त करना।

सम्पूर्ण भूमि सुधार कार्यक्रम को निम्न पाँच भागों में बाँटा जा सकता है-।

बिचौलियों का उन्मूलन :

उपर्युक्त विश्लेषण में हम देख चुके हैं कि अंग्रेजी राज में जो भूमि व्यवस्थाएँ (जमींदारी, महालवारी, रैयतवारी एवं इनामदारी आदि) लागू की गयी थीं उनके कारण सरकार और जमीन जोतने वालों में सीधा सम्पर्क नहीं रह गया था। इन सारे बिचौलियों का कार्य केवल किसानों से अधिक से अधिक लगान वसूल करना था और इस पैसे का एक निश्चित भाग सरकार को देकर शेष का उपभोग अपने ऐशो-आराम में करना था। देश के कृषि विकास पर इसका बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसलिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद जमींदारी, तालुकेदारी, महालवारी, रैयतवारी एवं इनामदारी आदि बिचौलियों को समाप्त किया गया जिससे 2 करोड़ किसान सरकार के सीधे सम्पर्क में आये। इसके पहले देश के क्षेत्रफल का 40% भाग बिचौलियों के अधिकार में था। बिचौलियों के उन्मूलन द्वारा करीब 3213 लाख एकड़ अर्थात 94.33% जमीन से जमींदारी-जागीरदारी प्रथा समाप्त हुई।

भू-धारण अधिकारों में सुधार

बिचौलियों के उन्मूलन के पश्चात् भूमि सुधार कार्यक्रम का दूसरा प्रमुख हिस्सा काश्तकारी कानून में अनुकूल परिवर्तन, लगान का नियमन, काश्तकारी की सुरक्षा तथा किसानों को अपने जोत का स्वामित्व प्रदान करना रहा है। इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण देश में राज्यों की परिस्थितियों के अनुरूप कानून बनाये गये। प्रथम पंचवर्षीय योजना में काश्तकारों के सभी वर्गों की स्थिति में सुधार के लिए सुझाव भी दिये गये थे। लगान को सकल उपज का एक चौथाई रखने की बात स्वीकार की गयी थी।

जोतों की सीमा निर्धारण

भूमि सुधार कार्यक्रम का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारण रहा है। इसमें यह दृष्टिकोण रहा है कि किसी व्यक्ति को मनमानी भूमि रखने का अधिकार नहीं है। बल्कि भूमि रखने का अधिकार उसे है जो उसमें स्वयं श्रम कर सके। इसके लिए प्रत्येक राज्य में कृषि की स्थिति के अनुरूप अधिकतम सीमा निर्धारित करने के कानून बनाये गये और इस प्रकार प्राप्त जमीन को भूमिहीन कृषकों को प्रदान करने की व्यवस्था की गयी। सामान्यतः पांच व्यक्तियों के परिवार के लिए 18 एकड़ सिंचित भूमि निर्धारित की गयी। भूमि सीमा निर्धारित करने से 7.2 मिलियन एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की गयी जिसे सरकार ने अधिग्रहण करके इसमें से 4.4 मिलियन एकड़ भूमि बाँट दी।

कृषि पुनर्गठन

कृषि पुनर्गठन के अन्तर्गत जोतों की चकबन्दी करना और बड़े जोतों के विखण्डन और उपविभाजन रोकना सम्मिलित है। कृषि क्षेत्र में पहले यह धारणा व्याप्त थी कि वैज्ञानिक और उन्नतशील खेती के लिए खेतों का आकार बड़ा होना चाहिए परन्तु आजकल यह धारणा निर्मूल हो चुकी है।

सहकारी खेती

भूमि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि विखण्डन से बचने के लिए तथा तकनीकी सुविधाओं के प्रयोग के लिए ही सहकारी खेती के माध्यम से बड़े फार्मों के रूप में खेती करने की बात प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्वीकार की गयी। इसमें यह भी सुझाव दिया गया कि किसानों को हर प्रकार के प्रोत्साहन और सहायता प्रदान की जाये जिससे कि वे सहकारी कृषि समितियों में सम्मिलित होने के लिए स्वयं इच्छुक हो सकें।

भू-सुधार कार्यक्रम सम्बन्धी नीति की समालोचना

भूमि सुधार कार्यक्रम बहुत बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रारम्भ किया गया परन्तु अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त हो सके । इस कार्यक्रम के क्रियावयन का सारा भार राज्यों पर था इसलिए राज्यों की तमाम स्थितियों का प्रभाव कार्यक्रम के लागू करने और परिणामों पर पड़ा। यही कारण है कि सभी राज्यों की इस क्षेत्र की उपलब्धियों में भी अन्तर है।

सामान्यतः हम कह सकते हैं कि भूमि सुधार विधान की परिकल्पना ठीक थी परन्तु इन कानूनों में अनेक दोष होने तथा इसे लागू करने वाले सरकारी अधिकारियों की ढिलाई और मनमानी के कारण यह योजना कागजी अधिक रह गयी। योजना का वास्तविक लाभ जिस वर्ग को जितना मिलना चाहिए था उसे उतना नहीं मिल पाया। उत्तर प्रदेश के बाँदा जिले के मणिपुर विकास खण्ड की एक अध्ययन (भरत डोगरा, 1986) रिपोर्ट योजना की स्थिति प्रदर्शित करती है। इस विकास खण्ड में अक्तूबर, 1986 तक 1152 एकड़

(शेष पृष्ठ 31 पर)

अपना घर : प्यारा घर
शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में आवास समस्या का समाधान

पी.डी. वशिष्ठ

मनुष्य की तीन बुनियादी आवश्यकताओं में भोजन तथा वस्त्र के बाद आवास का स्थान है। हर बुद्धिजीवी प्राणी समाज में रहना चाहता है और उसका सबसे कम तथा सबसे अधिक महत्वपूर्ण बंधन परिवार है। हर परिवार को एक साथ रहने और जीने के लिए घर की, एक मधुर गृह की आवश्यकता होती है। परिवार दैनंदिन आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए प्रकृति द्वारा संस्थापित सबसे प्राथमिक संघ है कई।परिवार इकट्ठे होकर समुदायों, गाँवों तथा कस्बों का निर्माण करते हैं और उनसे अंततः राष्ट्र का निर्माण होता है जो जीवन की अत्यन्त महत्वपूर्ण आवश्यकताओं से अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है। यदि यही राष्ट्र के लिए तथ्य और राजनीति है तो क्या यह देश की सरकार का दायित्व नहीं बनता कि वह प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम तथा सम्मानजनक आवासीय इकाई उपलब्ध करा सके ?

हम जब प्रत्येक व्यक्ति को आवास उपलब्ध कराने की बात करते हैं तो वास्तव में हमारा तात्पर्य शहरी या ग्रामीण इलाके के हर बेघर व्यक्ति को आवास दिलाना है चाहे वह गरीबी की रेखा के नीचे हो जो मकान खरीदने या बनवाने में बिल्कुल ही असमर्थ है या वह जो मुश्किल से ऐसा कर सकता हो। परन्तु विभिन्न कारणों से वे ऐसा नहीं कर सकते। हमारे नीति-नियामक एक गलती हमेशा करते रहे हैं कि वे ग्रामीण तथा शहरी आवास की समस्याओं को दो अलग-अलग समस्याएँ मानते रहे और शहरी आवास की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। इसका एक कारण यह भी है कि सत्ता में रहने वाले अधिकतर लोग समृद्ध वर्ग के एवं शहरी पृष्ठभूमि से होते हैं, शहरों में रहते हैं और शहरों के प्रति उनके मन में अत्याधिक आकर्षण होता है। इसके अलावा यह भी बात है कि शहरी झुग्गी-झोंपड़ियाँ, गंदे नालों के आसपास लाखों लोगों का रहना, फुटपाथ पर सोने वालों का दृश्य,छुट-पुट कालोनियाँ तथा झुग्गी-झोंपड़ियां चुपचाप शांतिपूर्वक रहने वाले ग्रामीण बेघर लागों की तुलना में शहरी सौंदर्य को अधिक नष्ट करती हैं। अत्यन्त गरीबी के कारण हो या समृद्ध जमींदारों की ओर से दबाव हो अथवा धनी लोगों की ओर से शोषण हो या खूबसूरत नगरों की ओर से पड़ने वाला ज़ोरदार असर हो ग्रामीण क्षेत्रों से भारी संख्या में आने वाले लोगों को रोजगार और आश्रय उपलब्ध कराता है? इससे समाज के ये दोनों मिले-जुले वर्ग-ग्रामीण तथा शहरी बेघर लोगों को बिल्कुल दो अलग-अलग तथा भिन्न-भिन्न समस्याएँ नहीं माना जाना चाहिए बल्कि इसे एक ही सिक्के के दो पहलू समझना चाहिए।

वर्तमान स्थिति तथा समस्याएँ

हमारी वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत आवास राज्यों का विषय है लेकिन भारत सरकार को समन्वय, निगरानी या राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के कार्यों के बारे में बड़े भाई की भूमिका निभानी है। स्पष्ट उद्देश्यों के साथ कार्यरूप में परिणित करने योग्य तथा सुपरिभाषित राष्ट्रीय आवास नीति की आवश्यकता महसूस की जाती है जिसमें एक कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार की गई हो, जिसमें ऐसे बेघर लोगों के पक्ष में प्राथमिकताओं तथा लक्ष्यों को हासिल करने के तरीके बताए गए हों जो गरीब और समाज के असुविधा भोगी वर्गों से हैं; चाहे वे शहरी पृष्ठभूमि से आए हों या ग्रामीण पृष्ठभूमि से। राष्ट्रीय आवास नीति न केवल ऐसी होनी चाहिए जिसे राज्य सरकारों तथा अन्य आवास एजेंसियों और विशेषज्ञों को बार-बार परिषत्र भेजकर राय जान ली गई हो बल्कि उसमें आवास गतिविधियों को तेज करने के लिए प्रमुख कानूनी परिवर्तनों को शामिल किया गया हो; केन्द्र की समन्वय करने और समर्थन करने की भूमिका को भी ध्यान में रखा गया हो। केन्द्रीय तथा राज्य—दोनों ही क्षेत्रों में संभावित तथा कार्यरूप में परिणित करने योग्य आवास योजनाएँ तैयार की जानी चाहिए। चूँकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में वित्तीय पहलू का अधिकांश हिस्सा केन्द्र के पास है इसलिए यह केन्द्र पर निर्भर करता है कि वह संस्थागत वित्त, विशेषज्ञता और पर्याप्त साधनों से राज्य सरकारों को सज्जित करे।

कोई भी व्यक्ति इस बात का अनुमान लगा सकता है कि भारत में कितने लोग बेघर हैं, जब तक चिन्तन का स्तर पूरी

तरह ऊँचा न उठा दिया जाए तथा दृढ़ राजनीतिक इच्छा और संकल्प के जरिए आवास समस्या को दूर करने के लिए कुछ ठोस कदम न उठाया जाये और तुच्छता तथा नोटों से आगे न सोचा जाए तब तक सन् 2000 ईस्वी तक बेघरों के लिए आवास के अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष की पूर्व संध्या पर यह कार्य और भी कठिन हो जाता है। राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के अनुमानों के अनुसार भारत में 2 करोड़ 47 लाख आवासीय इकाइयों की कमी है। राष्ट्रीय आवास नीति के प्रथम प्रारूप में कहीं भी ऐसी नीतियों की रूपरेखा नहीं दी गई है कि इस विशाल कार्य को कैसे पूरा किया जाएगा। केन्द्र, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थाओं, भवन निर्माण संगठनों, निजी क्षेत्र, कमीशन एजेंटों, दलालों, गैर-सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी क्षेत्र, भवन निर्माताओं तथा ठेकेदारों और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों—दोनों के लक्ष्य ग्रुपों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय आवास नीति के प्रारूप को नए सिरे से तैयार किया जाना चाहिए। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि आवास तथा भूमि राज्यों के विषय हैं, राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी तथा गतिशीलता के जरिए ही लक्ष्य को हासिल करना संभव होगा जिसे पुनः परिभाषित किया जाना चाहिए तथा फिर से उस पर जोर देना चाहिए। इस समय आवास समस्या के दो प्रमुख पहलू हैं—पहला, बेघर लोगों को रिहायशी इकाइयाँ उपलब्ध कराना; दूसरा अनाधिकृत कालोनियों तथा तंग बस्तियों में रहने वाले लोगों की पुनर्वास समस्या। इतना ही नहीं, रिहायशी इकाइयां तथा पुनर्वास आश्रय उपलब्ध कराने के बाद लाभभोगियों को प्रशिक्षित करना होगा और उन्हें यह आदत सिखानी होगी कि वे अपने नए आवासों में ही रहें और उनको सुरक्षित रखने की आदत डालें; आवास को खाली न छोड़ें तथा उसे दूसरे व्यक्ति को न बेचें और उसका दुरुपयोग न करें। इसका तात्पर्य यह है कि प्रस्तावित कालोनियाँ चाहे वे शहरी इलाकों में हों या ग्रामीण इलाकों में हों, वर्तमान चलाई जा रही आवास परियोजनाओं या प्रतिष्ठानों के अभिन्न अंग हों और आमतौर पर रिहायशी स्थानों से दूर न हों अर्थात वे निचले या दुर्गम इलाकों में न हों। यदि प्रस्तावित आवास तथा पुनर्वास कालोनियाँ वर्तमान सामाजिक ढाँचे को अव्यवस्थित करने लगें और लाभभोगियों के रास्ते में रुकावटें डालने लगें तो इस प्रकार की योजनाएँ उन लोगों में लोकप्रिय नहीं हो पाएंगी, जैसे—दिल्ली में एक अनधिकृत कालोनी को समाज के अन्य भागों से काफी दूर ले जाकर बसाया गया तो जो लोग आम उपयोगी सेवा कार्यों, जैसे-घरेलू नौकरों, मिस्त्रियों, मरम्मत का काम करने वालों, नौकरानियों, धोबियों, जमादारों तथा खोमचे वालों के रूप में काम कर रहे थे, वे बेरोजगार हो गए-उन्हें एक ओर मकान का सुख मिला तो दूसरी ओर बेरोजगारी का दुःख। यहाँ तक कि कुछ को आजिविका के साधनों से भी हाथ धोना पड़ा। इस प्रकार के दृष्टिकोण से हमारे सच्चे प्रयासों को निश्चय ही गंभीर आघात पहुँचेगा। संक्षेप में, बेधर और गैर-कानूनी रूप से कब्जा करने वालों को केवल सामाजिक दोषी ही नहीं मानना चाहिए बल्कि उन्हें सामाजिक व्यवस्था के कुशल संचालन के लिए सच्चे सहायक के रूप में भी मानना चाहिए। वास्तव में प्रमुख नीति घोषणाओं में एक घोषणा यह होनी चाहिए कि जब भी कोई नई निर्माण परियोजना तैयार की जाए तो ऐसी हर परियोजना के 25 प्रतिशत स्थान में सर्विस कालोनी या सहायक कालोनी बनाई जाए तथा शहरी इलाकों में 10 प्रतिशत संभावित आवास वृद्धि के लिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 5 प्रतिशत स्थान संभावित आवास वृद्धि के लिए रखा जाना चाहिए।

मकान उपलब्ध कराने के फैसले का मुख्य दायित्व राष्ट्रीय, राजकीय, नगरपालिका या किसी अन्य स्थानीय स्तर पर भले ही हो, हमारे सामने नीति विषयक दुविधा है। हमारी प्रमुख समस्या है—संसाधनों की कमी, भूमि की उपलब्धता, वित्त तथा सामग्री की कमी। लाखों परिवार गंदी हालत में रह रहे हैं। निराशा के अनेक कारण हैं, जैसे—ऊँची लागतें, अफसरशाही, स्थानीय दशाएँ, (भवन निर्माण के नियमों, लाभभोगियों के चयन, ऋण की पद्धतियाँ, निर्माण स्थल की स्थिति आदि पर) राजनीतिक संघर्ष-ये सारे तथ्य राष्ट्रीय तथा राज्य सरकारों के उद्देश्यों में सम्मिलित रूप से रुकावटें डालते हैं। कई मामलों में तो भारी मुनाफा कमाने, निर्माण के भ्रष्ट और गलत तरीके अपनाते तथा लक्ष्य-ग्रुपों का पता लगाने और उनका चयन करने-दोनों ही मामलों में प्रचलित भ्रष्टाचार, पक्षपात तथा आबंटनों में धन की कटौतियों और कब्जा देने आदि कारणों तथा अन्य अनेक मानवीय दुर्बलताओं के कारण सरकारी तथा सार्वजनिक सभी प्रकार के सर्वोत्तम उद्देश्यों को सीधे-सीधे विफलता मिली है। हमारी वर्तमान राजनीतिक प्रणाली की एक स्थिति यह भी है कि हमारी अधिकतर वर्तमान विधायी संहिताएँ और योजनाएँ अब पुरानी पड़ चुकी हैं और उनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है और उनमें बार-बार संशोधन करके जारी रखने के बजाय समाप्त कर दने की आवश्यकता है और वह भी अपर्याप्त आवास, केवल रिहायशी आवास, उपलब्ध करा देना ही पर्याप्त नहीं है; विशेषकर वर्तमान निर्माणाधीन परियोजनाओं के

अन्तर्गत जो आवास उपलब्ध कराया जा रहा है, वह अपर्याप्त है। बेघर गरीब लोगों को भी कम से कम दो कमरे का मकान, जिसके साथ अलग रसोईघर, पीने का पानी तथा स्वच्छता सुविधाएँ हों, अवश्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

देश की समूची बेघर आबादी को उनके समर्थन वाली नीतियों के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता और न ही सभी को लगभग मुफ्त आवासीय इकाइयाँ आबंटित की जा सकती हैं। अन्य लाखों लोग निम्न तथा मध्यम आय वर्गों में आएंगे। इनमें सरकारी कर्मचारी शामिल हैं जो समाज के पिछड़े हुए मिले-जुले वर्ग का हिस्सा हैं और बेघर हैं हालाँकि प्रत्यक्ष रूप से ऐसा लगता है कि वे सरकारी कर्मचारी की हैसियत से सरकारी क्वार्टरों या किराए के मकानों में रह रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस समय नगरपालिका तथा अन्य आवास प्राधिकरणों का एकमात्र उद्देश्य मुनाफा कमाना है। इनमें अनुमानित तथा लाभ कमाने—दोनों ही प्रवृत्तियों से बिक्री की जाती है। पहली बात तो यह है कि भूखण्ड को खरीदना तथा उसमें कामचलाऊ और मामूली मकान बनाना भी न केवल मुश्किल काम हो गया है बल्कि एक सामान्य पूंजी लगाने के लिए असंभवप्राय हो गया है। इतना ही नहीं जब जमीन या मकान जैसी वास्तविक जायदाद में निवेश करना सबसे सुरक्षित है तथा मूल्य वृद्धि सुनिश्चित है तब ये प्राधिकरण क्यों केवल भवन निर्माताओं, ठेकेदारों, वास्तुकारों तथा पैसे वाले कुछ लोगों के लिए ही भूखण्डों का आबंटन व नीलाम करते हैं। इसके बदले अधिकारियों को चाहिए कि वे एक ही डिजाइन वाली बहुमंजिला और कम लागत की आवास योजना, किराये तथा खरीद के आधार पर या स्वशक्ति के आधार पर लंबी, बराबर तथा किस्तों पर आसानी से देय अपेक्षाकृत कम ब्याज दरों या ब्याजमुक्त दरों पर ऋण उपलब्ध कराएँ। बैंकों को चाहिए कि वे मकानों के निर्माण, यहाँ तक कि उनकी मरम्मत और रख-रखाव के लिए भी ऋण उपलब्ध कराएँ। आजकल आवासीय स्थान की खरीद तथा निर्माण के लिए संस्थागत वित्त बैंकों से शायद ही उपलब्ध हो पाता है क्योंकि वे इसे गैर-उत्पादक कार्यकलाप मानते हैं। वास्तव में मकान का स्वामित्व बहु-उत्पादक कार्यकलाप है क्योंकि इसका मालिक किराए तथा पगड़ी आदि के रूप में धन बचा सकता है और उसे शोषण से भी बचाया जा सकता है। इस प्रकार की योजना का उपयोग सरकारी कर्मचारियों के आवास के लिए बहुत प्रभावी ढंग से किया जा सकता है और इस प्रकार सरकार सरकारी क्वाटरों और भवनों के निर्माण के विशाल खर्च से बच सकती है। आज आवास निर्माण की अग्रिम राशि की सुविधा का उपयोग करने के लिए अस्थायी कर्मचारी के लिए कम से कम 10 वर्ष की सतत सेवा आवश्यक है। वास्तव में इस व्यवस्था को खत्म किया जाना चाहिए और इसे कर्मचारी की परिवीक्षाधीन अवधि के लिए ही सीमित रखना चाहिए जिसके बाद उसकी सेवा शर्तों के अन्तर्गत उसे देय भवन निर्माण की अग्रिम राशि की अधिकतम रकम दे दी जानी चाहिए। निम्न तथा मध्यम आय वर्गों के बेघर लोगों के लिए मकान बनाने के वास्ते निर्माण गतिविधियों को उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिए और उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे कम लागत की आवास सामग्री उपलब्ध कराएँ और ऐसी डिजाइन दें जो निवेशकर्ता को सस्ते में और आसानी से उपलब्ध हो जाए। ऐसा करने के लिए ऐसी उपयुक्त टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा जो न केवल ऊपरी तौर पर ही उसकी सहायता करे बल्कि उसकी उपलब्धता की ठीक-ठीक जानकारी दे जिनमें भवन निर्माण सामग्री और अन्य निवेश शामिल हैं। इस प्रकार की सामान्य आवास योजना के दृष्टिकोण की भारी आलोचना की जाएगी। इसे आवास में मोर्चाबंदी शुरू करने की कोशिश माना जाएगा। वास्तव में इस प्रकार के दावे को भुलाया जा सकता है क्योंकि हमारा लक्ष्य तो हर व्यक्ति को सन 2000 ईस्वी तक मकान उपलब्ध कराना है, ऐसा मकान जो हर व्यक्ति आसानी से खरीद सके और जिसकी मरम्मत तथा रख-रखाव बाद में आसानी से हो सके। आवास की डिजाइन ऐसी हो कि जिसमें हवा खूब आती-जाती हो और जिसमें पर्याप्त प्रकाश हो जिससे बिजली की कमी होने की घटनाओं के बावजूद रहा जा सके। आखिर हम क्यों अपने दुर्लभ साधनों का इस्तेमाल पाँच सितारा होटल बनाने तथा दिखावटी और प्रदर्शन के भवन बनाने पर खर्च करें जिससे तमाम बेनामी सौदे और भारी पगड़ी देने जैसी धोखाधड़ी के कारनामे होते हैं। एक अन्य उल्लेखनीय प्रवृति अभी हाल में तेजी से बढ़ी है कि कोई भी व्यक्ति अपने मकान को किराए पर देने या भवन निर्माण में पूँजी लगाने का इच्छुक नहीं लगता क्योंकि ये दोनों ही जटिल मुद्दे हैं और इस प्रयास में लाभ दिनोंदिन कम होता जा रहा है। ऐसा करने के लिए शहरी भूमि नियमन कानून, रेंट कंट्रोल एक्ट और अन्य नगरपालिका तथा स्थानीय प्रशासन के नियमों का उचित रूप से संशोधन करना होगा जिसमें न तो

मकान मालिक को और न ही किराएदार को विशेषाधिकार की स्थिति में रखा जाए। यदि राष्ट्र का निर्माण किया जाना है तो सुसंगठित आवास निर्माण, गतिविधियों को जीवन का सामन्य रूप लेना होगा।

निष्कर्ष

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को सहकारी तथा निजी स्वामित्व को प्रोत्साहन देना होगा। अधिकतर विकसित तथा कल्याणकारी देशों में सहकारिता को व्यापक सहायता दी जाती है, जैसे-पूर्व जर्मनी, पोलैण्ड तथा चैकोस्लोवाकिया में सहकारी सेवाओं को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिए जाते हैं, उन्हें दीर्घ अवधि पर कम या ब्याज मुक्त ऋण आवासी कार्यों के लिए दिए जाते हैं। जिनके पास साधन हैं, वे आवासीय योजना के अन्तर्गत मकान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा महसूस किया जाता है कि सहकारी आवास दृष्टिकोण रिहायशी मकान बनाने के मामले में राष्ट्र की प्रमुख भूमिका को कम करेगा और जिन लोगों के पास आवास हैं, उनके योगदान को बढ़ाएगा और आवासीय सहकारिता में निवेश होगा। इससे विविध प्रकार के मकानों के टाइप तैयार होंगे जो सहकारी डिजाइनों के एक जैसे बने नीरस आवासों से बिल्कुल भिन्न होंगे और सदस्यों को अपेक्षाकृत अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। आवास समस्या को हल करने के मामले में सरकार को उसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जैसा कि वह शिक्षा और स्वास्थ्य में अपनाती है। सभी अवासीय क्षेत्रों, जैसे-सरकारी, सहकारिता, निजी तथा स्वयंसेवी सभी को प्रोत्साहन उपलब्ध करा कर इसे अनिवार्य उपलब्धि बनाएगी और इसे केवल सीधे सरकारी मिशन ही नहीं रहने देगी। अमरीका तथा ब्रिटेन में निजी क्षेत्र का अनुभव यह रहा है कि अच्छे आवास में निम्न आय के लोगों के आवास से मुनाफा नहीं कमाया जा सकता जब तक कि सरकार किसी किस्म का अनुदान या कर प्रोत्साहन नहीं देती कि मकान मालिक तथा भवन निर्माता उससे मुनाफा कमा सकें। आवास निर्माण वास्तव में घाटे का उद्यम है, क्योंकि यह भवन निर्माताओं तथा जमींदारों की इस वर्तमान प्रवृत्ति के विरूद्ध है कि वे निवेशकर्ता को और सरकारी खजाने को अलाभकर स्थिति में पहुंचाएँ और उनका शोषण करके अधिक से अधिक काला धन और प्रत्यक्ष मुनाफा कमाएँ।

अनुवाद : रामबिहारी विश्वकर्मा
103-, सेक्टर-4,डी. जेड. एरिया
नई दिल्ली-1

(पृष्ठ 27 का शेष)

सीलिंग भूमि और 12375 एकड़ सामुदायिक भूमि 4882 लाभार्थियों को बाँटी गयी। 1960 के दशक में 'खिचरी कोल कालोनी' के नाम से एक आदर्श बस्ती (आवास योजना) कार्यान्वित की गयी। इसमें उन्हें 5-5 एकड़ प्रति परिवार आवास से 3 कि०मी० की दूरी पर कंकरीली चट्टानों वाली भूमि प्रदान की गयी। वे कुछ दिनों तक उसे उपजाऊ बनाने का प्रयास करते रहे परन्तु अपने को असमर्थ पाकर उसे छोड़ दिया। इसे बदल कर दूसरी भूमि देने की प्रार्थना करने पर पुनः जो जमीन उन्हें मिली उसकी खोज करने पर भी उन्हें नहीं मिल सकी। परन्तु कागजी कार्यवाही पूरी होने से उन्हें मालगुजारी देनी ही पड़ती है। ऐसी स्थिति उस समय तक चलती रही जब भूमि सीमा निर्धारण कानून लागू कर भूमि को अतिरिक्त घोषित कर दिया गया। उस समय दूसरी बार जमीन बाँटने पर पुनः उन्हीं परिवारों को प्राप्त हो गयी जो कि पहले ही भूमि प्राप्त कर चुके थे। कुछ ऐसी घटनाएँ है जिसमें जमींदारों ने अपने नौकरों और बंधुआ मजदूरों के नाम से पट्टा प्राप्त कर जमीन का वास्तविक उपयोग अपने हित में करते हैं। ठीक यही स्थिति सहकारी फार्मों के लिए सहकारी समितियों के निर्माण के सम्बन्ध में भी हुई। सहकारी फार्म कोलों के नाम से बने परन्तु वे वास्तविक अधिकार से वंचित रहे। इन फार्मों की जमीन एवं अन्य नियम हीनता और दुरभिसन्धि के माध्यम से ये बड़े जमींदार पहले से बड़े फार्मों के मालिक बन गये।

भूमि सुधार विधान बनाने का मुख्य दायित्व राज्य सरकारों का होने से जोत की अधिकतम सीमा निर्धारण में भी भिन्नता हुई। ऐसे ही परिवार की परिभाषा में भी राज्यों में स्वच्छन्दता बरती गयी जिससे भूमि सीमा निर्धारण कानून प्रभावित हुआ। इसी प्रकार राज्य सरकारों में राजनीतिक मनोबल की कमी को भी भूमि सुधार कानून लागू करने में सबसे बड़ी कठिनाई के रूप में माना जा सकता है। यही कारण है कि जितने उत्साह के साथ योजना प्रारम्भ की गयी थी उसमें दिन पर दिन कमी आती जा रही है। अतः दृढ़ सरकारी नीति और चुस्त प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा ही इस महत्वपूर्ण योजना में गति लायी जा सकती है।

प्राध्यापक
सामाजशास्त्र विभाग,
काशी विद्यापीठ, वाराणसी

सहकारी आवास–एक समग्र दृष्टि

आर.सी. व्यास

"देश में असमानता को दूर करने का सबसे बड़ा माध्यम सहकारिता है, सहकारिता को आधार बनाकर देश में विभिन्न लाभकारी कार्यक्रम बनाये जाने चाहिए।"

–राजीव गांधी

आवास व्यवस्था का किसी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसका संबंध मनुष्य के स्वास्थ्य एवं कार्यक्षमता से होने के कारण उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। अतः किसी देश के सामाजिक तथा आर्थिक विकास हेतु यह आवश्यक है कि वहां की आवास व्यवस्था संतोषजनक हो। भारत भी आवास व्यवस्था की ओर जागरूक है। सरकार ने इसमें सुधार लाने के लिए उचित कदम उठाये हैं।

मनुष्य की मुख्य आवश्यकताएं तीन हैं–रोटी, कपड़ा व मकान। शासन का भी मूल लक्ष्य है कि तीनों आवश्यकताओं की हर संभव पूर्ति की जा सके, आज आम नागरिक को रोटी व कपड़ा तो सस्ते दर पर सुलभ कराया जाना संभव हो गया है लेकिन मकान की जरूरतों की पूर्ति पूर्ण करने में हमें कामयाबी नहीं मिली है।

रोटी व कपड़ा की पूर्ति आम नागरिक अपनी रोज़ी से कमाई धनराशि से कर लेता है, लेकिन रहने की समस्या की पूर्ति करने हेतु उसे बड़ी धनराशि की आवश्यकता होती है और यह राशि आम नागरिक अपनी कमाई की बचत से नहीं कर सकता। उसे मकान बनाने हेतु धन की व्यवस्था कर्ज लेकर करनी पड़ेगी, चाहे वह आंशिक ऋण हो या पूर्ण।

गत कुछ दशकों से औद्योगीकरण तथा अधिक जन्म दर के कारण देश की जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है उससे रिहायशी मकानों में विशेषतः नगरीय क्षेत्रों में इनकी भारी कमी भी उत्पन्न हो गई है। इस कमी पर विशेष रूप से अध्ययन करने से पता लगता है कि भारत में आवासीय समस्या बहुत ही जटिल बनी हुई हैं। सरकारी व अन्य एजेंसियों द्वारा किए जा रहे अथक प्रयत्नों के बाद भी देश में आवास की कमी में दिन प्रतिदिन वृद्धि ही होती जा रही हैं। विशेष रूप से शहर की आवास समस्या और भी जटिल बनती जा रही है।

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के अनुसार वर्ष 1971 में शहरी आवास की कुल कमी 29 लाख वर्ष 1984 में बढ़कर 57 लाख तक पहुंच गई। 13 वर्ष की अवधि में आवास में कमी आने की गतिविधियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि उपयुक्त योजनाएं शहरी आवास समस्या के समाधान हेतु पर्याप्त नहीं हैं। हमारे देश में आवास समस्याएं एक युग से चली आ रही हैं। सन् 1938-39 में ब्यूरो आफ इकानामिक्स इंटेलिजेंस द्वारा किए गए निरीक्षण से पता चला था कि कानपुर नगर में आवास युक्त परिवारों में से 65 प्रतिशत के पास एक कमरे वाले मकान, तथा अन्य 31 प्रतिशत परिवार दो कमरे वाले मकान में रहते थे। शेष 4 प्रतिशत परिवार ही ऐसे थे जिनके पास तीन या चार से अधिक कमरे वाले मकान उपलब्ध थे। आवासीय समस्या पर आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व शाही आयोग ने बयान दिए थे कि बंबई जैसे महानगर में अधिकांश मकान ऐसे हैं जिन्हें देखकर यह कहना कि इसमें सुधार हो सकता है असंभव जान पड़ता है। वे तो केवल नष्ट करने योग्य हैं

आज के संदर्भ में भारत में शहरी आवास समस्या समय व नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। रोजगार की खोज में ग्रामीण गांव छोड़कर शहरों में आकर बसने लगे हैं, अतः इससे शहरों में आवास की कमी निरंतर बढ़ती जा रही है। इसके अतिरिक्त गंदी तथा अनाधिकृत कालोनियों में भी वृद्धि हो रही है। दिल्ली महानगर के लिए बनाए गए मास्टर प्लान के अनुसार मौजूदा आबादी में वृद्धि आने की रफ्तार को देखते हुए यह अनुमान लगाया गया है कि सन् 2001 तक की आबादी शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ 44 लाख 26 हजार और

ग्रामीण क्षेत्रों में 7 लाख 27 हजार तक हो जायेगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण का यह अनुमान हैं कि शहर की इस बढ़ती हुई आबादी से निपटने के लिए आगामी दो दशकों में 16 लाख 20 हजार नई आवास इकाइयों की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार बंबई महानगर की बढ़ती हुई आबादी एवं उसके कारण उत्पन्न आवास की समस्या पर एक प्राक्कलन के अनुसार इस महानगर में आवास की समस्या को दूर करने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 लाख नई आवास इकाइयों की आवश्यकता पड़ेगी और यह कार्यक्रम 15 वर्ष तक चलाने होंगे।

आज इन मकानों की कमी की पूर्ति करने में केन्द्रीय शासन व राज्य शासन स्तर पर कई कदम भी उठाये गए हैं। केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर की संस्था हुडको व भारतीय जीवन बीमा निगम आदि संस्थाएं, राज्य स्तरीय संस्थाएं जैसे गृह निर्माण मंडल, ग्रामीण आवास मंडल, स्थानीय विकास प्राधिकरण एवं राज्य सहकारी आवास संघों के माध्यम से मकान निर्मित करने हेतु ऋण उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है। लेकिन संस्थाओं को भी जितनी धनराशि की आवश्यकता है, उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। अतः एक आम नागरिक अपने मकान हेतु पर्याप्त ऋण प्राप्त करने में असमर्थ-है।

20 सूत्री कार्यक्रम व पंचवर्षीय योजनाओं में भी इस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया है। ग्रामीण आवास समस्याओं के समाधान के साथ-साथ नगरीय आवास में सुधार लाने हेतु भी कई योजनाएं बनाई गई हैं जिनके अंतर्गत शहरों में तंग बस्तियों का सुधार करना तथा जमीन की कीमतों पर अनुचित बढ़ोतरी पर नियंत्रण करना आदि सम्मिलित हैं। सन् 1972 में विशेष कल्याण योजनाओं के केन्द्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत तंग बस्तियों के पर्यावरण सुधार की एक योजना बनाई गई। यह योजना 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहर तथा जिन राज्यों में इस तरह के शहर नहीं हैं वहां कम से कम शहर में लागू की गई। इसके अतिरिक्त नगरीय आवास व्यवस्था में सुधार के लक्ष्य से अन्य कई योजनाएं जैसे दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ी हटाओं की योजना आदि बनाई गई। निम्न तथा मध्य वर्ग के लोगों को मकान देने की दृष्टि से राज्य सरकारों के अधीन गृह निर्माण संस्थाओं जैसे गृह तथा निगरीय विकास निगम तथा गृह निर्माण बोर्ड की स्थापना की गई। सातवीं योजना के अंतर्गत भी शहरी आवास में सुधार लाने पर विशेष बल दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत गृह तथा नगरीय विकास निगम तथा गृह विकास वित्तीय निगम की ओर से अधिक मात्रा में वित्तीय सहायता मिलने की आशा की जाती है। अनुमान है कि इन संस्थाओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋणों से लगभग 27 लाख से भी अधिक आवास बन सकेंगे। आज भारतवर्ष में 2 करोड़ 33 लाख मकान की आवश्यकता है। गांवों में 1 करोड़ 63 लाख और शहरों में 70 लाख मकान की।

मध्य प्रदेश में

मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग 4,43,446 किलोमीटर है तथा मध्य प्रदेश के कुल शहरी नगर 303 हैं तथा ग्रामीण आबादी 76468 गांवों में बसी है। मध्य प्रदेश में बढ़ती आबादी के दबाव को देखते हुए आवास की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता। अभी भी मध्य प्रदेश के लगभग 25 लाख परिवारों को आवास की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश का सहकारिता आंदोलन मूलतः उपभोक्ता के रूप में प्रारंभ हुआ था जो बैंकिंग व विपणन से होता हुआ गृह निर्माण तक पहुंचा है। गृह निर्माण के क्षेत्र में 24 दिसम्बर 1970 में मध्य प्रदेश राज्य गृह निर्माण सहकारी संघ का गठन हुआ तथा धीरे-धीरे इस संघ ने अपनी प्राथमिक सहकारी गृह निर्माण संस्थाओं के माध्यम से अपना जाल बिछाया और आज लगभग सभी 45 जिलों में लगभग 664 सहकारी गृह निर्माण सहकारी संस्थाएं हैं, जिनका वित्त पोषण शीर्ष आवास संघ कर रहा है। मध्य प्रदेश के अधिकांश भू भाग पर या तो खेतिहार मजदूर तथा श्रमिक हैं अथवा ग्रामीण क्षेत्रों का विस्तार गुलक क्षेत्र हैं। प्रदेश के आबाद अंकों में आज भी मौलिक आवश्यकताएं न के बराबर पूरी हो पाती हैं। इन ग्रामों में यादि वन ग्रामों को शमिल कर लिया जाये तो गांवों में आवास की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता। अभी तक शीर्ष आदास संघ ने हरिजनों तथा पिछड़े वर्ग को आवास सुविधाएं मुहैया कराई हैं और 85% वित्तीय मदद पिछड़े एवं मध्यम वर्गों को दी है जबकि 15% अन्य वर्गों को आर्थिक मदद की गई हैं। आवास संघ यह भी प्रयास कर रहा है कि हरिजनों और कमजोर वर्ग के सदस्यों को ब्याज दर में रियायत दी जाये और अनुदान आदि देकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाये। शीर्ष आवास संघ ने अब तक लगभग 15,000 मकानों के लिए 55.50 करोड़ रुपये दीर्घावधि ऋण के रूप में स्वीकृति किए हैं, और 10,420 मकानों का निर्माण संभव हुआ है। भोपाल में तीन उस नगरों का विकासीकरण

कर 35 प्राथमिक गृह निर्माण सहकारी समितियों को 11.30 विकसित प्लाट आबंटित किये हैं।

मध्य प्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ प्रदेश की गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं की शीर्ष संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। जिनका उद्देश्य गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ती दर पर आवासीय ऋण उपलब्ध कराना है। आवास संघ का वित्तीय स्रोत भारतीय जीवन बीमा निगम है। निगम से प्राप्त ऋण की उपलब्धता वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए बहुत कम है। संघ निगम से प्राप्त ऋण को सिर्फ आधा प्रतिशत मार्जिन पर प्राथमिक गृह समितियों के माध्यम से सदस्यों को देता है। अतः संस्था को अपने व्यवसाय में कोई विशेष लाभ नहीं पहुंचता। संग द्वारा ऋण पत्र जारी करने का प्रस्ताव शासन के सम्मुख विचाराधीन है। दिसम्बर 1987 में संघ को भारतीय जीवन बीमा निगम से 39 करोड़ रुपये के 13 ऋण प्राप्त हुए हैं। सदस्य प्राथमिक गृह निर्माण समितियों को संघ द्वारा दिसम्बर 1986 तक कुल 3842.72 लाख रुपये का ऋण वितरण किया गया। विभिन्न आय वर्ग समूहों में वितरित ऋण का वितरण निम्नानुसार हैं–

आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	–	20 प्रतिशत
निम्न आय वर्ग	–	40 प्रतिशत
मध्यम आय वर्ग	–	25 प्रतिशत
उच्च आय वर्ग	–	15 प्रतिशत

संघ द्वारा 30 जून 1986 तक 9041 भवनों का निर्माण किया जा चुका है। संघ ने वर्ष 1986-87 में 7 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया और 1400 भवनों का निर्माण लक्ष्य पूरा किया।

मकान बनाने हेतु जो ऋण वितरित किया जाता है, वह दीर्घावधि ऋण होता है। कमजोर वर्ग के लिए हुडको बहुत ही कम ब्याज–साढ़े सात प्रतिशत वार्षिक दर पर ऋण देता है। जबकि अन्य प्रकार के मकान एल.आई.जी., एम. आई.जी. आदि पर ब्याज दर अधिक है। आज मकान बनाने की सामग्री का मूल्य इतना अधिक बढ़ गया है कि सामान्यतः एक मकान बनाने की लागत कम से कम 100 रुपये वर्ग फीट से 200 रुपये वर्ग फीट (भूमि का मूल्य छोड़कर अलग-अलग शहरों) के मान से निश्चित की गई है। आज के युग में अगर व्यक्ति एक छोटा-सा ही मकान बनाना चाहे तो उसे कम से कम 60000/- रुपये व्यय करने पड़ेंगे और उस पर ब्याज सहित किस्त प्रति माह 600/- रु. 1000/- रु. तक आयेगी जो 10 से 15 वर्षों तक चुकता होती रहेगी। यह एक आम नागरिक के बस की बात नहीं है कि उस मकान में रहते हुए अपनी अल्प आय से अपने परिवार के लोगों का खर्च उठाते हुए मकान बना सके और मासिक किस्त समयावधि में चुकता कर सके। आज की एक ज्वलंत समस्या यह भी है कि आम नागरिकों को मकान बनाने हेतु भूमि का मूल्य इतना बढ़ गया है कि भूमि 25 रु. से 100 रु. तक वर्ग फीट के भाव से अलग-अलग शहरी क्षेत्रों में विक्रय की जा रही है और यह भूमि सरलता से नहीं मिल रही है। जब मकान बनाने के लिए जमीन नहीं मिल रही है तब आम नागरिक मकान कैसे बनवायेंगे। राज्य शासन के द्वारा जो स्थानीय विकास प्राधिकरण गठित किए गए थे उस समय इनके गठित करने का उद्देश्य सस्ते दर पर आम नागरिकों को भूमि उपलब्ध कराना था और बड़े-बड़े शहरों में जो बेहताशा आबादी बढ़ रही है, उसमें रोक लगाना था और इसलिए प्लानिंग करने का उद्देश्य था। लेकिन दुर्भाग्य से विकास प्राधिकरण या स्थानीय संस्थाएं इन उद्देश्यों को भूल गई और बड़े-बड़े मकान एवं फ्लैट बनाकर लाभ अर्जित करने लग गई और शासन की मूल भावना समाप्त हो गई। अतः यदि इस समस्या को हल करना है तो उसके लिए कुछ निम्न तथ्यों पर विचार करना होगा अर्थात राष्ट्र स्तर पर सहकारी आवास बैंक की स्थापना विचाराधीन हैं और इसे नाबार्ड के समान ही पुनर्वित उपलब्ध कराने का कार्य सुपुर्द किया जाना चाहिए। आम नागरिकों से जो किस्त की राशि वसूल की जाती है उसमें एक लाख रु. तक के लिए पटाने की अवधि कम से कम 20 वर्ष और यदि एक लाख रु. से अधिक कर्ज है तो 25 वर्षों में किस्त द्वारा पटाने की सुविधा देनी होगी। भारतीय जीवन बीमा 12% वार्षिक ब्याज की दर से कर्ज देता है यह बहुत अधिक है इसे घटाकर एक लाख रु हेतु 8% एवं 1 लाख से अधिक पर 10% ब्याज की दर तय करानी चाहिए। जो विस्तृत प्लाट शहरों में उपलब्ध हैं उसका 50% प्राथमिक गृह निर्माण सहकारी समितियों हेतु सुरक्षित रखे जाने चाहिए और तभी शहरों की जनसंख्या बढ़ाने से रोकने हेतु छोटे-छोटे अर्ध शहरी क्षेत्र विकसित किये जाने चाहिए।

ग्रामीण आवास

ग्रामीण क्षेत्रों की आवास की स्थितियों में सुधार करना एक दुष्कर कार्य है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास तथा संबंधित सुविधाओं का

अत्याधिक अभाव था। अधिकतर गांवों में कच्चे घरों या कच्ची झोपड़ियों का बाहुल्य था जिनमें रसोई घर, स्नान गृह जैसी अनिवार्य सुविधाओं का अभाव था। परिवार तथा पशु प्राय: एक ही स्थान पर रहते थे। ग्रामीण सड़कें टेढ़ी-मेढ़ी, तंग तथा गंदगी से युक्त थीं। गांवों में नालियों, शौचालयों आदि का नितांत अभाव था। अधिकांश ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अच्छा व आधुनिक आवास उनके बूते के बाहर की बात थी। समय के साथ-साथ जनसंख्या में तेजी से हो रही वृद्धि तथा जीवन यापन के स्तर में सुधार से आवास व्यवस्था का प्रश्न जटिल होता जा रहा है। 1951 से 1981 की अवधि में ग्रामीण जनसंख्या 29.87 करोड़ से बढ़कर 50.76 करोड़ (असम) को छोड़कर हो गई थी। 1981 में देश में 2 करोड़ 10 लाख मकानों की कमी थी जिनमें से ग्रामीण क्षेत्र में कमी 1 करोड़ 60 लाख मकानों की थी। विगत वर्षों में मकानों की जरूरत वाले परिवारों की संख्या तथा उपलब्ध मकानों की संख्या अनुसार विशेष प्रयास करने होंगे क्योंकि ग्राम आवास में सुधार कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समग्र विकास से जुड़ा हुआ है। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में सुन्दर और स्वस्थ जीवन यापन के लिए न्यूनतम आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

ग्रामीण आवास योजना

यह परियोजना 1957 में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य 4 से 6 गांवों के वर्गों में खाका योजनाओं के अनुसार गांवों को पुन: इस प्रकार से ढ़ालना है कि नालियों समेत गलियां पर्याप्त चौड़ी हो जायें। घरों तथा सामान्य सुविधाओं और भवनों के लिए उनके बीच उचित अंतर या फासला हो। इस परियोजना में गलियों, सामुदायिक भवनों, नये गृह-स्थलों तथा जनघनत्व को हल्का करने के लिए भूमि अधिग्रहण की व्यवस्था भी की गई। राज्य सरकारों द्वारा स्थापित ग्रामीण आवास प्रकोष्ठों की खाका योजनायें तथा ग्रामीण घरों के लिए उक्त डिजायन तैयार करने की भी व्यवस्था है। घरों के निर्माण तथा सुधार के लिए 2,000/- प्रति घर तक कर्ज सहायता दी जानी थी। इस योजना ने कोई विशेष प्रगति नहीं की। यहां 1960-61 में केवल 1,600 गांवों की खाका योजनाएं तैयार की गईं तथा 15,400 मकानों के निर्माण के लिए ऋण स्वीकृत किया गया। जबकि देश में उस समय 5.4 करोड़ मकान थे। ग्रामीण समाज के स्वरूप के कारण इस योजना के संचालन में अनेक बाधाएं आईं। परिणामस्वरूप धीरे-धीरे इस योजना का उत्साह समाप्त हो गया। ग्रामीण भूमिहीन कार्मिकों के लिए गृह स्थल तथा गृह निर्माण हेतु 1978-79 तक 40 लाख गृह स्थल प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। ग्रामीण भूमिहीनों के लिए आवास कार्यक्रम मार्च 1985 तक लगभग 1.37 करोड़ परिवारों के गृह स्थल आबंटित किए गए। अभी भी 7.2 लाख भूमिहीन परिवारों को भूखंड आबंटन किया जाना है।

योजना काल में पूर्व में भूखड आबंटित लोगों को निर्माण सहायता देने का प्रयास किया जायेगा। 7.1 लाख परिवारों को भवन निर्माण हेतु 541 इकाई रुपये देने का प्रावधान किया गया है। आवासीय भूखंड हेतु सहायता 250/- प्रति परिवार से बढ़ाकर 2,000/- कर दी गई है। योजना काल में ग्रामीण आवास हेतु 'न्यूनतम आवश्यकता–कार्यक्रम' के तहत 577 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। हुडको तथा सामान्य बीमा निगम द्वारा भी 240 करोड़ रु. उपलब्ध कराये जाने हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा देश में मकानों के निर्माण की गति तेज करने हेतु 'राष्ट्रीय आवास बैंक' की स्थापना की घोषणा की गई है। 100 करोड़ रुपये की पूंजी से कायम होने वाला यह बैंक गृह निर्माण की सुविधाएं देगा। सरकार का प्रयास है कि सन् 2,000 तक प्रत्येक परिवार के पास अपना एक मकान हो। छठी योजना में आवास हेतु 1490.87 करोड़ रुपये का प्रावधान था जो सातवीं योजना में 2458.21 करोड़ किया गया है ताकि देश में कोई व्यक्ति बेघर न रहे।

सिंहावलोकन-प्रगति के कदम

वर्तमान में आवास सहकारिता भारत में बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है, और पूरे भारत में 40,000 गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं, और इसके 28 लाख सदस्य हैं इसके अंतर्गत लगभग 6 लाख मकान व फ्लैट बन चुके हैं और इतनी ही संख्या में मकान बन रहे हैं। इस आंदोलन की सबसे बड़ी समस्या वित्त की है। अभी भारत में 24 शीर्ष सहकारी आवास संघ कार्यरत हैं। इन शीर्ष आवास संघों ने अभी तक 1,500 करोड़ रु. मकान बनाने हेतु कर्ज दिया है

(शेष पृष्ठ 38 पर)

छत

प्रदीप पण्डित

पिंजी हुई रूई-सी सफेद शाम। धुंआ-धुंआ आसमां। धुएं को तीरों के वलय से बांधने का कौतूक करते आदिवासी बच्चे। बंडी नुमा बित्तेभर का कपड़ा जो न पेट ढक पाता न छाती; फिर भी जंग लगी सेफ्टीपिन से अटका था। शायद इसीलिए कि मां-बाप को लगे कि उन्होंने बच्चे को कपड़ा पहना दिया है। पास में महुए से शराब बनाने का पुश्तैनी क्रम। दूर-दूर छिटकी फूस क झोपड़ियां। किसी में दरवाजे के लिए थीं बांस की खपच्चियां और उन पर खाखर के पत्ते। कभी-कभी महिलाएँ खुद के शरीर को ढ़कने के लिए भी पत्तों एवं छोटे-मोटे कपड़ों का इस्तेमाल करतीं। पतरिया गांव के ये आदिवासी महुए की शराब पीने; आटे की राबड़ी निगलने और कुचमाती मन पर नियंत्रण न रख पाने पर साबुआ या मेघनगर के भगोरिया हाट में चले जाते।

महुए की शराब के लिए बनाई गोलाकार भट्ठी के आस-पास सैकड़ों आदिवासी। चारों दिशाओं में चौकन्ने तीर-कमान। महुआ पीने के बाद चोरी के पैतृक धंधों की ओर बढ़ने के लिए बातचीत। तय नहीं हो रहा था आज शाम का पहला पक्षी किस दिशा से बोला। आमतौर पर वे दिशा इसी तरह तय करते हैं। वे किसी निष्कर्ष पर पहुंचते तभी एक जीप आकर रूकी और तीर-कमान चढ़ाए आदिवासी बस! तीर छोड़ने ही वाले थे कि हलकू चिल्लाया—ये पुलिसिए नहीं है। देखो तो! कौन है! मारना नहीं। गाड़ी बी.डी.ओ. की थी। वैसे पतरिया में शायद पहली बार हुआ कि भीलों ने गाड़ी रुकते देखी और तीर छोड़ा नहीं।

हलकू पतरिया हलक में अकेला मैट्रिक था। रात से भी ज्यादा स्याह और हट्टाकट्टा हलकू बेहद ऊंचा था। उसने भीली भाषा में सबकी ओर मुखातिब होते हुए कहा—"ये बीडो साहब हैं। इनका काम हम लोगों को पकड़ना नहीं। इतना पक्का है कि ये पुलिसवाले नहीं है।"

महुए सेंकने वाले समूह में से कोई बोला—पुलिस हो या न हो सारे सरकारी मुलाजिम पुलिस वाले ही होते हैं। इनके पास भी जीप है। पुलिस की वर्दी नहीं है तो क्या? सरकारी आदमी को कुछ न कहोगे तो कल से पतरिया की धाक ही खत्म हो जाएगी। एक बार उन सबके मन से हमारे तीरों का डर निकल गया तो तो हम कभी चोरी नहीं कर सकेंगे; और चोरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या?—तुम लोग महुआ पकाओ। मैं बात करता हूँ। गर पकड़गे की कोई चाल हुई तो मैं 'कुर्र' चिल्लाऊँगा और तीर चला देगा। यह सब बी.डी.ओ. और उनके साथी सुन रहे थे। अंतिम घोषणा ने न्हें पसीने में भिगो दिया। मगर वे थे अनुभवी। ऐसा पसीना भी उन्हें रोक नहीं पाया। फिर लौटने में जान का खतरा भी था।

हालात कैसे भी हों, लेकिन जब आदिवासी किसी को मेहमां की तरह न्यौता देते हैं तो पूरी तहजीब से उसके आराम का इंतजाम करते हैं। उनमें से किसी से किसी ने दौड़कर गांव की अकेली चारपायी जुटाई। कोई पत्तों के दोनों में राबड़ी भर लाया। फिर बच्चे जीप के आस-पास और युवा चारपायी के इर्द-गिर्द। संदेह, जिज्ञासा, कुतूहल, से भरी आंखे। नंगे बदन डेढ़ हाथ की धोती को घुटनों से ऊपर ही गुड़ी मुड़ी बांधे हुए। सिर पा पगड़ी की जगह करीब आधे हाथ का सफेद टुकड़ा। किसी-किसी के सिर पर वह भी नहीं था। उन लोगों ने सिर पर गोफन लपेट रखा था। हाथों पर गोदने के निशान, पैरों में कभी कुछ न रहने के खालीपन का दिखाती फटी बिवाइयां! पैर से सिर तक डाम के निशान। अमूमन; सभी इसी तरह के थे। जो ज्यादा सतर्क थे वे तीर चढ़ाए हुए ही 'बीडो' की खाट के पास आ गए।

सरकारी कामकाज की शुरुआत मुखिया की खोज से होती है। लेकिन बी.डी.ओ. साहब को पता था कि यहां चुनाव वैसा नहीं होता। यहां का प्रमुख हलकू है। हालांकि वे उससे मिले नहीं थे, फिर भी उन्होंने बैठते ही भीली भाषा में पूछा—"हलकू कौन है? वही है ना तुम्हारा मुखिया?"

भीली भाषा में किसी सरकारी अधिकारी को बोलते सुनकर आदिवासी चौंक गए। फिर भी उन लोगों में विश्वास की जगह आत्मीयता जागी। आत्मीयता भी सिर्फ इस तरह

की कि यह हमारे बारे में जानता है। हलकू तब तक सबको धकियाता हुआ, जो बैठ गए थे चारपायी के आगे, उनकी पगड़ियों को छूता हुआ, थोड़ा झुकता आगे आ बैठा।

बी.डी.ओ. ने कहा—"भाई हलकू हमारे गांव में ब्लाक के सबसे ज्यादा आदिवासी हैं। लेकिन सबकी झोंपड़ियां दूर-दूर हैं। किसी-किसी के पास तो वह भी नहीं है। सरकार चाहती है कि तुम लोगों को मकान बनाकर दिए जाएं ताकि सब इकट्ठे रह सको और टपरियाओं का दुःख भी न हो। मकान पक्के होंगे। पट्टेदारी तुम लोगों के नाम लिख दी जाएगी।... यदि तुम लोग राजी हो तो बताओ जल्दी से काम शुरू करवाया जाए।"

बातचीत अभी भी उनकी भाषा में हो रही थी। इसलिए कुछेक भीलनियों ने बात सुनीं और समझी भी वे यह सब नहीं समझीं की आखिर क्या, क्यों और कैसे होगा। मगर इतना समझ गईं कि जीपवाला बाबू हमारे लिए मकान की बात कर रहा है। वे सब भी धीरे-धीरे खटिया से कुछ दूर सिर पर पड़े बोर तक एक तरफ का घूंघट उठाए बात समझने की चेष्टा में बी.डी.ओ. को देखने लगीं।

हलकू ने कहा—साब! सरकार मकान बनाएगी और हमको देगी। यह बात अच्छी तो खूब है, पर मन मानता नहीं है कि सरकार ऐसा करेगी। न तो पुर्जा डालना है किसी के नाम पर कहीं जाकर। वह भी पांच बरस में मौका आता है तब भी दलिया के अलावा कुछ मिलता नहीं। अब तो कुछ है नहीं तो सरकार को मकान देने की क्या सूझी?

बी.डी.ओ. साहब ने कहा—भाई हलकू देख! पहले इस गांव में सड़क थी? नहीं थी। किसने बनवाई? सरकार ने। किसी सेठ ने नहीं बनवाई। तुम लोगों ने कर्ज पर सामान लिया था अपनी घरवालियों के तोड़े वगैरह गिरवी रखकर? वे वापस किसने दिलवाए? सरकार ने। तो सरकार चाहती है कि तुम सब भी अपनी इसी संस्कृति के साथ लेकिन ठीक तरह से रहो। इसीलिए यह सब किया जा रहा है।

... अच्छा! फिलहाल जीप की ट्राली में दलिया है। वह सबमें बंटवा दो। यह भी आप लोगों के लिए है।... इस वाक्य के बाद फिर जैसे कोई खटिया के पास रहा ही नहीं। भील दौड़े हाली की ओर। अब तक वे भील भी सहज हो गए थे जिन्होंने तीर कमान पर चढ़ा रखे थे। उनमें से भी कुछ दलिया के लिए बेताब हो गए। हलकू और उसकी साथिन बिजली बड़ी देर तक सभी में दलिया बांटती रही।

दलिया लेकर जाते आदिवासियों में एक अद्‌भुत संतुष्टि थी। वह भूख तृप्ति से ज्यादा बगैर चोरी किए सब मिलने की तृप्ति थी। बी.डी.ओ. पूरे माजरे को देख रहे थे। वे यकीनन चाहते थे कि मकान बनें और इन्हें जल्दी से जल्दी मिलें भी, लेकिन इसके लिए इन लोगों का राजी होना जरूरी है, वरना मकान बन भी गए तो किसे देंगे? वे सोच रहे थे कि इन लोगों का अन्तरमन जानने के लिए सोने का बहाना सबसे उपयुक्त होगा। उन्होंने हलकू के लौटने से पहले ही अपने साथी से कहा कि वह जीप की ड्राइविंग सीट पर सो जाए और वे खुद खटिया पर चादर तानकर लेट गए। उनकी तरकीब काम कर गई। थोड़ी ही देर में दलिया से तृप्त आदिवासी महुआ उंडेलने लगे। कुछेक ने मदमस्त होकर झूमना शुरू कर दिया। यह उनकी बैठक की प्रस्तावना थी। धीरे-धीरे बी.डी.ओ. के विचार के अनुरूप वे सब सरकारी योजना पर बात करने लगे।

मौसम खुशगवार था। आसमान साफ था, बी.डी.ओ. के प्रयोजन की तरह। लेकिन दूर घुप्प अंधेरा था; आदिवासियों का आद्य दर्शाता। उनकी महफिल महुए के सरूर के बाद भी सीधी चलने लगी। बी.डी.ओ. चुपचाप पड़े थे। हलकू ने ही बात शुरू की—सरकार अच्छा करने का सोच रही है। लेकिन विश्वास नहीं होता कि सरकार वाकई ऐसा करेगी।

भीलू बोला—हलकू तुम पढ़े-लिखे हो; मगर अकल नहीं है तुम्हारे पास। कभी कोई कहानी भी सुनी है कि सरकार ने मुफ्त में आदिवासियों को कुछ दिया हो? वह क्यों देना चाहती है मकान? क्यों?

दूसरे ने बीड़ी फेरते हुए गला खराश कर कहा—भई! बात यह है कि हम चोरियां करते हैं और सरकार के पास पुलिस इतनी है नहीं कि हमें पकड़ सके लिहाजा हम भाग जाते हैं। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि सभी को इकट्ठा रखा जाए ताकि आसानी से पकड़ा जा सके और चोरियां बंद हो जाएं। वास्तव में मकान के पीछे पुलिस की चाल है। बी.डी.ओ. भी पुलिस का आदमी है। दलिया खिलाया तो क्या, पुलिस भी थाने में दलिया देती है। अपने को तो भरोसा नहीं कि सरकार ऐसा करेगी।

उनमें एक बूढ़ा भी था। उसने कहा—किसी सरकारी आदमी पर भरोसा करना ठीक नहीं। ये पहले मकान बनाएंगे और हमारी आदत दरवाजा लगाने की डालेंगे। फिर हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चे पढ़ जाएंगे तो चोरी नहीं करेंगे।

डरपोक हो जाएंगे। ऐसे बच्चे क्या करेंगे? सरकार तो कुछ करेगी नहीं। मकान में भूखे मर जायेंगे। कुल मिलाकर सरकार पर एतबार नहीं करना।

लेकिन यह सारा महुए का प्रताप था। फिर भी, बी.डी.ओ. इसे ध्यान से सुनते रहे और सोचते रहे कि इनका सोचना अर्थहीन नहीं एकांगी है। पहले कोई सरकारी अधिकारी आया ही नहीं सिवा पुलिस के तो ये और सोच भी क्या सकते है? उन्होंने युक्ति सोची और सुबह की प्रतीक्षा में आंखें मूंदें लेटे रहे।

...सुबह जैसे पूरा सूरज उफककर निकल पड़े सिक्के की तरह खुल गया। बी.डी.ओ. ने हलकू और भीलू को बुलाकर कहा—तुम्हारा गांव मेघनगर विकास खण्ड के तहत है। हर दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक वहां आकर तुममें से कोई भी अपने घर के सदस्य बताकर दलिया ले जा सकता है। पानी के लिए भी एक योजना बनी है। खैर फिलहाल तुममें से जिस किसी को जरूरत हो, वहां आकर ले ले। हां! वह थाना नहीं है बी.डी.ओ. आफिस है।

भूख का इंतजाम इतनी बड़ी थपकी होता है कि उठे हुए तीर वैसे ही तरकश में चले जाते हैं। वे सब भी रोज-रोज की लूट, भाग-दौड़ और लुका-छिपी के खेल से तंग आ गए थे। हलकू ने कहा—साब! सच्ची ऐसा होगा? उन्होंने सिर्फ हां कहा और गाड़ी की तरफ चल दिए। वे गाड़ी की ओर बढ़ रहे थे और छितरी हुई टपरियाओं से आदिवासी लड़कियां बाहर निकल रहीं थीं। बिजली ने ही साहस करके हलकू को बुलाया और कहा—बी.डी.ओ. को रोको।

वह राबड़ी का दोना लेकर जीप की ओर बढ़ी। बी.डी.ओ. ने नजदीक आने पर उसे पहचान लिया। पतरिया की अकेली आदिवासी लड़की जो कई बार गांव के लिए दलिया लेने आई थी। बिजली ने गांव की ओर से कहा—साब! इन्हें विश्वास इसलिए नहीं है कि अभी तक जितने भी आए वे सब कुछ भी नहीं कर गए। आप मकान की तैयारी के लिए सरकार को लिखें। गांव राजी है।

और जैसे बी.डी.ओ. को गांव के विकास के नाम पर चलती चमचमाती गेती दिखी और धुआं उड़ाती जीप के छल्लों में आदिवासियों को मकान!

पृष्ठ 35 का शेष

और प्रतिवर्ष इनके द्वारा 150 करोड़ रुपये मकान बनाने हेतु दिया जा रहा है। यह राशि व्यक्तिगत सदस्यों के हिस्सों के अतिरिक्त है जिसका व्यक्तिगत योगदान 50% है। अतएव सहकारी क्षेत्र में मकान बनाने हेतु 3,000 करोड़ व्यय किया जा चुका है।

आवासीय वित्त की समूची व्यवस्था शीर्ष आवास संघ पर निर्भर है और इसे राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ का मार्गदर्शन प्राप्त है। आवासीय सहकारी समितियों की यह विशेषता है कि वह अपने सदस्यों को रजिस्ट्रेशन के दिनांक से मकान बनने तक और उसकी मरम्मत हेतु पूर्ण मदद करती है। जबकि अन्य आवसीय बोर्ड अन्य शासकीय अभिकरण/ प्राइवेट संस्थानों में यह विशेषता नहीं है। इस आंदोलन में एक और फायदा है कि इस में सदस्यों की भागीदारी रहती है, जो न तो शासकीय आवास और न ही प्राइवेट सेक्टर में यह सुविधा मिलती है। शीर्ष आवास संघों की यह उपलब्धि रही है कि उसने गत 30 वर्षों में भारतीय जीवन बीमा निगम को हमेशा ही राशि समयावधि में बढ़ाई है। यह भी एक अच्छी बात है। आवास आंदोलन के हित में है कि आवास ऋण वसूली हमेशा ही शासकीय या अन्य एजेंसियों से अच्छी रही हैं। यह इसलिए भी हाउसिंग समितियों में जब तक अच्छी वसूली नहीं होगी वह आगे नहीं बढ़ पायेगी क्योंकि उसे डूबते ऋण की स्थिति में कोई शासकीय अनुदान या सहायता नहीं मिलती है। अन्य आर्थिक माध्यमों की अपेक्षा सहकारी आवास ऋणों की वसूली सहकारी कानून के प्रावधान के अंतर्गत शीघ्र होती है। इसके संबंध में न्यायिक प्रक्रिया आदि में पंजीयक सर्व अधिकार संपन्न है। अतः लोग कोर्ट कचहरी की लंबी प्रक्रिया से बच जाते हैं। रजिस्ट्रार अवांछित गृह निर्माण समितियों की कमेटी को समय पड़ने पर भंग भी कर सकता है। अतः अनुभव बताता है कि आवास की समस्या हल करने में सहकारी आंदोलन बहुत अच्छे ढंग से हाथ बटा सकता है।

प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र
बिलासपुर (मध्य प्रदेश)

टापरियां पीछे छूट रही हैं, बस्तियां उभर रहीं हैं

प्रभात कुमार सिंघल

उनकी उम्र का एक पड़ाव यूं ही टापरियों में गुजर गया। टापरियां भी क्या बस घास-फूंस का एक खोला। यही झोंपड़ी उनकी जिन्दगी का सरमाया। शादी-विवाह की बहारें भी यहीं तो बच्चों की किलकारियां भी यहीं। बचपन से जवानी की डगर यहीं परवान चढ़ती है। छोटी-सी टापरी में भरा-पूरा परिवार। मुनष्य ही रह लें तो गनीमत परन्तु वहां तो बकरी जैसे चौपाये भी इसी में खूंटे से बंधते हैं। चूल्हा-चक्की भी यहीं। गुजर-बसर का सारा सामान, सब कुछ यहीं। इन टापरियों में सहरिया आदिवासी परिवार वर्षों से रह रहे हैं। पन्द्रह-बीस टापरियों का समूह सहराना कहा जाता है। यूं तो सहराने में रहना इनकी जीवन शैली का हिस्सा है परन्तु तंग आवास की बात सभी की जुबान पर होती है।

इन टापरियों में रहने वाले सहरिया आदिम जाति के लोग लम्बे समय से राजस्थान के कोटा जिले की पंचायत समिति शाहबाद एवं किशनगंज में रह रहे हैं। इनके लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ इनको तंग आवास से मुक्ति दिलाकर सुविधाजनक आवास जुटाने के प्रयास किये गये। प्रयासों की कड़ी में बीस सूत्री कार्यक्रम, सहरिया विकास उप योजना एवं इन्दिरा आवासीय कालोनी में कार्यक्रम तैयार किये गये। गरीब को छप्पर के तहत मामोनी में एक कालोनी का निर्माण करा कर इन्हें बसाया गया।

वर्ष 1987-88 में इन्दिरा आवासीय योजना में खुशियारा में 3 लाख 66 हजार रुपये की लागत से 61 सहरिया परिवारों को बसाने के लिए सुविधाजनक आवासगृह बनाकर कालोनी का निर्माण कराया गया। अनारी सहरिया भी खुशियारा कालोनी में रहता है। उसका कहना है हमें तो बंगला मिल गया पर हमारा वह बंगला कहां है जिसमें हमारे मेहमान ठहरेंगे, हमारी पंचायतें करेंगे। सहरियों की जीवन शैली में बंगले का कितना महत्व है, इसका पता अनारी की बात से चलता है। सम्पत्त, घनश्याम, मनफूल, पांचा, सिंधु आदि सभी इन्दिरा आवासीय कालोनी में प्रसन्न हैं।

61 मकानों की यह कालोनी पूरी तरह आबाद हो गई है। सहरिया परिवार अपनी झोंपड़ियां छोड़कर यहां बस गये हैं। पीने के लिए पानी दूर से नहीं लाना पड़ता, हैण्डपम्प की व्यवस्था ने पेयजल समस्या का निराकरण किया है। सभी घरों में निर्धूम चूल्हें लगाये गये हैं। बिजली की व्यवस्था के लिए प्रयास चल रहे हैं। शीघ्र ही आंगनबाड़ी केन्द्र भी यहां प्रारम्भ होने की आशा है।

कोटा जिला मुख्यालय से करीब 121 किलोमीटर दूर सड़क किनारे विकसित की गई यह इन्दिरा आवासीय बस्ती सहरियों के जीवन में एक बड़ा बदलाव है। शाहबाद पंचायत समिति की ऐसी आदर्श कालोनी कस्बा थाना में 24 सहरिया परिवारों के लिए एवं बहराई में 20 सहरिया परिवारों के लिए बनकर तैयार हो चुकी है। भैंटा, चारा खेड़ी एवं सिरसोद में 20-20 तथा किराड़ पहाड़ी में 15 आवास गृहों का निर्माण कार्य जारी है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत इसी पंचायत समिति में आनासागर में भीलों के लिए 40 आवासगृह बनकर तैयार हो चुके हैं। सहरियों के लिए बोलखेड़ा डांग एवं केदा कुई में 20-20 मकान बनाये जा रहे हैं। अकाल राहत कार्य के

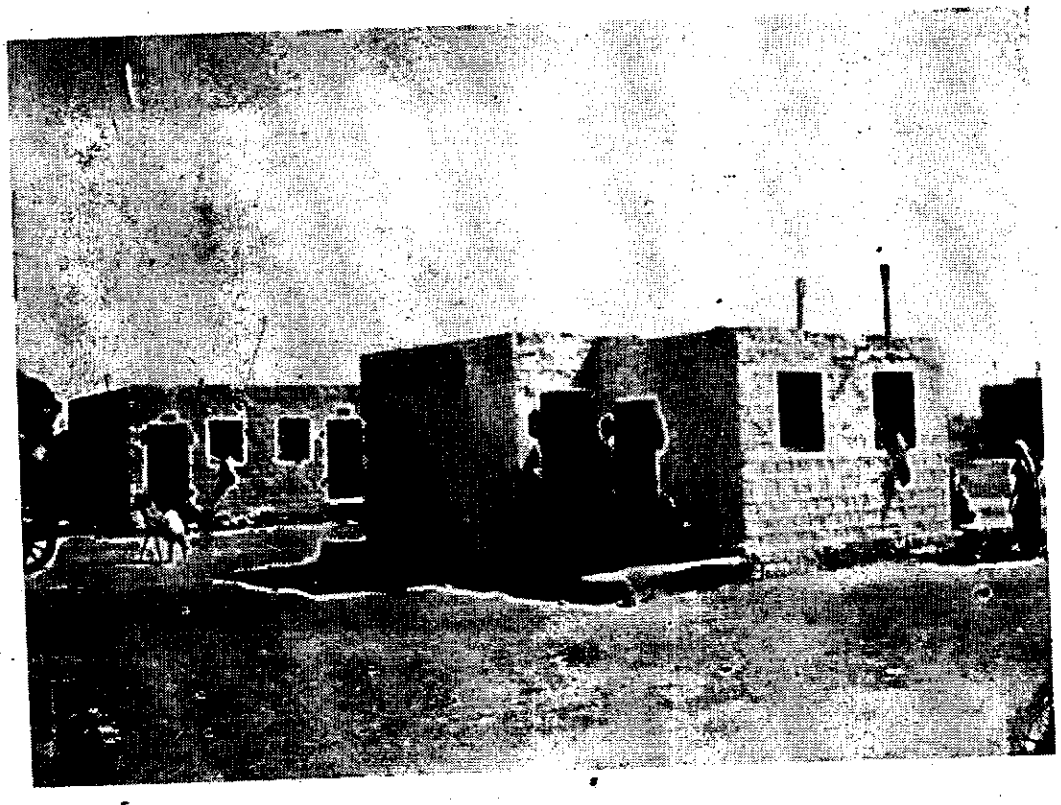

खुशियारा इन्दिरा आवसीय कालोनी

तैंहत सिलोरा एवं चन्दनहेड़ा में 30-30 मकान बनकर तैयार हो चुके हैं।

जिला प्रशासन के प्रयास

पंचायत समिति शाहबाद में ही नहीं जिले की अन्य सभी 12 पंचायत समितियों में ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय सुविधा सुलभ कराने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। जिला प्रशासन इस ओर विशेष क्रियाशील है।

राजस्थान के कोटा जिले में ग्रामीण आवासों की वर्ष 1987-88 की प्रगति के विषय में एक भेंट में अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी बी० के० शर्मा ने बताया कि जिले में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों के गरीब परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय सुविधा मुहैया कराने के लिए विविध आवासीय योजनाओं के तहत 4 हजार 924 आवासगृहों के निर्माण की स्वीकृति दी गई।

हुडको योजना (सामान्य) के तहत 265 मकान स्वीकृत किये गये थे, जिनमें से 190 मकान बनकर पूर्ण हो चुके हैं। 69 का निर्माण कार्य जारी है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत 961 मकानों की स्वीकृति जारी की गई जिसमें से 861 मकान पूर्ण हो चुके हैं तथा 60 का निर्माण कार्य चल रहा है। अकाल राहत कार्यों के तहत 1600 मकान स्वीकृत किए गए जिसमें से 242 मकान पूर्ण हो गये हैं। इन्दिरा आवासीय योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में 954 आवासगृहों के निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए, जिनमें से अब तक 361 मकान बनकर पूर्ण हो चुके हैं तथा 537 आवासगृह निर्माणाधीन हैं।

ग्रामीण आवासीय योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या को सुविधाजनक आवास सुलभ कराने के लिए सरकार ने जो कार्यक्रम चलाए हैं उनका लाभ प्रत्यक्ष नजर आता है।

सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी,
के० आर०-56, सिविल लाइन्स,
कोटा (राजस्थान) 324001

कुरूक्षेत्र, नवम्बर

छुणक भाऊ छुणकी बहणा

श्रीमती शांति

बहुत समय पहले मनाली के पास के एक गांव के बीचों बीच एक छोटी-सी झोंपड़ी में एक लकड़हारा अपनी पत्नी, बेटा व बेटी के साथ रहता था। लकड़हारा रोज सुबह होते ही सामने की पहाड़ी की तरफ चला जाता और दिन भर जंगल में लकड़ियां काटकर शाम होने पर लकड़ियों का गट्ठर लेकर घर वापस आ जाता। लकड़ियों का बड़ा-सा ढ़ेर इकठ्ठा होने पर उन्हें बाजार में बेच कर जो कुछ मिलता उसी से अपने परिवार की गुजर-बसर करता था। एक दिन अचानक गांव में बीमारी फैली। उस बीमारी से लकड़हारे व उसकी पत्नी का देहान्त हो गया। मां-बाप की मृत्यु के बाद बच्चे अनाथ हो गए। लकड़हारा व उसकी पत्नी बहुत अच्छे स्वभाव के थे इसलिए गांव वाले उनको अच्छा मानते थे। उनकी मृत्यु का सभी को बहुत दुःख था। उन दोनों बच्चों की देखभाल गांव वाले ही किया करते थे। इसी तरह दिन बीतते गए वे दोनों छुणक भाऊ और छुणकी बहणा कुछ बड़े हो गए। अब वे दोनों जंगल जाकर लकड़ियां बीनते और अपने पिता की तरह ही उन्हें बेचकर अपनी आजीविका चलाते। छुणक भाऊ अपनी छुणकी बहणा को बहुत प्यार करता था। बहन भी अपने भाऊ हो बहुत चाहती थी। इस तरह वे दोनों बहन-भाई एक दूसरे के सहारे अपने दिन गुजार रहे थे।

एक बार वे दोनों भाई-बहन रोज की तरह जंगल में लकड़ियां चुन रहे थे। लकड़ियां चुनते-चुनते वे एक दूसरे से दूर चले गए। शाम हो गई छुणकी बहणा ने अपनी लकड़ियों का ढ़ेर इकठ्ठा किया और भाई को ढूंढने लगी। उसे भाई नहीं मिला। बहुत देर तक ढूंढने के बाद वह निराश होकर बैठ गई और रोने लगी। थोड़ी देर बाद छुणकी बहणा को घोड़े के टापों की आवाज सुनाई देने लगी। उस देश का राजा सैनिकों के साथ आखेट करने जंगल में आया था। एक हिरण का पीछा करते-करते वह उस जगह पहुंच गया जहां छुणकी बहणा बैठी रो रही थी।

राजा ने छुणकी को देखा। वह उसकी सुन्दरता पर रीझ गया। उसने आगे बढ़कर उससे रोने का कारण पूछा। छुणकी ने रोते हुए बताया कि उसका भाई जंगल में कहीं खो गया है। राजा ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि वे किसी भी तरह छुणकी के भाई को खोज निकालें। राजा के सभी सैनिक छुणका भाऊ को ढूंढने जंगल में चारों तरफ चल दिए।

राजा ने छुणकी को अपना परिचय दिया और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। छुणकी ने राजा से कहा महाराज, जब तक मेरा भाऊ नहीं मिल जाता मैं शादी नहीं करूंगी, आपको शादी के लिए मेरे भाऊ से अनुमति लेनी होगी। राजा ने छुणकी को आश्वासन दिया कि उसके सैनिक किसी भी तरह छुणक को ढूंढ निकालेंगे। रात होने को आई सैनिक एक-एक कर सब वापस आ गए। उन्हें भाऊ कहीं नहीं मिला। सब यही सोच रहे थे कि कहीं कोई जंगली जानवर भाऊ को न खा गया हो। राजा ने छुणकी को समझाया कि रात हो गई, इस जंगल में तरह-तरह के भयंकर जानवर हैं, तुम्हारा यहां अकेली रहना ठीक नहीं, इसलिए तुम मेरे साथ चली चलो, मैं अलग महल में तुम्हारे रहने का प्रबंध करवा दूंगा, तुम्हारे भाई के मिलने पर ही तुमसे विवाह करूंगा। मेरे सैनिक कल फिर तुम्हारे भाई को ढूंढेंगे। राजा की बात छुणकी बड़ी मुश्किल से मानी। राजा उसे अपनी राजधानी ले आया और उसके रहने का प्रबंध अलग महल में कर दिया। छुणकी महल में ठाठ बाट से रहती थी मगर वह अपने भाऊ को न भुला पाई।

इधर भाऊ जंगल में अपनी छुणकी को ढूंढता फिर रहा था। उसे छुणकी कहीं नहीं मिली। यह सोचकर कहीं उसे कोई जानवर खा गया है हताश होकर वह राजधानी की तरफ चल दिया। वह सोच रहा था किस की मदद ली जाए। राजधानी पहुंच कर वह इधर-उधर घूमता रहा। एक जगह उसे दो सैनिक बात करते सुनाई दिए। वह चुपके से उनकी बाते सुनने लगा। एक सैनिक दूसरे से कह रहा था—भई हमने तो सारा जंगल खोज मारा मगर होने वाली रानी के छुणक भाऊ का कहीं पता नहीं चला लगता हैं उसे किसी जंगली जानवर ने खा लिया हैं। मगर हमारी रानी है कि हठ किए हुए बैठी है कि जब तक उसका भाऊ नहीं मिलेगा वह राजा से शादी नहीं

करेगी, क्या करें? समझ में नहीं आ रहा है। अगर छुणक नहीं मिला तो राजा हमें मृत्यु दंड दे देंगे। छुणक चुपके से उनकी बातें सुन रहा था। उसे सैनिक पर बड़ी दया आई। उसे यह जानते देर नहीं लगी कि ये लोग उसी को ढूंढ रहे हैं और होने वाली रानी कोई और नहीं बल्कि उसकी छुणकी बहणा ही है। वह सैनिक के पास जा कर बोला—सुनो भाई, मैं ही वह छुणक भाऊ हूं जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो। तुम्हारी होने वाली रानी मेरी ही बहणा है, तुम मुझे उससे मिलवा दो। सैनिक यह जानकर बहुत खुश हुये कि आखिर उनकी मेहनत सफल हो गई और उसे छुणक भाऊ मिल गया। वह भाऊ को अपने साथ राजमहल ले गये। उन्होंने राजा को यह खुशखबरी सुनाई। राजा खुशी से भाऊ से गले मिला और छुणकी के महल की तरफ चल दिया।

छुणकी अपने महल में दासियों के बीच उदास बैठी अपने भाई को याद कर रही थी। राजा के साथ अपने छुणक भाऊ को देखकर वह बहुत खुश हुई और दौड़कर अपने भाऊ से गले मिली। कुछ देर तक दोनों भाई-बहन एक दूसरे से गले मिल कर खूब रोए।

बाद में राजा ने छुणक भाऊ को अपना मंत्री बना दिया और उससे अनुमति लेकर छुणकी बहणा से धूमधाम से शादी की। अपनी छुणकी को रानी बनती देख छुणक खुशी से फूला न समाया।

पटौदी हाऊस
केनिंग रोड
दिल्ली

दीपक श्रम के

योगेश चन्द्र शर्मा

दीपक श्रम के आज जलाओ।
सब मिलकर दीपक जोत जलाओ।।
अंधियारा मन के अन्दर है,
अंधियारा जग में बाहर है।
स्वार्थ कपट अज्ञान धूर्तता,
ढका तिमिर से घर बाहर है।
अन्दर बाहर का अंधियारा,
ज्ञान दीप से दूर हटाओ।
दीपक श्रम के आज जलाओ,
सब मिल दीपक जोत जलाओ ।
माटी का नन्हा सा दीपक,
तम से लड़ने निकल पड़ा है।
साथ नहीं कुछ दल बल फिर भी,
साहस उसका बढ़ा चढ़ा है।
भरकर तुम भी हृदय साहस से,
हर संकट से टकरा जाओ।
दीपक श्रम के आज जलाओ,
सब मिल दीपक जोत जलाओ।।
नेह प्रेम से जगमग दीपक,
ज्योति ज्ञान हरदम फैलाता।
पर हित में यह जीवन बीते
खुद जलकर हमको समझाता।
जन सेवा का व्रत ले तुम भी,
आज राष्ट्र पर बलि बलि जाओ।
दीपक श्रम के आज जलाओ,
सब मिल दीपक जोत जलाओ।।

अध्यक्ष-राजनीति शास्त्र विभाग
राजकीय कॉलेज
दौसा (राज०)
303303

पर्यावरण: प्रदूषण एवं समाधान

राजवती

प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व में बढ़ते हुए प्रदूषण की ओर जन साधारण का ध्यान आकर्षित करना है। मानव का विकास प्रकृति से हुआ है और पर्यावरण प्रकृति का अंग है। हवा, पानी और भूमि पर्यावरण का रूप ग्रहण करते हैं। इन तीनों में से एक का भी दूषित होना मानव जाति के लिए ही नहीं, बल्कि जीव जन्तु एवं वनस्पति के लिए भी हानिकारक बन सकता है। मानव ने जितनी विज्ञान में उन्नति की उसके साथ-साथ प्रदूषण भी बढ़ा है।

दिल्ली में अक्तूबर 1987 में वन विकास और बढ़ते हुए रेगिस्तान की समस्याओं पर एशिया-प्रशान्त क्षेत्र के देशों के गैर सरकारी संगठनों का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने अपने-अपने देशों में वनों के घटते हुए क्षेत्र पर चिन्ता व्यक्त की। उपग्रह चित्र के अनुसार केवल हरियाली वाले जंगल अब भारत के 11 प्रतिशत क्षेत्र में ही हैं। 1/3 (एक तिहाई) भूमि को वन से ढकने की राष्ट्रीय नीति कागजों पर ही लिखी रह जाएगी क्योंकि सैटालाईट चित्र के द्वारा प्रतिवर्ष लगभग साढ़े दस लाख हैक्टेयर वनों की कटाई हो चुकी है।

प्रदूषण के कारण

आज का युग औद्योगिक युग कहलाता है। जंगल काटे जा रहे हैं तथा भूमि की उर्वरता समाप्त हो रही है। आटोमोबाइल से बढ़ता हुआ प्रदूषण तथा कारखानों से निकला हुआ धुआं जीवन के लिए जहर बनता जा रहा है। नदियों में औद्योगिक संस्थाओं तथा शहरों के नाली-नाले से आने वाला पानी भी प्रदूषण फैलाता है। कभी-कभी प्रदूषण का कारण लापरवाही भी हो सकता है जैसे शहरों आदि में नगर पालिका का कार्य ठीक प्रकार से न होना। आज मनुष्य अंधाधुन्ध जंगल काट कर, अपने आलीशान मकान के लिए खिड़की, फर्नीचर, दरवाज़ आदि के लिए वन को नष्ट कर रहे हैं, जिससे वायुमण्डल में प्रदूषिण बढ़ रहा है। न्यूक्लियर संस्थानों में उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों की समस्या भी भूमि एवं जल को प्रदूषित कर रही है। किसान अपनी वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो अनेक प्रकार के उर्वरकों का इस्तेमाल करता है उससे भी भूमि प्रदूषित होती है। परमाणु बम के परीक्षण से भी अन्तरिक्ष में प्रदूषण बढ़ता है। इसमें ओयोन की परत नष्ट होती है जो सूर्यरश्मि के विकिरण को रोकने में उपयोगी होती है।

सुझाव व निष्कर्ष

आम जनता में पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए तथा स्कूलों-कालेजों में पर्यावरण शिक्षा पर जोर देना चाहिए। आज राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय प्रकार की संस्थाएं वृक्षारोपण को अधिक बढ़ाने के लिए पूरी सहायता कर रही हैं। स्वर्गीय प्रधान श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी कहा था कि प्रत्येक बच्चे के साथ एक पेड़ लगाया जाए और वृक्ष काटने वाले लोगों को अधिक से अधिक सजा देनी चाहिए। भारत सरकार सातवीं योजना में पर्यावरण और पारिस्थिति की तथा वायु एवं जल प्रदूषण तथा गंगा नदी कार्यवाही योजना पर कुल 427.91 करोड़ रुपये खर्च करेगी। आज देश में वनों की अनाप-शनाप कटाई का ऋतु चक्र पर असर पड़ चुका है, उसे पूरा करना शायद सम्भव नहीं, लेकिन हमें पूरी सहायता करनी चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा हेतु हर नागरिक को, हर स्तर पर, हर सम्भव प्रयास करने चाहिए, जिससे अच्छे परिणाम मिल सकें।

गांव-बिसनपुरा, पो. नोएडा
जिला-गाजियाबाद (उ. प्र.)

आवास और स्वास्थ्य

रजनी सिंह

क्या कभी किसी ने इस बात पर ध्यान दिया है कि मकान सिर छुपाने की जगह ही नहीं होता बल्कि इसका इससे कहीं अधिक महत्व होता है। यहां मेरा आशय इस कथन से नहीं है कि एक मकान एक घर नहीं होता है। एक घर पारिवारिक संबंधों और उसमें उतार-चढ़ावों से तो जुड़ा होता ही है लेकिन मकान ऐसा भी होना चाहिए जो रहने वालों को न केवल स्वस्थ रखे बल्कि उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में योगदान करे।

आधारभूत सुविधाएं

पीने के साफ पानी और जल निकासी की उचित व्यवस्था जैसी आधारभूत सेवाएं भी आवास और स्वास्थ्य से सम्बद्ध क्षेत्र हैं। इन उपायों द्वारा संक्रामक रोगों से संरक्षण निश्चित है। मकान की स्थिति का इसके पर्यावरण से सीधा संबंध होता है और यह पुरानी और असाध्य बीमारियों की रोकथाम में सहायक हो सकता है। महिलाओं और बच्चों पर इन बीमारियों का असर जल्दी होने का खतरा रहता है क्योंकि वे अपना अधिकतर समय मकान में ही बिताते हैं। बच्चों के शरीर में वैसे भी कई प्रकार की कमियां रहती हैं। शहर के गरीब लोगों, विस्थापितों तथा बाहर से आए लोगों में ये कमियां और भी ज्यादा होती हैं। कई बार मकान का इस्तेमाल काम-धन्धे के लिए भी किया जाता है। खेतीबाड़ी करने वाले का मकान तो गोदाम बन जाता है। वह वहां औजार, कीटनाशक, दवाइयां उर्वरक आदि भी रखता है।

दृष्टिकोण में परिवर्तन

लोग मकान का इस्तेमाल किस तरह करते हैं, इसका अध्ययन किया जाना आवश्यक है और उनके स्वास्थ्य के हित में लोगों को मकान तथा उसकी फिटिंग्स का उचित इस्तेमाल करने की सलाह देना भी जरूरी है। यह लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने तथा मकान के बारे मे निजी फैसलों के क्षेत्र में आता है। इसके अलावा क्षेत्र विकास, जगह-जगह पर बाग या पार्क, मनोरंजन के लिए सामूहिक स्थान, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी जैसे कई सरकारी नीति निर्णय भी होते हैं। यदि उपभोक्ता यह बुनियादी सिद्धान्त समझ लें कि आवश्यकताएं इच्छाओं से भिन्न होती हैं तो बहुत कुछ प्रभावी ढंग से और तत्काल प्राप्त किया जा सकता है।

विशेष आवश्यकताएं

विशेष वर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ छुट-पुट प्रयास किए गए हैं। इनमें से सबसे अधिक जाना माना है अपंगों के लिए विशेष प्रकार की सीढ़ियां और पहिएवाली कुर्सी के लिए विशेष मार्ग के निर्माण की सुविधाएं। ये प्रयास विशेष रूप से अपंगों की आवश्यकताओं के लिए सामूहिक निर्माण अथवा निजी मकानों में भी सम्भव हो सकते हैं। □

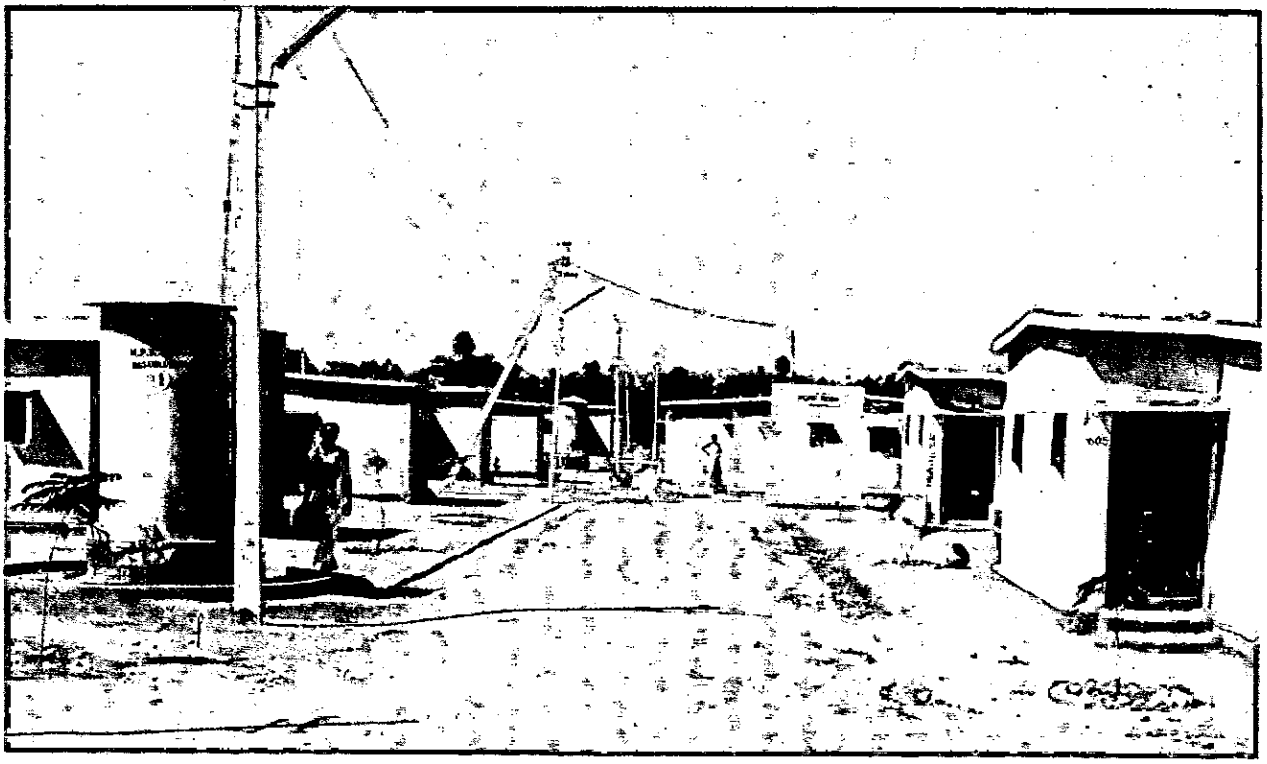

गांव के गरीब लोगों को रहने के लिए ऐसे मकानों की व्यवस्था करने के लिए भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए जिनमें स्वच्छता, स्वच्छ पेय जल तथा बिजली आदि जैसी मूल आवश्यकताएं उपलब्ध हों।

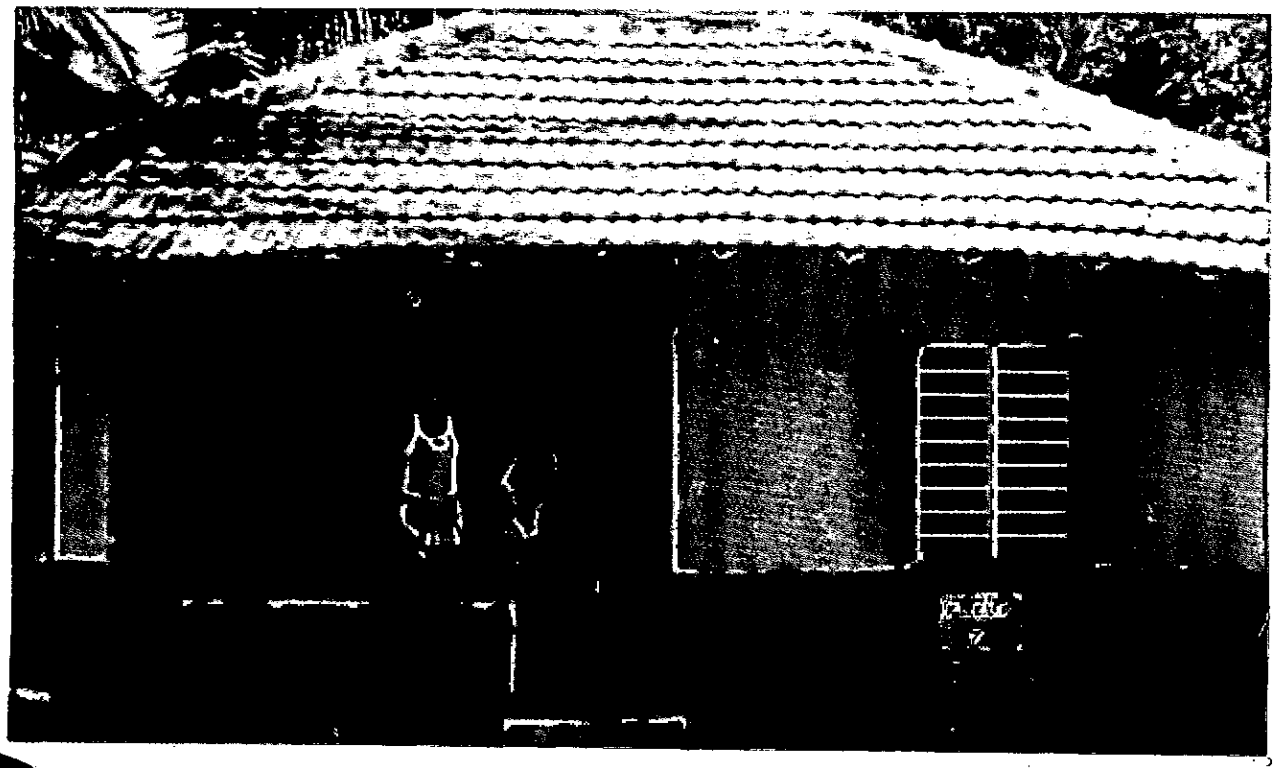

आर. एन./708-57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी (डी एन) 98
पूर्व भुगतान के बिना एन.डी.पी.एस.ओ., नई दिल्ली में डाक में डालने
की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)-55

RN/708/57
P & T Regd. No. D (DN) 98
Licenced under U (DN)-55
to post without pre-payment at NDPSO, New Delhi

डा. श्याम सिंह शशि, निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित और
[illegible] द्वारा मुद्रित